R-N- SHARMA

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 402] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 1987/श्रावण 15, 1909
No. 402] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 1987/SRAVANA 15, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

(राष्ट्रीय सुरक्षक अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1987

सा. का. नि. 688 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 (1986 का 47) की धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

राष्ट्रीय सुरक्षक नियम, 1987

अध्याय I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सुरक्षक नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(3) ये नियम, उन सभी व्यक्तियों को जो अधिनियम के अधीन है लागू होंगे ।

परन्तु इसके अध्याय IV के उपबन्ध ऐसे व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे जो राष्ट्रीय सुरक्षक में प्रतिनियुक्ति पर हैं ;

परन्तु और कि इसके अध्याय IX और X के उपबन्ध समरी सुरक्षक न्यायालय द्वारा विचारण को, जहां तक वे समरी सुरक्षक न्यायालय से संबंधित अध्याय XI में अन्तर्विष्ट किन्हीं उपबन्धों से असंगत हैं, लागू नहीं होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 (1986 का 47) अभिप्रेत है ;

(ख) "परिशिष्ट" से इन नियमों से उपाबद्ध परिशिष्ट अभिप्रेत है ;

(ग) "न्यायालय" से सुरक्षक न्यायालय अभिप्रेत है;

(घ) "टुकड़ी" के अन्तर्गत सुरक्षक के किसी यूथ या यूनिट का कोई ऐसा भाग है जिसने मुख्यालय से दूर ड्यूटी पर जाने की अपेक्षा की गई है या आदेश दिया गया है ;

(ङ) "समुचित सुरक्षक प्राधिकारी" से जब इसका प्रयोग किसी शक्ति, कर्तव्य, कार्य या विषय के संबंध में किया जाए, ऐसा

सुरक्षक प्राधिकारी अभिप्रेत है जो अधिनियम के अधीन बनाए गए इन नियमों में अनुसरण में उस शक्ति का प्रयोग करता है या कर्तव्य का पालन करता है या उस विषय से संबद्ध है ;

(च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(छ) उन अन्य सभी शब्दों और पदों के जो नियमों में प्रयुक्त हैं और जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ;

3. रिपोर्ट और आवेदन :—ऐसी कोई रिपोर्ट या आवेदन जो इन नियमों द्वारा किसी वरिष्ठ प्राधिकारी को किया जाना अपेक्षित है या जो अन्यथा किसी वरिष्ठ प्राधिकारी को किया जाता है, लिखित रूप में और उचित प्रणाली से किया जाएगा ।

4. परिशिष्टों के प्ररूप : (1) परिशिष्टों में उपवर्णित प्ररूप, ऐसे परिवर्तनों के साथ, जो प्रत्येक मामले में परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हों, उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं, और यदि उनका प्रयोग किया जाता है तो वह पर्याप्त होंगे, किन्तु इन प्ररूपों से से विचलन केवल विचलन के कारण किसी आरोप, वारंट, आदेश, कार्यवाही या इन नियमों से सुसंगत किसी अन्य दस्तावेज को, अविधिमान्य नहीं होगा ;

(2) ऐसे किसी प्ररूप का कोई लोप, केवल ऐसे लोप किए जाने के कारण ही, किसी कार्य या बात को अविधिमान्य नहीं बनाएगा ।

(3) टिप्पणों में दिए गए निदेशों और प्ररूप में दिए गए अनुदेशों का ऐसे सभी मामलों में, जिससे के संबंधित हैं, सम्यक् रूप से अनुपालन किया जाएगा, किन्तु टिप्पणों या अनुदेशों में दिए गए ऐसे किसी निदेश के अनुपालन में कोई लोप, केवल ऐसे लोप के कारण, किसी कार्य या बात को अविधिमान्य नहीं बनाएगा ।

5. सुरक्षक के किसी पदधारक में निहित शक्ति का प्रयोग किया जाना—सुरक्षक में कोई पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के प्रति या समक्ष किसी कार्य या बात को करने के लिए दी गई किसी शक्ति या अधिकारिता का, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, प्रयोग किसी अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो तत्समय सुरक्षक के नियमों और व्यवहारों के अनुसार उस पद के कृत्यों का पालन कर रहा हो ।

6. मामले जिनके लिए उपबन्ध नहीं किया गया हो—किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिसके लिए इन नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया हो, सक्षम प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी बात या ऐसी कार्रवाई करे जो वह मामले की परिस्थिति के अनसार करना उचित समझे ।

अध्याय II

भर्ती किया जाना

7. अपात्रता (1) वह व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है या जिस का पति/पत्नी जीवित है, किसी ऐसे दशा में, जब ऐसे पति/पत्नी के जीवित रहने के दौरान ऐसा विवाह किया जान शून्य हो, विवाह करता है, सुरक्षक में नियुक्ति या नियोजन का पात्र नहीं होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है अपने पहले पति/पत्नी के जीवित रहने के दौरान, दूसरा विवाह करता है, अपने आपको सेवा में रखे जाने के लिए अपात्र बनाएगा और अनुपयुक्तता के आधार पर उसे सेवा से पदच्युत किया जा सकता है, हटाया जा सकता है या निवृत्त किया जा सकता है ;

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

8. अन्य देशीय की अपात्रता —कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, केन्द्रीय सरकार की लिखित रूप में संज्ञापित सम्मति के सिवाय, सुरक्षक में नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा ;

परन्तु इस नियम में अन्तर्विष्ट कोई बात नेपाल या भूटान के किसी प्रजा को सुरक्षक में नियुक्ति या नियोजन से वर्जित नहीं करेगी ।

9. अधिकारियों की नियुक्ति :—केन्द्रीय सरकार ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को, जिन्हें वह अधिकारी के रूप में उपयुक्त समझती है, सुरक्षक में निम्नलिखित रीति से नियुक्त कर सकेगी और उनकी सेवा की शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों में उपबंधित हों :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा ;

(ख) अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा बलों, संघ के सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग या स्वशासी निकायों से प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) प्रोन्नति द्वारा जैसा समय समय पर विहित किया जाए ।

10. परिवीक्षा : (1) सुरक्षक में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन होगा और केन्द्रीय सरकार ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं परिवीक्षा की अवधि को ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जो दो वर्ष से अधिक की नहीं हो बढ़ा सकेगी ;

(2) केन्द्रीय सरकार, परिवीक्षावधि के दौरान कोई कारण बताए बिना, किसी अधिकारी की सेवा को समाप्त कर सकेगी ।

11. सहायक कमांडर, रेंजर और योधक व्यवसायी की नियुक्ति—(1) महानिरीक्षक द्वारा सहायक कमांडर ग्रेड 1, के पदों पर उपमहानिरीक्षक, द्वारा, सहायक कमांडर ग्रेड 2 और 3 के पदों पर नियुक्तियां और रेंजर और योधक व्यवसायियों की नियुक्ति किसी ग्रुप कमांडर या सुरक्षक के किसी अन्य ऐसे आफिसर द्वारा की जा सकेगी जिन्हें क्रमशः महानिदेशक द्वारा निम्नलिखित रीति से भर्ती अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा और उनकी सेवा की शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा ;

(ख) रक्षा बलों या संघ के किसी सशस्त्र बल, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग या स्वशासी निकायों से प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) प्रोन्नति द्वारा, जैसा समय-समय पर विहित किया जाए;

(2) सहायक कमांडर, रेंजर या किसी योधक व्यवसायी के रूप में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा । उपनियम (1) में विहित प्राधिकारी, परिवीक्षा की अवधि के दौरान, कोई कारण बताए बिना, उनकी सेवाओं को समाप्त कर सकेगा ।

12. रेंजर और योधक व्यवसायियों की नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्ति का ढंग—सुरक्षक में रेंजर या योधक व्यवसायी के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति के भर्ती अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने पर, भर्ती अधिकारी, उस पद की, जिस पर उसकी नियुक्ति की जानी है, सेवा की शर्त, उसकी उपस्थिति में पढ़ेगा या पढ़वाएगा और उसके समक्ष स्पष्ट करेगा या स्पष्ट कराएगा और उससे नियुक्ति के प्ररूप में अन्तर्विष्ट ऐसे प्रश्न करेगा जो महानिदेशक द्वारा विहित किए जाएं और उसको इस बात की चेतावनी देने के पश्चात कि यदि वह ऐसे किसी प्रश्न का मिथ्या उत्तर देगा तो वह अधिनियम के अधीन दण्डनीय होगा, ऐसे प्रत्येक प्रश्न के उसके उत्तर को अभिलिखित करेगा या अभिलिखित कराएगा ।

(2) यदि, उपनियम (1) के उपबन्धों का और ऐसे अन्य निदेशों का जो इस निमित्त महानिदेशक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं, अनुपालन करने के पश्चात भर्ती आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि नियुक्त किए जाने के लिए इच्छुक व्यक्ति, उन प्रश्नों को पूर्णतः समझता है जो उससे पूछे गए हैं और सेवा की शर्तों के लिए सहमति देता है और यदि उक्त आफिसर का समाधान हो जाता है कि कोई अड़चन नहीं है तो वह नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसे व्यक्ति के उस पर हस्ताक्षर कराएगा और तत्पश्चात ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

(3) (क) उपनियम (2) के अधीन सुरक्षक के सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा विहित किया जाए।

(ख) यथासंभव, अनुप्रमाणित किए जाने वाले व्यक्ति के कमांडर द्वारा शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा या कमांडर की अपरिहार्य अनुपस्थिति में, इस निमित्त कमांडर द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा।

(ग) शपथ तभी दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान तभी कराया जाएगा जब अनुप्रमाणित किए जाने वाले व्यक्ति ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो।

अध्याय III

संगठन

15. सुरक्षक का गठन और नियंत्रण—

(1) सुरक्षक का समादेशन और अधीक्षण का प्रयोग करते हुए महानिदेशक की सहायता अपर महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, ग्रुप कमांडर और अन्य आफिसर करेंगे।

(2) समादेशन, अनुशासन, मनोबल और प्रशासन के उत्तरदायित्व का—

(क) अपर महानिदेशक की दशा में सभी ग्रुपों, युनिटों, मुख्यालयों, स्थापनों पर और उसके अधीन रखे गए सुरक्षा कार्मिकों और उस क्षेत्र के भीतर जो उसे समनुदिष्ट किए जाएं, विस्तार होगा;

(ख) महानिरीक्षक की दशा में, सभी ग्रुपों, युनिटों, मुख्यालयों, स्थापनों पर और उसके अधीन रखे गए सुरक्षक कार्मिकों और उस क्षेत्र के भीतर जो उसे समनुदिष्ट किए जाएं, विस्तार होगा;

(ग) उपमहानिरीक्षक की दशा में, उसके अधीन रखे गए सभी ग्रुपों अन्य कार्मिकों और युनिटों पर और उस क्षेत्र के भीतर जो उसे समनुदिष्ट किए जाएं, विस्तार होगा।

(घ) कमांडर की दशा में, उसके अधीन रखे गए ग्रुप या यूनिटों पर और उस क्षेत्र के भीतर जो उसे समनुदिष्ट किए जाएं, विस्तार होगा।

(3) ऐसे ग्रुपों, यूनिटों और स्थापनों के कमान अनुशासन, प्रशासन और प्रशिक्षण, जिसे किसी उप महानिरीक्षक या किसी महानिरीक्षक के अधीन नहीं रखा गया है, ऐसे आफिसरों द्वारा और ऐसी रीति से किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा समय समय पर अधिकथित किए जाएं।

(4) सुरक्षक का कोई सदस्य, आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों के संबंध में किसी भी ड्यूटी का पालन करने, सुरक्षक के प्रशासन, अनुशासन और कल्याण तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों के जिनकी उससे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार पालन करने के लिए कहा जाए, पालन करने के लिए दायी होगा, इस निमित्त किसी वरिष्ठ आफिसर द्वारा दिया गया आदेश उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विधिपूर्ण कमान

14. कमान)—(1) कमान के लिए नियुक्त किसी आफिसर को, उसके कमान के अधीन रखे गए सभी आफिसरों और आदमियों पर ज्येष्ठता को ध्यान में लाए बिना, कमान की शक्ति होगी।

(2)(क) किसी आकस्मिकता की दशा में यदि कोई आफिसर उस कमान का जिसके साथ वह नियुक्त किया गया है, किसी कारणवश प्रयोग करने में असमर्थ हो तो कमान का उत्तरदायित्व कमान के दूसरे व्यक्ति पर, यदि उसे इस प्रकार नियुक्त किया गया है, आ जाएगा।

(ख) यदि कमान के दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई है तो कमान का उत्तरदायित्व ऐसे व्यक्ति पर आ जाएगा जिसे कमान का प्रयोग करने में असमर्थ ठीक वरिष्ठ आफिसर द्वारा स्थानापन्न रूप में कमान के लिए नियुक्त किया जाए।

(ग) यदि इस प्रकार किसी आफिसर की नियुक्ति नहीं की गई है तो कमान का उत्तरदायित्व ज्येष्ठतम उपस्थित आफिसर पर आ जाएगा।

(घ) किसी अन्य आफिसर द्वारा कमान के प्रयोग की असमर्थता की ओर इस उपनियम के अनुसार किसी अन्य आफिसर द्वारा उसका भार ग्रहण किए जाने के बारे में रिपोर्ट ऐसे आफिसर द्वारा जिसने कमान का भार ग्रहण किया है अगले उच्चतर आफिसर को शीघ्र की जाएगी।

(3) यदि विभिन्न यूनिटों के व्यक्ति—

(i) किसी ऐसे विनिर्दिष्ट कार्य के लिए जिसके लिए वे नियोजित किए गए हैं, एक साथ कार्य कर रहे हैं तो कमान करने के लिए नियुक्त किया गया आफिसर या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम उपस्थित आफिसर ऐसे सभी व्यक्तियों की कमान करेगा;

(ii) अन्य सभी मामलों में प्रत्येक यनिट का ज्येष्ठ अधिकारी अपनी यूनिट के व्यक्तियों का कमान करेगा।

(4) ऐसे व्यक्ति पर जो अधिनियम के अधीन है, अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग उस युनिट के कमांडर द्वारा किया जाएगा जिसका वह व्यक्ति है, या उस आफिसर द्वारा जिस पर उपनियम (2) के अनुसार कमान का भार आया है, किया जाएगा।

(5) जहां कोई ऐसा व्यक्ति टुकड़ी संबंधी ड्यूटी कर रहा है, जिस अन्तर्गत शिक्षण पाठ्यक्रम पर उपस्थित होना भी है, युनिट, सेंटर या स्थापन का कमांडर जिसके साथ वह ऐसी ड्यूटी कर रहा है, किसी कमांडर की सभी अनुशासनिक शक्तियां भी उसे प्राप्त होंगी।

(6) महानिदेशक, महानिरीक्षक और उपमहानिरीक्षक कर्मवारिवृन्द के एक या अधिक आफिसरों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो, ऐसे व्यक्तियों की बाबत जो अपने अपने मुख्यालयों के हैं या अपने अपने मुख्यालयों में टुकड़ी ड्यूटी कर रहे हैं, किसी कमान की अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(7) महानिदेशक, ऐसे आफिसरों को भी विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो ऐसे व्यक्तियों की बाबत जो अपने मुख्यालयों के हैं या उनमें टुकड़ी ड्यूटी कर रहे हैं, क्रमशः महानिरीक्षक और उपमहानिरीक्षक की अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(8) कोई महानिरीक्षक, किसी ऐसे आफिसर को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो, ऐसे व्यक्तियों की बाबत जो उसके मुख्यालय के हैं या उसमें टुकड़ी ड्यूटी कर रहे हैं, किसी उपमहानिरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

स्पष्टीकरण—उपनियम (1) और (3) में, "आफिसर" शब्द के अन्तर्गत सहायक कमांडर और रेंजर्स ग्रेड 1 भी होंगे।

अध्यायः IV

सेवा की समाप्ति

15. केन्द्रीय सरकार द्वारा अवचार के कारण आफिसरों की सेवा की समाप्ति—

(1) जब धारा 9 के अधीन, किसी आफिसर की सेवा, उसके अवचार के कारण समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है, तब उसको उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति से ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए अवसर दिया जाएगा। परन्तु यह उपनियम निम्नलिखित को लागू नहीं होगा, अर्थात् :—

(क) जहां सेवा, ऐसे आचरण के आधार पर समाप्त की जाती है, जिसके लिए दण्ड न्यायालय या किसी सुरक्षक न्यायालय द्वारा उसे दोषसिद्ध किया गया है; या

(ख) जहां, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, आफिसर को हेतुक दर्शित करने के लिए अवसर दिया जाना समीचीन या युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है।

(2) जब केन्द्रीय सरकार या महानिरीक्षक का किसी आफिसर के अवचार की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो जाता है कि किसी सुरक्षक न्यायालय द्वारा आफिसर का विचारण असमीचीन या अव्यवहार्य है, किन्तु उसकी यह राय है कि उक्त आफिसर का सेवा में और बने रहने दिया जाना अवांछनीय है, तब महानिदेशक, आफिसर को उन मामलों में जहां अभिकथनों का अन्वेषण किया गया है, अभिकथन की विशिष्टियों और अन्वेषण की रिपोर्ट सहित (जिसके अन्तर्गत साक्षी का अभिलिखित कथन और दस्तावेजों की प्रतियां यदि कोई हों, जिनका उसके विरुद्ध उपयोग किया जाना आशयित है, भी हैं) ऐसी सूचना देगा और उसे अपना स्पष्टीकरण और प्रतिवाद लिखित में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा :

परन्तु महानिदेशक ऐसी किसी रिपोर्ट या उसके भाग के प्रकटन को रोक सकेगा यदि, उसकी राय में, उसका प्रकटन राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है।

(3) यदि महानिदेशक आफिसर के स्पष्टीकरण को असमाधानप्रद समझता है या जब केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा निदेश दिया जाता है, तब मामले को आफिसर के प्रतिवाद सहित और उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट रीति से आफिसर की सेवा की समाप्ति के संबंध में महानिदेशक की सिफारिश के साथ केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) उपनियम (2) या उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार को मामले को प्रस्तुत करते समय महानिदेशक इस बात की अपनी सिफारिश करेगा कि क्या आफिसर की सेवा समाप्त की जानी चाहिए और यदि ऐसा हो तो क्या आफिसर को—

(क) सेवा से पदच्युत किया जाना चाहिए; या

(ख) सेवा से हटा दिया जाना चाहिए ; या

(ग) सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए; या

(घ) त्यागपत्र देने के लिए कहा जाना चाहिए।

(5) केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, रिपोर्ट और आफिसर के प्रतिवाद पर यदि कोई हो, या दण्ड न्यायालय के निर्णय और महानिदेशक की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात्, आफिसर को सेवा से पेंशन सहित या पेंशन के बिना या पदच्युत कर सकेगा या सेवानिवृत्त या सेवा से उसका त्यागपत्र प्राप्त कर सकेगा, और उसके ऐसा करने से इंकार करने पर आफिसर को उसको अनुज्ञेय पेंशन या उपदान, यदि कोई हो, सहित अनिवार्यतः सेवानिवृत्त या हटाया जा सकेगा।

16. अवचार से भिन्न आधारों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा आफिसरों की सेवा की समाप्ति :—

(1) जब महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि किसी आफिसर को सेवा में बनाए रखे जाना अनुपयुक्त है तो, आफिसर को :—

(क) ऐसी सूचना दी जाएगी :,

(ख) उसके प्रतिकूल सभी विषयों की विशिष्टियां दी जाएंगी, और

(ग) किन्हीं ऐसे कारणों को प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाएगा जिन्हें वह सेवा में अपने को बनाए रखे जाने के लिए अपने पक्ष में सामने रखने के लिए इच्छा प्रकट करे :—

परन्तु खण्ड (क), (ख) और (ग) लागू नहीं होंगे, यदि केन्द्रीय सरकार का, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं यह समाधान हो जाता है कि, उसके उपबन्धों का अनुपालन किया जाना समीचीन या युक्तियुक्त साध्य नहीं है :

परन्तु यह और कि, महानिदेशक आफिसर को, ऐसी कोई सामग्री नहीं देगा जो उसके प्रतिकूल हो, यदि उसकी राय में ऐसा करना राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है।

(2) यदि महानिदेशक स्पष्टीकरण को असमाधानप्रद समझता है तो मामले को आदेश के लिए केन्द्रीय सरकार को, आफिसर के स्पष्टीकरण और महानिदेशक की सिफारिश के साथ, प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, रिपोर्ट, आफिसर के स्पष्टीकरण पर यदि कोई हो, और महानिदेशक की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् आफिसर को सेवानिवृत्त होने के लिए या त्यागपत्र देने के लिए कह सकेगी और उसके ऐसा करने से इंकार करने पर, आफिसर को उसको अनुज्ञेय पेंशन या उपदान सहित, यदि कोई हो, अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया जा सकेगा।

17. आफिसरों से भिन्न व्यक्तियों का अवचार के कारण पदच्युत किया जाना या हटाया जाना :—

(1) जब किसी आफिसर से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति को जो अधिनियम के अधीन है, सेवा समाप्ति का प्रस्ताव किया जाता है तब उसको पदच्युत या हटाये जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसको ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति से हेतुक दर्शित करने के लिए अवसर दिया जाएगा :

परन्तु यह उपनियम निम्नलिखित को लागू नहीं होगा, अर्थात् :—

(क) जहां सेवा ऐसे आचरण के आधार पर समाप्त की जाती है, जिसके लिए दण्ड न्यायालय या किसी सुरक्षक न्यायालय द्वारा उसे दोषसिद्ध किया गया है; या

(ख) जहां सक्षम प्राधिकारी का ऐसे कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, यह समाधान हो जाता है कि संबंधित कामिक को हेतुक दर्शित करने के लिए अवसर दिया जाना समीचीन या युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है।

(2) जब संबंधित कामिक के अवचार के संबंध में रिपोर्टों पर विचार किए जाने के पश्चात् सक्षम, प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है है कि ऐसे किसी कामिक का विचारण असमीचीन और साध्य नहीं है, किन्तु यदि उसकी यह राय है कि उसको सेवा में और बनाए रखना वांछनीय नहीं है तो वह उसे उसके प्रतिकूल सभी रिपोर्टों सहित सूचित करेगा और उससे लिखित में अपना स्पष्टीकरण और प्रतिवाद प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा :

परन्तु, सक्षम प्राधिकारी ऐसी किसी रिपोर्ट या उसके भाग के प्रकटन को रोक सकेगा चाहे, उसकी राय में उसका प्रकटन लोक हित में नहीं हो।

(3) सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, उसके समीक्षण, या दण्ड न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के पश्चात् उसकी सेवा से, पेंशन सहित या उसके बिना, पदच्युत कर सकेगा या हटा सकेगा।

(4) इस नियम के अधीन पदच्युत किए जाने या हटाए जाने के सभी मामले, महानिदेशक को रिपोर्ट किए जाएंगे।

18. शारीरिक अनुपयुक्तता के आधार पर आफिसरों की सेवानिवृत्ति—(1) जहां किसी उपमहानिरीक्षक से अन्यून पंक्ति का कोई आफिसर यह समझता है कि, संरक्षक का कोई आफिसर अपनी शारीरिक अवस्था के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने में अनुपयुक्त है, तो आफिसर को किसी चिकित्सीय बोर्ड के समक्ष लाया जाएगा।

(2) चिकित्सीय बोर्ड में ऐसे आफिसर होंगे और उसका ऐसी रीति से गठन किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा समय समय पर अधिकथित किए जाएं।

(3) जहां चिकित्सीय बोर्ड, आफिसर का सेवा के लिए अनुपयुक्त होना समझता है, वहां केन्द्रीय सरकार, यदि वह चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष से सहमत होती है, तो उक्त आफिसर को चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष को संसूचित करेगी और तब, आफिसर ऐसी संसूचना के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार को उसके विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकेगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, आफिसर से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, इस प्रयोजन के लिए गठित किसी नए चिकित्सीय बोर्ड को मामले का पुनर्विलोकन किए जाने के लिए निर्देश करेगी और यदि नए चिकित्सीय बोर्ड का विनिश्चय उसके प्रतिकूल है तो उक्त आफिसर की सेवानिवृत्ति के लिए आदेश करेगी।

19. अनुपयुक्तता के आधार पर सहायक कमांडरों की सेवानिवृत्ति—जहां ग्रुप कमांडर से अन्यून पंक्ति के किसी कमांडर का यह समाधान हो जाता है कि किसी सहायक कमांडर, सुरक्षक में बनाए रखा जाना अनुपयुक्त है, वहां वह सक्षम प्राधिकारी को ऐसे किसी सहायक कमांडर की सेवा निवृत्ति के लिए सिफारिश कर सकेगा।

तब, सहायक कमांडर ग्रेड I की दशा में महानिरीक्षक, और सहायक कमांडर ग्रेड II और ग्रेड III की दशा में उपमहानिरीक्षक, किसी सहायक कमांडर को हेतुक दर्शित करने के लिए अवसर देने के पश्चात् (तब के सिवाय जब वह ऐसा अवसर दिया जाना असाध्य हो);

उक्त सहायक कमांडर को सुरक्षक से सेवानिवृत्ति कर सकेगा।

20. अनुपयुक्तता के आधार पर रेंजर और शोधक व्यवसायी की सेवानिवृत्ति :—

जहां ग्रुप कमांडर से अन्यून पंक्ति के किसी कमांडर का यह समाधान हो जाता है कि कोई रैंजर या कोई योधक व्यवसायी सुरक्षक में बनाए रखे जाने के लिए अनुपयुक्त है, वहां कमांडर, ऐसे किसी रेंजर या किसी योधक व्यवसायी को हेतुक दर्शित करने के लिए अवसर दिए जाने के पश्चात् (तब के सिवाय जब वह ऐसा अवसर दिया जाना असाध्य समझता हो), उक्त रैंजर या किसी योधक व्यवसायी को सुरक्षक से सेवा निवृत्त कर सकेगा।

21. शारीरिक अनुपयुक्तता के आधार पर सहायक कमांडर, रैंजर और योधक व्यवसायी की सेवा निवृत्ति—(1) जहां ग्रुप कमांडर से अन्यून पंक्ति के किसी कमांडर का यह समाधान हो जाता है कि, कोई सहायक कमांडर, रैंजर या कोई योधक व्यवसायी किसी शारीरिक निःशक्तता के कारण अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ है तो, वह निदेश दे सकेगा कि यथास्थिति उक्त सहायक कमांडर, रैंजर या योधक व्यवसायी को किसी चिकित्सीय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए।

(2) चिकित्सीय बोर्ड का गठन ऐसी रीति से किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा अवधारित की जाए।

(3) जहां उक्त सहायक कमांडर, रैंजर या योधक व्यवसायी का चिकित्सीय बोर्ड द्वारा सुरक्षक में और सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, वहां कमांडर चिकित्सीय बोर्ड की कार्यवाहियों को सहायक कमांडर ग्रेड I की दशा में, महानिरीक्षक के पास और सहायक कमांडर ग्रेड II और ग्रेड III की दशा में उपमहानिरीक्षक के पास भेजेगा। महानिरीक्षक या उपमहानिरीक्षक, या यथास्थिति रेंजर, या योधक व्यवसायी की दह दशा में कमांडर यदि वह चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष से सहमत होता है तो, संबंधित व्यक्ति को उसके बारे में सूचित करेगा जिससे कि वह चिकित्सीय बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसी संसूचना की प्राप्ति से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, अभ्यावेदन करने के लिए समर्थ हो सके।

(4) जहां और सेवा के लिए अनुपयुक्त घोषित व्यक्ति, उपनियम (3) के अधीन कोई अभ्यावेदन करता है वहां उसे अगले वरिष्ठ अधिकारी के पास अग्रसर किया जाएगा जो मामले को किसी नए चिकित्सीय बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन के लिए निर्दिष्ट करेगा। बोर्ड का गठन ऐसी रीति से किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा अवधारित की जाए।

वरिष्ठ अधिकारी नए चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष के ध्यान में रखते हुए, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

(5) जहां उपनियम (3) के अधीन चिकित्सीय बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन नहीं किया जाता है वहां महानिरीक्षक या उपमहानिरीक्षक या यथास्थिति कमांडर (यदि वह चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष से सहमत है) क्रमशः सहायक कमांडर ग्रेड I या सहायक-कमांडर ग्रेड II या सहायक कमांडर ग्रेड III या यथास्थिति रजर या योधक व्यवसायी की सेवानिवृत्ति के आदेश कर सकेगा।

22. त्यागपत्र (i) केन्द्रीय सरकार किसी मामले की विशेष परिस्थितियों के ध्यान में रखते हुए सुरक्षक के किसी आफिसर को सेवा निवृत्ति की आयु को पूरा करने से पूर्व या उतने वर्षों की सेवा पूरी करने के पूर्व जितनी नियमों के अधीन सेवानिवृत्ति के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक हों सुरक्षक से त्यागपत्र देने के लिए अनुज्ञा दे सकेगी :

परन्तु ऐसी अनुज्ञा देते समय केन्द्रीय सरकार,

(i) आफिसर से ऐसी रकम के जो उस आफिसर को दिए गए प्रशिक्षण की लागत हो प्रतिदाय की अपेक्षा कर सकेगी; या

(ii) यदि आफिसर पेंशन नियमों के अधीन पेंशन संबंधी फायदों के लिए पात्र है तो आफिसर की पेंशन या अन्य पेंशन संबंधी फायदों में से ऐसी कटौती के आदेश कर सकेगी जैसे कि सरकार उन परिस्थितियों में न्यायोचित और समुचित समझे।

(2) केन्द्रीय सरकार उपनियम (1) के अधीन उस तारीख से जिसे वह समीचीन समझे, त्यागपत्र स्वीकार कर सकेगी :

परन्तु यह ऐसे त्यागपत्र की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के पश्चात की नहीं होगी।

(3) केन्द्रीय सरकार किसी आफिसर को त्यागपत्र देने की अनुज्ञा से इंकार कर सकेगी।

(क) यदि देश में आंतरिक उपद्रव या बाह्य आक्रमण के कारण आपात की उद्घोषणा की गई है; या

(ख) यदि वह सुरक्षक के अनुशासन के हित में ऐसा किया जाना असमीचीन समझती है; या

(ग) यदि किसी आफिसर ने विशेष रूप से किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सेवा करने के लिए वचनबद्ध किया है और ऐसी अवधि समाप्त नहीं हुई है।

(4) इस नियम के उपबन्ध सहायक कमांडर रैंजर और योधक व्यवसायियों को और उनके संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सुरक्षक

के किसी भी आफिसर को या उसके संबंध में लागू होते हैं और उपनियम (1) और (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग सहायक कमांडर ग्रेड I की दशा में किसी महानिरीक्षक द्वारा सहायक कमांडर ग्रेड II और III की दशा में किसी उपमहानिरीक्षक द्वारा तथा रेंजर ग्रेड I रैंजर या किसी योधक व्यवसायी की दशा में किसी ग्रुप कमांडर द्वारा किया जाएगा ।

23. वरिष्ठ आफिसर या प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां— इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी आफिसर को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग प्रथम उल्लिखित अधिकारी से कमान में वरिष्ठ अफिसर या प्राधिकारी द्वारा भी की जा सकेगी ।

24. पदच्युति, हटाया जाना या सेवा निवृत्ति के आदेशों के विरुद्ध अपील ।

(1) यदि, आफिसर से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति को जो अधिनियम के अधीन है, सेवा से पदच्युत किया गया है, हटाया गया है या समयपूर्व सेवानिवृत्ति किया गया है, तो उसे अपनी सेवा समाप्ति के विरुद्ध सेवा समाप्ति का आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी से उच्चतर किसी आफिसर को सेवा समाप्त की जाने के नब्बे दिन के भीतर अपील करने का अधिकार होगा ।

(2) अधिकारियों की दशा में, अपील केन्द्रीय सरकार को की जाएगी और ऐसी अपील सेवा की समाप्ति ने नब्बे दिन के भीतर फाईल की जाएगी ।

(3) जहां अपील प्राधिकारी इस नियम के अधीन पदच्युति, हटाए जाने या सेवानिवृत्ति के आदेश को अपास्त करता है, वह ऐसा प्राधिकारी ऐसे आदेश पारित करेगा जो ऐसे व्यक्ति की, किसी पदच्युति, हटाया जाना या सेवा निवृत्ति अपास्त की गई है, ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की अवधि की बाबत आवश्यक हो ।

25. पदच्युति, हटाए जाने, सेवान्मुक्त किए जाने, सेवा निवृत्ति की तारीख (1) पदच्युति हटाए जाने, पदत्याग या सेवा निवृत्ति की प्रभावी तारीख ————

(क) वह तारीख होगी जो पदच्युति या हटाए जाने या सेवोन्मुक्त किए जाने के आदेश में अथवा त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति मंजूर या स्वीकार करने वाले आदेश में उल्लिखित हो, या

(ख) यदि ऐसी कोई तारीख उल्लिखित नहीं की गई है तो वह तारीख होगी जिसको आदेश पर हस्ताक्षर किया गया था या वह तारीख जिसको संबंधित व्यक्ति को ड्यूटी से मुक्त किया गया था, इसमें जो भी बाद की तारीख हो, होगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति की पदच्युति, हटाया जाना, सेवोन्मुक्त किया जाना, पदत्याग या सेवा निवृत्ति भूतलक्षी नहीं होगी ।

अध्याय—5

गिरफ्तारी और अन्वेषण

26. गिरफ्तारी के रूप (1) गिरफ्तारी या तो खुली गिरफ्तारी हो सकेगी या बंद गिरफ्तारी ।

(2) गिरफ्तारी से, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, खुली गिरफ्तारी अभिप्रेत है ।

(3) गिरफ्तारी अधिरोपित करने वाला आदेश गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप में संसूचित किया जा सकेगा ।

27. गिरफ्तारी का आदेश करने वाला प्राधिकारी—(1) इस अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति की अधिनियम के अधीन किसी आरोप पर गिरफ्तारी उस पर कमान की शक्ति रखने वाले वरिष्ठ आफिसर के आदेश के अधीन और उसके अनुसार ही की जाएगी अन्यथा नहीं ।

(2) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन है, किसी वरिष्ठ आफिसर द्वारा गिरफ्तार किया जा सकेगा :—

(क) यदि वह ऐसे वरिष्ठ आफिसर के विरुद्ध कोई अपराध करता है, या

(ख) यदि वह ऐसे वरिष्ठ आफिसर के सामने कोई अपराध करता है, या

(ग) यदि वह विच्छृंखल रीति से आचरण करता है और उक्त वरिष्ठ आफिसर ऐसे विच्छृंखल आचरण को रोकने की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यकता समझता है ।

(3) उपनियम (2) के अधीन गिरफ्तारी करने वाला वरिष्ठ अधिकारी यथासम्भव शीघ्र और किसी भी दशा में ऐसी गिरफ्तारी के चौबीस घंटे के भीतर उस ग्रुप या यूनिट के कमांडर को जिसका गिरफ्तार किया गया व्यक्ति सदस्य है, और रैंक के या उससे ऊपर की रैंक के किसी आफिसर की गिरफ्तारी की दशा में, उसके सीधे वरिष्ठ आफिसर को एक रिपोर्ट भेजेगा ।

28. गिरफ्तारी अधिरोपित करने की रीति:—(अ) बंद गिरफ्तारी (1) (क) बंद गिरफ्तारी रैंजर ग्रेड या और योधक व्यवसायी की दशा में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को सूचित करके और यह आदेश देकर की जाएगी कि उसे उसी या उससे वरिष्ठ रैंक के व्यक्तियों के अनुसंरक्षण में परिरोध स्थल को ले जाया जाए:

(ख) जहा ऐसा कोई अनुरक्षक उपलब्ध न हो वहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को क्वार्टर गार्ड या अन्य परिरोध स्थल पर अपने आप तुरन्त रिपोर्ट करने का आदेश दिया जाएगा ।

(2) (क) बंद गिरफ्तारी आफिसरों, और अवर अफिसरों, सहायक कमाडरों और रेंजर ग्रेड 1 की दशा में, ऐसे आफिसर, सहायक कमांडर रैंजर ग्रेड I को उसी या वरिष्ठ रैंक के किसी दूसरे व्यक्ति की अभिरक्षा में रखा कर की जाएगी और जहा कहीं आवश्यक समझा जाए वहां ऐसा आफिसर सहायक कमांडर, रैंजर ग्रेड I किसी गार्ड के प्रभार के अधीन परिरूद्ध किया जा सकेगा:

(ख) गिरफ्तार व्यक्ति कमांडर द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी वरिष्ठ आफिसर की अनुज्ञा के बिना अपना परिरोध स्थल नहीं छोड़ेगा ।

(अ) खुली गिरफ्तारी 3 (क) खुली गिरफ्तारी गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को यह सूचित करके की जाएगी कि वह खुली गिरफ्तारी के अधीन है और वह अपने आप को उन सीमाओं के भीतर परिरूद्ध रखेगा जो ऐसी गिरफ्तारी करने वाले संबंधित वरिष्ठ आफिसर द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए ।

(ख) कमांडर अपर खंड (क) में निर्दिष्ट सीमाओं में समय समय पर परिवर्तन कर सकेगा ।

29. अन्वेषण के दौरान गिरफ्तारी से निर्मुक्ति (1) नियम 27 के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को किसी आफिसर के आदेश के अधीन गिरफ्तारी से निमुक्त किया जा सकेगा :

परन्तु ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी आफिसर द्वारा गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी का आदेश करने वाले आफिसर से वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के अधीन गिरफ्तारी से निर्मुक्त किया जाएगा ।

(2) नियम 30 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति को, उसके विरुद्ध नए साक्ष्य के आधार पर पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है अन्यथा नहीं।

30. पुनः गिरफ्तारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निभुक्ति अन्वेषण पूरा होने तक या न्यायालय संयोजित किए जाने तक, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसके कमांडर द्वारा या उसके कमांडर से वरिष्ठ किसी आफिसर द्वारा पुनः गिरफ्तारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्मुक्त किया जा सकेगा।

31. गिरफ्तारी कब की जाएगी—(1) किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर निम्नलिखित का आरोप है :—

(1) धारा 15 या धारा 16 के खंड (क) या खंड (ख) या धारा 17 या धारा 20 या धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का ;

(2) मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी सिविल अपराध का;

(3) अधिनियम के अधीन किसी अन्य अपराध का :—

(क) यदि अनुशासन के हित में ऐसा अपेक्षित है, या

(ख) यदि संपृक्त व्यक्ति जान बूझ कर अनुशासन में क्षति पहुंचाता है, या

(ग) यदि संपृक्त व्यक्ति हिंसात्मक स्वभाव का है, या

(घ) यदि संपृक्त व्यक्ति की विचारण से बचने की दृष्टि से अनुपरिस्थिति संभाव्य है, या

(ङ) यदि संपृक्त व्यक्ति का साक्षियों के साथ हस्तक्षेप और साक्ष्य में गड़बड़ करना संभाव्य है,

गिरफ्तार किया जाएगा।

(2) जहां किसी गिरफ्तार व्यक्ति में बीमारी के लक्षण हैं, वहां उसे चिकित्सीय सहायता की जाएगी।

32. मत्त व्यक्ति की गिरफ्तारी की दशा में विशेष उपबन्ध

(1) जहां कोई मत्त व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, वहां उसे यथा संभव अलग ही परिरुद्ध किया जाएगा और ड्यूटी आफिसर या ड्यूटी सहायक कमांडर या गारद के भारसाधक ड्यूटी रेंजर हर दो घंटे बाद उसके पास एक बार जाएगा।

(2) किसी मत्त व्यक्ति को उसके मामले के अन्वेषण के लिए किसी वरिष्ठ आफिसर के समक्ष तब तक नहीं ले जाया जाएगा जब तक वह स्वस्थचित्त नहीं हो जाता है।

33. उन व्यक्तियों की दशा में गिरफ्तारी जिनके विचारण के लिए आदेश दिए गए हैं (1) यदि, संयोजन आफिसर ने अन्यथा निदेश नहीं दिया है तो किसी व्यक्ति की न्यायालय द्वारा विचारण प्रारम्भ होने पर, उक्त व्यक्ति को उसके कमांडर के अधीन रखा जाएगा और विचारण के दौरान वह गिरफ्तार रहेगा।

(2) जहां किसी न्यायालय द्वारा कारावास से कम दण्डादेश पारित किया जाता है वहां गिरफ्तार व्यक्ति को उसके कमांडेंट द्वारा तब तक के लिए निर्मुक्त कर दिया जाएगा जब तक कि निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि नहीं हो जाती है :

परन्तु संयोजन प्राधिकारी कमांडर द्वारा उप नियम (1) या उप नियम (2) के अधीन पारित किए गए आदेश को विखंडित परिवर्तित या उपांतरित कर सकेगा और जहां ऐसा कोई आदेश कमांडर द्वारा नहीं किया गया है, वहां संयोजन प्राधिकारी ऐसा आदेश, जो वह उचित समझे पारित कर सकेगा :

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे पदच्युत किए जाने का दंडादेश दिया गया है, उस दशा के सिवाय जब वह सक्रिय ड्यूटी पर है, किसी ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा।

34. विलम्ब रिपोर्ट—(1) (क) धारा 57 के अधीन यथा अपेक्षित विलम्ब के कारणों के संबंध में रिपोर्ट परिशिष्ट I में दिए गए प्ररूप में होगी और यह कमांडेंट द्वारा उस उपमहानिरीक्षक को भेजी जाएगी जिसके अधीन अभियुक्त सेवा कर रहा है;

(ख) आठवीं विलम्ब रिपोर्ट और उसके पश्चात् वाली प्रत्येक रिपोर्ट की एक प्रति भी उस महानिरीक्षक को भेजी जाएगी जिसके अधीन अभियुक्त सेवा कर रहा है।

(2) जहां अभियुक्त को विचारण के लिए लाए बिना तीन मास से अधिक अवधि के लिए गिरफ्तार रखा गया है, वहां की गई कार्रवाई और विलम्ब के कारणों के बारे में विशेष रिपोर्ट कमांडर द्वारा महानिदेशक को और उसकी एक एक प्रति संबंधित उपमहानिरीक्षक और महानिरीक्षक को भेजी जाएगी।

35. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार—(1)(क) गिरफ्तार करने वाला आफिसर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय उसके विरुद्ध आरोपों की लिखित विशिष्टियां देगा;

(ख) खंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, जहां अन्वेषण के दौरान अभियुक्त द्वारा किए गए अन्य अपराधों का पता चलता है, वहां उन अपराधों से ऐसे व्यक्ति को आरोपित करना विधिपूर्ण होगा।

(2)(क) ड्यूटी आफिसर या ड्यूटी सहायक कमांडर गिरफ्तार व्यक्ति को प्रतिदिन जाकर देखेगा और गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा किए गए निवेदन या अभ्यावेदन पर कमांडर से आदेश प्राप्त करेगा।

(ख) गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा किया गया निवेदन या अभ्यावेदन परिशिष्ट 2 में उपवर्णित प्ररूप में प्रविष्ट किया जाएगा।

अध्याय 6

सुरक्षक न्यायालय और दंड न्यायालय के बीच अधिकारिता का चुनाव—

36. सुरक्षक न्यायालय या दंड न्यायालय द्वारा मामलों का विचारण—(1) जहां कोई अपराध, दोनों दंड न्यायालय और सुरक्षक न्यायालय द्वारा, विचारणीय है, वहां धारा 77 में निर्दिष्ट आफिसर—

(1) (क) जहां अभियुक्त द्वारा अपराध, सुरक्षक के सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्य के पालन के दौरान किया जाता है, या

(ख) जहां अपराध सरकार या सुरक्षक या उक्त अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में किया जाता है, या

(ग) जहां अपराध, अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है,

यह निदेश दे सकेगा कि अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति का जिसके बारे में ऐसा अपराध किया जाना अभिकथित है, विचारण सुरक्षक न्यायालय द्वारा किया जाएगा; और

(ii) किसी अन्य मामले में, यह विनिश्चय कर सकेगा कि क्या अनुशासन के हित में यह आवश्यक होगा कि अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति का, जिसके बारे में ऐसा अपराध किया जाना अभिकथित है, न्यायालय द्वारा विचारण का दावा किया जाए।

(2) सुरक्षक न्यायालय द्वारा किसी अपराधी के विचारण का दावा करने के लिए विनिश्चय करने में, धारा 77 में निर्दिष्ट कोई आफिसर निम्नलिखित में से सभी या किन्हीं बातों पर विचार कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) अपराधी सक्रिय ड्यूटी पर है या उसे सक्रिय ड्यूटी के लिए चेतावनी दी गई है और यह महसूस किया गया है कि वह ऐसी ड्यूटी से बचने का प्रयत्न कर रहा है;

(ख) अपराधी एक नवयुवक व्यक्ति है जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और अपराध गंभीर नहीं है और किसी दंड न्यायालय द्वारा अपराधी का विचारण उसके प्रशिक्षण को सारवान रूप से प्रभावित करेगा;

(ग) अपराधी के बारे में मामले की प्रकृति को देखते हुए अधिनियम के अधीन संक्षेपतः कारंवाई की जा सकेगी।

37. ऐसे मामले जिनका विचारण सुरक्षक न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता—नियम 26 के उपनियम (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी अपराधी के बारे में सामान्यतः निम्नलिखित दशाओं में विचारण का दावा किसी सुरक्षक न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकेगा :

(क) जहां अपराध उसके द्वारा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ किया गया है जो अधिनियम के अधीन का नहीं है और जिसकी पहचान ज्ञात है, या

(ख) जहां अपराध उसके द्वारा है, जब वह छुट्टी पर हो या छुट्टी के बिना अनुपस्थिति के दौरान किया गया है।

अध्याय 7

अन्वेषण और संक्षिप्त निपटारा

38. अभिकथनों का विवरण—जहां यह अभिकथन किया गया है कि अधिनियमों के अधीन का किसी व्यक्ति ने उसके अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, वहां अभिकथन को रेंजर, ग्रेड 1 के और उससे नीचे की पंक्ति के व्यक्तियों की दशा में परिशिष्ट 3 में निर्दिष्ट प्ररूप में और आफिसरों और सहायक कमांडरों की दशा में परिशिष्ट 4 में निर्दिष्ट प्ररूप में लिखा जाएगा।

39. टीम कमांडर और स्क्वाड्रन कमांडर द्वारा सुनवाई—

(क) आफिसर या सहायक कमांडर से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो अधिनियम के अधीन का है, मामले की सुनवाई प्रथमतः उसके टीम कमांडर या उसके स्क्वाड्रन कमांडर द्वारा की जाएगी।

(ख) साक्षियों की सुनवाई, अभियुक्त की उपस्थिति में, जिसे उनकी प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार होगा, की जाएगी।

(ग) अभियुक्त को अपनी रक्षा के लिए साक्षियों को बुलाने और कथन करने का अधिकार होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन अभियुक्त की सुनवाई के पश्चात् यथास्थिति, टीम कमांडर या स्क्वाड्रन कमांडर, ऐसा दंड दे सकेगा। जिसके लिए वह सशक्त है या जब आरोप साबित नहीं होता है तो उसे खारिज कर सकेगा अथवा मामले को कमांडर द्वारा निपटाए जाने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा :

परन्तु वह ऐसे मामले का निपटारा नहीं करेगा जिसे स्वयं कमांडरद्वारा निपटाए जाने के लिए आरक्षित रखा गया है या यदि अभियुक्त बंद गिरफ्तारी के अधीन है।

40. कमांडर द्वारा सुनवाई—(1) ग्रुप कमांडर या उससे ऊपर की पंक्ति का कमांडर नियम 39 के उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार सभी रैंकों के विरुद्ध आरोप की सुनवाई कर सकेगा, और

(i) वहां ऐसा कोई दंड दे सकेगा जिसके लिए किसी रेंजर ग्रेड I के या उससे नीचे की पंक्ति के व्यक्तियों की बाबत, देने के लिए वह सशक्त है, या

(ii) आरोप को खारिज कर सकेगा; या

(iii) अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य का अभिलेख या साक्ष्य की संक्षिप्ति तैयार करने के लिए मामले को प्रतिप्रेषित कर सकेगा;

या

(iv) रेंजर ग्रेड 1 के या उससे नीचे की पंक्ति के किसी अभियुक्त की दशा में, अभियुक्त को संक्षिप्त सुरक्षा न्यायालय द्वारा विचारण के लिए प्रतिप्रेषित कर सकेगा :

परन्तु—

(क) किसी आफिसर के मामले में, साक्षियों के साक्ष्य को यदि वह ऐसी मांग करे, तो लिखा जाएगा।

(ख) कमांडर आरोप को खारिज कर सकेगा, यदि उसकी राय में, आरोप साबित नहीं होता है या उसे खारिज कर सकेगा यदि वह समझता है कि अभियुक्त के पिछले चरित्र और उसके विरुद्ध आरोप की प्रकृति के कारण इस पर और आगे विचार करना उपयुक्त नहीं है। किसी आफिसर के मामले में, आरोप खारिज करने के कारणों को वह अभिलिखित करेगा।

(ग) जहां किसी आफिसर की बाबत कोई मामला अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ करने के लिए किसी वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा किसी कमांडर को निर्दिष्ट किया गया है,

वहां कमांडर ऐसे आरोप को ऐसे प्राधिकारी को निर्देश बिना खारिज नहीं करेगा।

(घ) मृत्यु से दंडनीय सभी अपराधों के मामलों में, साक्ष्य का अभिलेख तैयार किया जाएगा।

(2) जहां कमांडर की राय है कि किसी आफिसर या सहायक कमांडर के विरुद्ध आरोप संगीन प्रकृति के हैं वहां वह उप-नियम (1) के उपबन्धों के अनुसार आरोप की सुनवाई किए बिना मामले में साक्ष्य के अभिलेख के लिए या साक्ष्य का सार तैयार किए जाने के लिए सीधा आदेश दे सकेगा।

(3) जहां कमांडर की राय है कि किसी आफिसर या सहायक कमांडर के विरुद्ध आरोप खारिज किए जाने योग्य नहीं है और आरोप इतना गंभीर भी नहीं है कि उसका विचारण सुरक्षक न्यायालय द्वारा किया जाए वहां वह सहायक कमांडर की दशा में या तो स्वयं मामले का निपटारा कर सकेगा या धारा 54 के उपबन्धों के अधीन निपटारे के लिए किसी समुचित प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा। किसी आफिसर की दशा में वह मामले को धारा 53 के उपबन्धों के अधीन संक्षिप्त निपटारे के लिए समुचित प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा।

(4) जहां किसी ग्रुप या यूनिट या मुख्यालय के कमान आफिसर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जानी आशयित है वहां ऐसे आफिसर को यथास्थिति उस ग्रुप यूनिट या मुख्यालय के कमान से हटा दिया जाएगा या उस प्रयोजन के लिए इस प्रकार संबद्ध या तैनात किए जाने वाले आफिसर से वरिष्ठ आफिसर के कमान के अधीन ग्रुप यूनिट या मुख्यालय में उसे संबद्ध या तैनात किया जाएगा।

41. आफिसरों के विरुद्ध आरोपों के संक्षिप्त निपटारे की प्रक्रिया :

(1) जहां किसी आफिसर को, उसके विरुद्ध आरोप के संक्षिप्त निपटारे के लिए प्रतिप्रेषित किया जाता है वहां, उसको आरोप पत्र के साथ उसके विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्य का सार या अभिलेख की एक प्रति या साक्ष्य की संक्षिप्ति यथास्थिति यदि तैयार किया गया हो और किसी भी दशा में कार्यवाही आरम्भ होने के चौबीस घंटे के भीतर किया जाएगा।

(2) धारा 53 के अधीन मामले की कार्रवाई करने वाला आफिसर जब तक कि अभियुक्त ने साक्षियों की उपस्थिति में लिखित रूप में की अभिस्वीकृति की सम्मति नहीं दी हो। अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य की सुनवाई करेगा और उसे साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार होगा। अभियुक्त को किसी साक्षी को बुलाने और अपनी प्रतिरक्षा में कथन करने का अधिकार होगा।

(3) कार्यवाहियों को यथासाध्य परिशिष्ट XIV के प्ररूप के अनुसार अभिलिखित किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें दण्ड अधिनिर्णीत किया जाए, यथास्थिति, साक्ष्य के सार या अभिलेख या साक्ष्य की संक्षिप्ति के साथ कार्यवाही अगले उच्चतर प्राधिकारी को जज महान्यायवादी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी आफिसर के माध्यम से भेजा जाएगा, जो यदि उसे अधिनिर्णीत किया गया दण्ड अवैध, अन्यायपूर्ण या अत्यधिक प्रतीत होता है तो दण्ड में परिवर्तन कर सकेगा या छूट दे सकेगा या कार्यवाही को अपास्त कर सकेगा या ऐसा अन्य निदेश दे सकेगा जो मामले की परिस्थिति में समुचित हो।

(4) यदि कोई सहायक कमांडर इस नियम के अधीन किए गए विनिश्चय से अपने आप को व्यथित समझता है तो वह अपने कमांडर के माध्यम से एक याचिका मामले के निपटारे के एक मास के भीतर दण्ड अधिनिर्णीत करने वाले प्राधिकारी से वरिष्ठ प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी ऐसा आदेश या निदेश पारित कर सकेगा जो मामले की परिस्थिति में समुचित हो।

42. सहायक कमांडरों के विरुद्ध आरोपों का संक्षिप्त निपटारा:

(1) जहां किसी सहायक कमांडर को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से आरोपित किया गया है वहां उसके विरुद्ध धारा 54 के अधीन सशक्त प्राधिकारी द्वारा नियम 41 में यथाउपबन्धित के अनुसार लगभग उसी रीति से कार्रवाई की जाएगी जो परिस्थितियां स्वीकार करें।

(2) कार्यवाहियों को यथासाध्य परिशिष्ट XIV के प्ररूप के अनुसार अभिलिखित किया जायेगा और ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें दण्ड अधिनिर्णीत किया जाए, यथास्थिति साक्ष्य के सार का अभिलेख या साक्ष्य की संक्षिप्ति के साथ कार्यवाही अगले उच्चतर प्राधिकारी को जज महान्यायवादी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी आफिसर के माध्यम से भेजा जाएगा, जो यदि उसे अधिनिर्णीत किया गया दण्ड अवैध अन्यायपूर्ण या अत्यधिक प्रतीत होता है तो दण्ड में परिवर्तन कर सकेगा या छूट दे सकेगा या कार्यवाही को अपास्त कर सकेगा, या ऐसा अन्य निदेश दे सकेगा जो मामले की परिस्थिति में समुचित होगा।

(3) यदि कोई सहायक कमांडर इस नियम के अधीन किए गए विनिश्चय से अपने आप को व्यथित समझता है तो वह अपने कमांडर के माध्यम से एक याचिका मामले के निपटारे के एक मास के भीतर दण्ड अधिनिर्णीत करने वाले प्राधिकारी से वरिष्ठ प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी ऐसा आदेश या निदेश पारित कर सकेगा जो मामले की परिस्थिति में समुचित हो।

43. किसी दूसरी यूनिट के सम्बद्धता कमांडर किसी मामले में कार्यवाही नहीं करेगा—

(i) जिसमें वह अपराध, जिसका अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है, स्वयं कमांडर के विरुद्ध है, या

(ii) जहां कमांडर अभियुक्त के विरुद्ध मामले में स्वयं साक्षी है, या

(iii) जहां कमांडर मामले में व्यक्तिगत रूप से अन्यथा हितबद्ध है वहां अभियुक्त को सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अधीन मामले के निपटारे के लिए किसी दूसरे ग्रुप या यूनिट या मुख्यालय से सम्बद्ध किया जाएगा:

परन्तु कमांडर केवल इस कारण आरोप की सुनवाई करने से निरर्हित नहीं होगा कि अपराध संस्थापक की उस मेस बैंड या संस्था की जिसका कमांडर सदस्य या न्यासी है संपत्ति के विरुद्ध किया जायेगा या कि अपराध ऐसे कमांडर के आदेशों की अवज्ञा का अपराध है।

44. वे आरोप जिन पर संक्षिप्ततः कार्यवाही नहीं की जानी है :— धारा 15 या धारा 16 के खण्ड (क) और (ख) या धारा 17 या धारा 18 के खण्ड (क) या धारा 20 के खण्ड (क) या धारा 23 के खण्ड (क) या धारा 45 के अधीन (साधारण उपहति या चोरी से भिन्न) किसी अपराध के आरोप या इन अपराधों में से किसी के दुष्प्रेरण करने या दुष्प्रेरण करने के प्रयत्न के आरोप पर संक्षिप्ततः कार्यवाही नहीं की जाएगी।

45. साक्ष्य का अभिलेख :—(1) कमांडर या तो स्वयं साक्ष्य के अभिलेख तैयार कर सकेगा या वह किसी दूसरे आफिसर को ऐसा करने के लिए लगा सकेगा।

(2) साक्षी अपना साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में देंगे और अभियुक्त को उन सब साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार होगा जो उसके विरुद्ध साक्ष्य देते हैं।

(3) अभियुक्त के विरुद्ध सभी साक्षियों की परीक्षा कर लिए जाने के पश्चात् अभियुक्त को निम्नलिखित रूप से सतर्क किया जाएगा: "यदि आप कोई कथन करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप कथन करने के लिए बाध्य नहीं है और आप जो कुछ कहेंगे वह लिख लिया जाएगा और उसका साक्ष्य में प्रयोग किया जा सकेगा"। पूर्वोक्त रीति से सतर्क किए जाने के पश्चात् अभियुक्त जो कुछ कथित करता है वह लिख लिया जाएगा।

(4) अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा में साक्षी बुला सकेगा और साक्ष्य अभिलिखित करने वाला आफिसर कोई भी ऐसा प्रश्न पूछ सकेगा जो ऐसे साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो।

(5) सभी साक्षी शपथ या प्रतिज्ञान पर साक्ष्य देंगे।

परन्तु अभियुक्त से कोई शपथ या प्रतिज्ञान नहीं कराया जाएगा और उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जाएगी।

(6) (क) साक्षियों द्वारा दिए गए कथन सामान्यतः वृत्तांत के रूप में अभिलिखित किए जाएंगे और साक्ष्य अभिलिखित करने वाला आफिसर अभियुक्त के निवेदन पर, साक्ष्य के किसी भाग को प्रश्नोत्तर के रूप में अभिलिखित करने की अनुज्ञा दे सकेगा;

(ख) साक्षियों को उनके कथन पढ़कर सुनाए जाने और स्पष्ट किए जाने के पश्चात् साक्षी उन पर हस्ताक्षर करेंगे।

(7) अधिनियम की धारा 86 के उपबन्ध, साक्ष्य का अभिलेख तैयार करने वाले आफिसर के समक्ष साक्षियों को हाजिर कराने के लिए लागू होंगे। परिशिष्ट XII में दिए गए नमूने के अनुसार साक्षियों को समन किया जाएगा।

(8) जहां किसी साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है या वह उपलब्ध नहीं है या उसे समय या धन के अनुचित व्यय के बिना हाजिर नहीं कराया जा सकता और जहां साक्ष्य अभिलिखित करने वाले आफिसर द्वारा इस निमित्त प्रमाणपत्र दिए जाने के पश्चात् वह ऐसे साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित कथन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जा सकेगा और वह साक्ष्य के अभिलेख में सम्मिलित किया जा सकेगा।

(9) साक्ष्य का अभिलेखन पूरा करने के पश्चात् साक्ष्य अभिलिखित करने वाला आफिसर निम्नलिखित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र देगा :

"प्रमाणित किया जाता है कि----------कमांडर---------- द्वारा आदिष्ट साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति और सुनवाई में लेखबद्ध किया गया था और नियम 45 के उपबन्धों का पालन किया गया है।"

(10) किसी काउन्सेल या विधि व्यवसायी को साक्ष्य अभिलिखित करने वाले आफिसर के समक्ष उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

46. साक्ष्य का सार:—(1) साक्ष्य का सार या तो कमांडर या उसके द्वारा लगाया गया कोई आफिसर तैयार करेगा।

(2) (क) साक्ष्य के सार में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

(i) साक्षियों के हस्ताक्षरित कथन जहां कहीं उपलब्ध हों या उसके सारांश; और

(ii) विचारण में पेश की जाने के लिए आशयित सभी दस्तावेजों की प्रतियां।

(ख) जहां किन्हीं साक्षियों के हस्ताक्षरित कथन उपलब्ध न हों, वहां उनके द्वारा दिए जाने वाले संभावित साक्ष्य का सारांश सम्मिलित होगा।

(3) साक्ष्य का सार तैयार करने वाले आफिसर द्वारा साक्ष्य के सार की एक प्रति अभियुक्त को दी जाएगी और अभियुक्त को, यदि वह चाहता है तो उसे नियम 45 के उपनियम (3) में अधिकथित रीति से सतर्क करने के पश्चात् कथन करने का अवसर दिया जाएगा :

परन्तु अभियुक्त को अपना कथन करने के लिए उतना समय दिया जाएगा जो परिस्थितियों में युक्तियुक्त हो, किन्तु किसी भी दशा में उसे साक्ष्य के सार की प्राप्ति के पश्चात् चौबीस घंटे से कम समय नहीं दिया जाएगा।

47. पुलिस द्वारा मामलों का अन्वेषण—जहां कमांडर ऐसा करना आवश्यक समझता है, वहां वह किसी मामले के अन्वेषण के लिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा सकेगा।

48. साक्ष्य के अभिलेख या सार के पश्चात् कमांडर द्वारा मामले का निपटारा:—(1) जहां साक्ष्य का अभिलेख तैयार करने या उसका सार बनाने का कार्य किसी आफिसर को सौंपा गया हो, वहां वह उसे कमांडर को भेजेगा।

(2) कमांडर स्वयं अपने या किसी दूसरे आफिसर द्वारा तैयार किए गए साक्ष्य के अभिलेख या सार का अवलोकन करने के पश्चात्:—

(i) यदि अपेक्षित हो, मामले को अतिरिक्त साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए प्रतिप्रेषित कर सकेगा; या

(ii) आरोप खारिज कर सकेगा परन्तु जहां वरिष्ठ प्राधिकारी के निर्देश पर किसी आफिसर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरम्भ की गई है, वहां ऐसे प्राधिकारी को निर्देश किए बिना आरोप खारिज नहीं किया जाएगा; या

(iii) आरोप की पुनः सुनवाई कर सकेगा और संक्षिप्त दण्ड में से कोई दण्ड अधिनिर्णीत कर सकेगा; या

(iv) धारा 31 के अधीन अभियुक्त का संक्षिप्त विचारण कर सकेगा या संक्षिप्त सुरक्षक न्यायालय द्वारा विचारण कर सकेगा जहां वह ऐसा करने को सशक्त है, या ;

(v) किसी आफिसर या सहायक कमांडर की दशा में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा संक्षिप्त निपटारे के लिए मामले को प्रतिप्रेषित कर सकेगा ; या

(vi) अभियुक्त के विचारण के लिए न्यायालय संयोजित करने के लिए सक्षम आफिसर या प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

49. न्यायालय के लिए आवेदन:—न्यायालय के लिए आवेदन यथासंभव इन नियमों के परिशिष्ट 5 में दिए गए प्ररूप में कमांडर द्वारा किया जाएगा और उसके साथ साक्ष्य के अभिलेख या सार और आरोप-पत्र की पांच प्रतियां और ऐसे अन्य दस्तावेज होंगे जिनका उस आवेदन के प्ररूप में उल्लेख किया गया है।

अध्याय 8

आरोप और विचारण की पूर्वगामी बातें

50. आरोप-पत्र—(1) आरोप-पत्र में संपूर्ण विवाद्यक या एक ही समय में विचारणीय सभी विवाद्यक होंगे और यदि आरोप उन्हीं तथ्यों पर आधारित है अथवा उसी या वैसे ही स्वरूप के अपराधों की श्रृंखला के भाग रूप हैं तो आरोप-पत्र में एक से अधिक आरोप हो सकेंगे:

परन्तु धारा 18, धारा 19, धारा 28 और धारा 31 के अधीन कोई आरोप किसी आरोप-पत्र में इस बात के होते हुए भी सम्मिलित किया जा सकेगा कि उस आरोप-पत्र में अन्य आरोप उन्हीं तथ्यों पर आधारित नहीं है अथवा उसी या वैसे ही स्वरूप के अपराधों की श्रृंखला के भागरूप नहीं हैं।

(2) प्रत्येक आरोप-पत्र यथासंभव इन नियमों के परिशिष्ट IV में दिए गए नमूने के अनुसार तैयार किया जाएगा।

51. आरोप:—प्रत्येक अपराध के लिए पृथक आरोप होगा।

(2) (क) यदि कोई एक कार्य या कार्यों की श्रृंखला ऐसी प्रकृति की है कि यह संदेह है कि उन तथ्यों से, जो सिद्ध किए जा सकते हैं, कई अपराधों में से कौन सा अपराध बनेगा तो अभियुक्त पर ऐसे सब अपराध या उनमें से कोई करने का आरोप लगाया जा सकेगा और किसी भी संख्या में ऐसे आरोपों का एक साथ सुरंत विचारण किया जा सकेगा; या उस पर उक्त अपराधों में से कोई अपराध करने का अनुकल्पतः आरोप लगाया जा सकेगा।

(ख) अधिक गम्भीर अपराध के आरोप का उल्लेख उससे कम गम्भीर अपराध के आरोप के पहले किया जाएगा।

(3) प्रत्येक आरोप के दो भाग होंगे, अर्थात्:—

(क) अपराध का कथन, और

(ख) अपराध की विशिष्टियां।

(4) यदि अपराध सिविल अपराध नहीं है तो उसका कथन यथा साध्य अधिनियम के निकटतम शब्दों में किया जाएगा और यदि अपराध सिविल अपराध है तो उसका कथन ऐसे शब्दों में किया जाएगा जो उस अपराध का पर्याप्त रूप से वर्णन करते हैं।

(5) (क) विशिष्टियों में अभिकथित अपराध के समय और स्थान का और उस व्यक्ति का (यदि कोई हो) जिसके विरुद्ध अथवा उस वस्तु का (यदि कोई हो) जिसके विषय में वह अपराध किया गया है कथन होगा और ये विशिष्टियां अभियुक्त को उस बात की, जिसका उस पर आरोप है, सूचना देने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

(ख) यदि ऐसी विशिष्टियां अभियुक्त को उस बात की जिसका, उस पर आरोप है, सूचना देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो उस रीति की, जिससे अपराध किया गया था, ऐसी विशिष्टियां भी जो उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त हैं, आरोप में अन्तर्विष्ट होंगी।

52. संयुक्त आरोप:—(1) कितनी भी संख्या में अभियुक्तों पर किसी ऐसे अपराध का जिसके बारे में यह प्रकथित है कि वह उन्होंने संयुक्त रूप से किया है, संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा और उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा।

(2) कितनी भी संख्या में अभियुक्तों का ऐसे अपराध के लिए, जिसके बारे में यह प्रकथित है कि वह उनमें से एक या अधिक द्वारा किया गया है और दूसरे या दूसरों द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है, एक साथ विचारण भी किया जा सकेगा भले ही उस पर संयुक्त रूप से आरोप नहीं लगाया गया है।

(3) जहां अभियुक्तों पर उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन इस प्रकार आरोप लगाया जाता है वहां उनमें से एक या अधिक पर किसी अन्य अपराध, का जिसका उन पर नियम 50 के उपनियम (1) के अधीन आरोप लगाया जा सकता था, आरोप लगाया जा सकेगा।

53. आरोप-पत्र की विधिमान्यता :—आरोप-पत्र केवल इस तथ्य के कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि उसमें अभियुक्त के नाम या वर्णन में कोई भूल है और आरोप-पत्र का अर्थ लगाने में, ऐसी प्रत्येक प्रतिपादना की, जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह उपधारण की जा सकती है कि वह उसमें व्यक्त न होते हुए भी विवक्षित रूप से उसमें सम्मिलित है, उसका समर्थन करने के पक्ष में उपधारणा की जाएगी और अपराध का कथन तथा अपराध की विशिष्टियां एक साथ पढी जाएंगी और उनका एक साथ अर्थ लगाया जाएगा।

54. संरक्षक न्यायालय द्वारा आरोप का संशोधन:—(1) यदि विचारण के दौरान किसी समय न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि आरोप-पत्र में :—

(क) अभियुक्त के नाम या वर्णन में कोई भूल है, या

(ख) कोई ऐसी भूल है तो लेखन गलती या लोप के कारण हुई मानी जा सकती है,

तो न्यायालय उस भूल को सुधारने के लिए आरोपपत्र का संशोधन कर सकेगा।

(2) यदि विचारण के दौरान, जिसमें जज अटर्नी है, किसी समय न्यायालय को अपने निष्कर्षों पर विचार-विमर्श की समाप्ति से पूर्व यह प्रतीत होता है कि किसी आरोप में कोई परिवर्तन, उससे लोप या उसमें परिवर्तन, जो इस नियम के उपनियम (1) के अधीन नहीं किया जा सकता, करना न्याय के हित में वांछनीय है तो वह उस दशा में जब ऐसा परिवर्धन लोप या परिवर्तन अभियुक्त के प्रति अऋजुता के बिना किया जा सकता है, जज अटर्नी की सहमति से आरोप का इस प्रकार संशोधन कर सकेगा।

(3) यदि विचारण के दौरान, जिसमें कोई जज अटर्नी नहीं है किसी समय न्यायालय को अपने निष्कर्षों पर विचार विमर्श की समाप्ति से पूर्व यह प्रतीत होता है कि किसी आरोप में कोई परिवर्धन, उससे लोप या उसमें परिवर्तन, जो इस नियम के उपनियम (1) के अधीन नहीं किया जा सकता, करना न्याय के हित में वांछनीय है तो वह स्थगित हो सकेगा और संयोजक आफिसर को अपनी राय की रिपोर्ट भेज सकेगा और संयोजक आफिसर —

(क) यदि नियम 55 के अधीन अनुज्ञेय है तो अपराध का संशोधन कर सकेगा और अभियुक्त को संशोधन की सम्यक् सूचना देने के पश्चात् संशोधित रूप में उसका विचारण करने के लिए न्यायालय को निदेश दे सकेगा; या

(ख) आरोप का संशोधन किए बिना उसका विचारण करने के लिए न्यायालय को निदेश दे सकेगा; या

(ग) अभियुक्त के विचारण के लिए नया न्यायालय संयोजित कर सकेगा।

55. संयोजक आफिसर द्वारा आरोप का संशोधन—जब कोई सुरक्षक न्यायालय नियम 54 या नियम 70 के अधीन संयोजक आफिसर को रिपोर्ट भेजा है, तब वह उस आरोप का, जिसकी बाबत न्यायालय ने रिपोर्ट भेजी है ऐसे परिवर्धन लोप या परिवर्तन द्वारा संशोधन कर सकेगा जो उसकी राय में न्याय के हित में वांछनीय है और जिसके बारे में उसका यह समाधान हो गया है कि वह अभियुक्त के प्रति अऋजुता के बिना किया जा सकता है।

जनरल और पैटी सुरक्षक न्यायालय का संयोजन

56. न्यायालय संयोजित करने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई (i) जैसे ही वरिष्ठ आफिसर न्यायालय संयोजित करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त करता है, वह जहां आवश्यक हो वहां जज अटर्नी जनरल या ऐसे आफिसर के साथ जिसे जज अटर्नी जनरल द्वारा इस प्रयोजन के लिए लगाया गया है, के परामर्श से अभियुक्त के विरुद्ध आरोप और साक्ष्य की संवीक्षा करेगा और, वह :—

(i) जहां अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य अपर्याप्त है और अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है, कमांडर को आरोप खारिज करने के लिए निदेश देगा और यदि वह विचारण प्रारम्भ करना उपयुक्त नहीं समझता है तो आरोप खारिज करने के लिए निदेश दे सकेगा, या

(ii) संक्षिप्त सुरक्षक न्यायालय द्वारा विचारण के लिए या संक्षेपत : कार्रवाई करने के लिए मामला कमांडर को उस दशा में वापस कर सकेगा जब उसका विचार है कि उसका इस प्रकार पर्याप्त रूप से विचारण किया जा सकता है या कार्रवाई की जा सकती है ; या

(iii) मामले का प्रशासनिक रूप से निपटारा कर सकेगा और यदि वह ऐसा करने को सक्षम नहीं है तो अपनी रिफारिशों के साथ उच्चतर प्राधिकारी के पास मामले को भेज सकेगा; या

(iv) अतिरिक्त साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए मामला उस दशा में वापस कर लेगा जब उसका विचार है कि अभिलिखित साक्ष्य अपर्याप्त है किन्तु अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध हो सकेगा।

(2) (क) किसी अन्य मामले में यह या तो न्यायालय का संयोजन स्वयं कर सकेगा या यदि उसका यह विचार है कि उच्चतर किस्म के न्यायालय का संयोजन किया जाना चाहिए और वह ऐसा न्यायालय संयोजित करने के लिए सशक्त नहीं है तो वह इस सिफारिश के साथ कि ऐसे न्यायालय का संयोजन किया जाए, मामला उच्चतर प्राधिकारी को भेज सकेगा।

(ख) उच्चतर प्राधिकारी, मामला प्राप्त होने पर, इस नियम के उपनियम (1) दी गई शक्तियों में से किसी का प्रयोग कर सकेगा :

परन्तु यवरिष्ठ आफिसर या उच्चतर प्राधिकारी, जनरल सुरक्षक न्यायालय या पैटी सुरक्षक न्यायालय का संयोजन करने से पूर्व जज अटर्नी जनरल या ऐसे आफिसर की जिसे जज अटर्नी जनरल द्वारा इस प्रयोजन के लिए लगाया गया है, सलाह लेगा :

परन्तु यह और कि वरिष्ठ आफिसर या उच्चतर प्राधिकारी न्यायालय को संयोजन करते समय, ऐसा आरोप पत्र पुन : विरचित कर सकेगा जिस पर अभियुक्त का विचारण किया जाना है।

57. जनरल और पैटी सुरक्षक न्यायालय में सेवा करने से आफिसरों की निरर्हितता—कोई आफिसर, न्यायालय में सेवा करने के लिए निरर्हित होगा यदि :—

(i) वह ऐसा आफिसर है जिसने न्यायालय को संयोजित किया है; या

(ii) वह अभियोजक है या अभियोजन का साक्षी है; या

(iii) उसने मामले के अन्वेषण में ऐसा भाग लिया है जिसके कारण उसे साक्ष्य के किसी भाग पर या मामले के तथ्यों पर अपना दिमाग लगाना आवश्यक हो गया था; या

(iii) वह अभियुक्त का कमांडर है या उपमहानिरीक्षक जिसके कमान के अधीन वह यूनिट भी जिसमें अभियुक्त द्वारा अधिकथित अपराध किया गया था, सेवारत था

(v) उसका मामले में कोई व्यक्तिगत हित है।

58. जनरल और पैटी सुरक्षक न्यायालयों का गठन—

(1) न्यायालय, यथासाध्य विभिन्न यूनिटों के आफिसरों से मिलकर गठित होगा।

(2) किसी आफिसर के विचारण के लिए न्यायालय के सदस्य उस आफिसर की रैंक से निम्नतर रैंक के नहीं होंगे जब तक संयोजन आफिसर की राय में, ऐसे रैंक के आफिसर, लोग सेवा की अत्यावश्यकताओं का सम्यक ध्यान रखते हुए उपलब्ध नहीं है, ऐसी राय संयोजन आदेश में अभिलिखित की जाएगी।

59. न्यायालयों का संयोजन करते समय संयोजक आफिसर के कर्तव्य—जब कोई आफिसर किसी न्यायालय का संयोजन करता है, तब वह:—

(क) परिशिष्ट 6 में दिए गए समुचित प्ररूप में संयोजन आदेश जारी करेगा;

(ख) यह निदेश देगा कि अभियुक्त का किन आरोपों पर विचारण किया जाना है और यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त का इन आरोपों पर न्यायालय द्वारा विचारण के लिए उसके कमांडर द्वारा प्रतिप्रेषण कर दिया गया है;

(ग) यदि उसकी यह राय है कि आरोप पृथक आरोपपत्र में सम्मिलित किए जाए, तो ऐसा निदेश देगा और यह निदेश भी देगा कि उनका विचारण किस क्रम से किया जाना है,

(घ) यदि एक से अधिक अभियुक्त है तो यह निदेश देगा कि अभियुक्तों का विचारण संयुक्तत: किया जाना है या पृथकत:;

(ङ) न्यायालय के सदस्यों और किन्हीं प्रतीक्षा सदस्यों की नियुक्ति करेगा;

(च) यदि

जनरल सुरक्षक न्यायालय का या पेटी सुरक्षक न्यायालय का जिसके बारे में वह समझता है कि उसमें जज अटर्नी को हाजिर होना चाहिए, संयोजन करता है, तो जज अटर्नी जनरल द्वारा या उसकी ओर से जज अटर्नी की नियुक्ति कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और ऐसे आफिसर को भी नियुक्त कर सकेगा जो विचारण के समय उसके अनुदेश के अधीन वहां रहे;

(छ) अभियोजन करने के लिए अधिनियम के अधीन के किसी आफिसर की या ऐसे आफिसर द्वारा सहायता प्राप्त किसी काउन्सेल की नियुक्ति करेगा:

परन्तु यदि संयोजक आफिसर ठीक समझता है तो वह अभियोजन करने के लिए एक से अधिक ऐसे आफिसर नियुक्त कर सकेगा;

(ज) जहां कहीं आवश्यक हो एक दुभाषिए की नियुक्ति करेगा;

(झ) वरिष्ठ सदस्य को आरोप-पत्र, संयोजन आदेश और अभिलेख या साक्ष्य के सार की एक प्रति भेजेगा जिसमें से वह साक्ष्य निकाल दिया गया है, जिसके बारे में उसकी राय है कि वह विचारण में अग्राह्य होगा;

(ञ) न्यायालय के प्रत्येक सदस्य को और प्रत्येक प्रतीक्षा सदस्य को आरोप पत्र और संयोजन आदेश की एक प्रति भेजेगा;

(ट) अभियोजक को आरोप पत्र और संयोजन आदेश की प्रतियां और मूल अभिलेख या साक्ष्य का सार, उसकी अशोधित प्रति के साथ भेजेगा जिसमें वे लेखांश (यदि कोई है) दर्शित होंगे जो वरिष्ठ सदस्य को भेजी गई प्रति में से निकाल दिए गए हैं;

(ठ) जज अटर्नी को (यदि कोई है) आरोपपत्र और संयोजन आदेश की प्रतियां और अभिलेख या साक्ष्य के सार की संशोधित प्रति भेजेगा, जिसमें वे लेखांश (यदि कोई है) दर्शित होंगे जो वरिष्ठ सदस्य को भेजी गई प्रति में से निकाल दिए गए हैं;

(ड) यह सुनिश्चित करेगा कि कमांडर ने सब अभियोजन साक्षियों को और ऐसे प्रतिरक्षा साक्षियों को समन किया है जिन्हें समन करने के लिए अभियुक्त ने नियम 61 के अधीन निवेदन किया हो।

60. अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा की तैयारी—(1) ऐसे अभियुक्त को जिसको विचारण के लिए प्रतिप्रेषित किया गया है, अपनी प्रतिरक्षा तैयार करने का समुचित अवसर दिया जायेगा और उसे अपने प्रतिरक्षा आफिसर या काउन्सेल के साथ और अपने साक्षियों के साथ उचित संपर्क करने दिया जाएगा।

(2) किसी ऐसे अभियुक्त को, जिसको विचारण के लिए प्रतिप्रेषित किया गया है, प्रतिरक्षा के लिए यथासंभव अभियुक्त की इच्छानुसार प्रतिरक्षा आफिसर की नियुक्ति की जाएगी जब तक कि अभियुक्त लिखित में यह कथित नहीं करता कि वह ऐसी नियुक्ति किए जाने का इच्छुक नहीं है।

(3) यदि अभियोजन, वैध रूप से अर्ह आफिसर या काउन्सेल द्वारा किया जाता है तो अभियुक्त को पर्याप्त समय पहले यह तथ्य सूचित किया जाएगा जिससे कि यदि वह चाहे तो अपनी प्रतिरक्षा के लिए वैध रूप से अर्ह आफिसर या काउन्सेल की व्यवस्था कर सके।

(4) अभियुक्त का विचारण करने का विनिश्चय करने के पश्चात यथासाध्य शीघ्र और किसी भी दशा में उसके विचारण से कम से कम चार दिन पूर्व उसे—

(क) आरोप पत्र की एक प्रति दी जाएगी;

(ख) अभिलेख या साक्ष्य के सार की एक अशोधित प्रति दी जाएगी जिसमें वे लेखांश (यदि कोई हैं) दर्शित होंगे जो वरिष्ठ सदस्य को भेजी गई प्रति में से निकाल दिए गए हैं;

(ग) ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य की सूचना दी जाएगी जो अभियोजन देना चाहता है; और

(घ) यदि अभियुक्त ऐसी अपेक्षा करता है तो उन सदस्यों के जिनसे मिलकर न्यायालय का गठन होगा, और प्रतीक्षा सदस्यों के रैंकों, नामों और यूनिटों की सूची दी जाएगी।

(5) जब किसी अभियुक्त को इस नियम के अनुसार आरोप पत्र की और अभिलेख या साक्ष्य के सार की प्रति दी जाए तब:—

(क) वह आरोप को स्पष्ट कराएगा; और (ख) उसे सूचित किया जाएगा कि उससे विचारण से कम से कम चौबीस घंटे पूर्व कमांडर को उसके द्वारा लिखित आवेदन किए जाने पर, जिसमें (अभियोजन के साक्षी से भिन्न) किसी ऐसे साक्षी की, जिसे वह अपनी प्रतिरक्षा में बुलाना चाहता है (ऐसे साक्षी का उसके द्वारा नाम दिया जाएगा, उसके विचारण में हाजिरी की अपेक्षा की गई हो, उसके विचारण में ऐसे साक्षी को हाजिर कराने के लिए इन नियमों के अनुसार युक्तियुक्त कदम उठाए जाएंगे।

(6) उपनियम (2) और (3) के उपबंध सेनरी सुरक्षक न्यायालय के समक्ष विचारण के संबंध में लागू नहीं होंगे और ऐसे विचारण के संबंध में चार दिन की उस अवधि का अर्थ, जो उपनियम (4) में निर्दिष्ट है, चौबीस घंटे लगाया जाएगा।

61. प्रतिरक्षा साक्षियों को समन करना.—(1) उपनियम (2) और (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कमांडर अभियुक्त द्वारा इस निमित्त निवेदन किए जाने पर उन साक्षियों को समन करेगा जो अभियुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए।

(2) जहां कमांडर का यह समाधान हो जाता है कि किसी साक्षी द्वारा दिए जाने वाले साक्ष्य से विचारण में कोई तात्विक सहायता दि ने की संभावना नहीं है, वहां वह ऐसे साक्षी को समन करने से इंकार कर सकेगा। और ऐसा करते हुए वह साक्षियों को नहीं बुलाने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

(3) कमांडर किसी साक्षी को समन करने से पूर्व अभियुक्त से ऐसे साक्षी की हाजिरी के व्यय को पूरा करने की या पूरा करने का जिम्मा लेने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि अभियुक्त पूर्वोक्त व्यय को पूरा करने से या पूरा करने का जिम्मा लेने से इंकार करता है तो कमांडर उस साक्षी को हाजिर कराने से इंकार कर सकेगा।

(4) जहां कमांडर ने साक्षी को समन करने से उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन इंकार कर दिया है, वहां अभियुक्त ऐसे साक्षी को समन करने के लिए न्यायालय को आवेदन कर सकेगा और न्यायालय, यदि वह न्याय के हित में ऐसा करना समीचीन समझता है, तो ऐसे साक्षी को समन करने का आदेश दे सकेगा और यदि आवश्यक हो तो ऐसे साक्षी की हाजिरी के लिए कार्रवाही स्थगित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण साक्षियो को समन करने के लिए परिशिष्ट 15 में दिए गए नमूने के अनुसार समन जारी किए जाएंगे।

अध्याय 9

साधारण और पैटी सुरक्षक न्यायालयों के लिए प्रक्रिया

62. न्यायालय का समवेत होना और शपथ लेना :—(1) सुरक्षक न्यायालय के समवेत होने पर न्यायालय विचारण आरंभ करने से पूर्व बंद न्यायालय में अपना समाधान करेगा कि :—

(क) न्यायालय अधिनियम और इन नियमों के अनुसार संयोजित किया गया है ;

(ख) न्यायालय जिन आफिसरों से मिलकर बना है उनकी संख्या विधि द्वारा अपेक्षित आफिसरों की न्यूनतम संख्या से कम नहीं है।

(ग) सदस्य अपेक्षित रैंक के हैं।

(घ) सदस्यों की सम्यक् रूप से नियुक्ति की गई है और वे अधिनियम के अधीन निरर्हित नहीं हैं;

(ङ) यदि कोई जज अटर्नी है तो उसकी नियुक्ति सम्यक् रूप से की गई है;

(च) आरोप-पत्र से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त अधिनियम के अधीन का है और न्यायालय की अधिकारिता के अधीन है; और

(छ) प्रत्येक आरोप विधि की दृष्टि से सही है और इन नियमों के अनुसार विरचित किया गया है।

(2) (क) जहां कोई रिक्ति, न्यायालय के किसी सदस्य के अधिनियम के अधीन निरर्हित होने या न्यायालय के समवेत होने पर उसके अनुपस्थित रहने के कारण होती है वहां पीठासीन आफिसर उस रिक्ति को भरने के लिए सम्यकतः अर्हित प्रतीक्षा सदस्य को नियुक्त कर सकेगा।

(ख) पीठासीन आफिसर, यदि न्याय के हित में ऐसा अपेक्षित हो तो, संयोजक आफिसर द्वारा नियुक्त किसी सदस्य के स्थान पर सम्यकतः अर्हित प्रतीक्षा सदस्य को प्रतिस्थापित कर सकेगा।

(3) यदि न्यायालय का उपनियम (1) में उल्लिखित विषयों में से किसी के संबंध में समाधान नहीं होता है और अधिनियम या इन नियमों के अधीन ऐसे विषयों का वह स्वयं परिशोधन करने के लिए सक्षम नहीं है तो वह विचारण प्रारंभ करने से पूर्व उस संबंध में संयोजक आफिसर को रिपोर्ट भेजेगा।

(4) जब न्यायालय ने इस नियम का अनुपालन कर लिया है और विचारण प्रारंभ करने के लिए तैयार है, तब पीठासीन आफिसर न्यायालय की कार्यवाही आरंभ करेगा और विचारण आरंभ होगा।

63. विचारण का प्रारंभ :—(1) न्यायालय संयोजित करने का आदेश और अभियुक्त का विचारण करने के लिए नियुक्त आफिसरों के नाम अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाएंगे, जिसे उन आफिसरों में से किसी पर अधिनियम की धारा 81 के अनुसार आक्षेप करने का अवसर दिया जाएगा।

(2) जब न्यायालयों को एक से अधिक अभियुक्तों का पृथकतः या संयुक्ततः विचारण करना है तब प्रत्येक अभियुक्त को न्यायालयासीन किसी आफिसर के बारे में पूर्वगामी उपनियम के अनुसार आक्षेप करने का अवसर दिया जाएगा और उनसे अलग अलग पूछा जाएगा कि क्या वे कोई ऐसा आक्षेप करते हैं।

(3) अभियुक्त, किसी आक्षेप के निपटाए जाने के पूर्व, उन सब आफिसरों के नाम बताएगा जिनके बारे में वह आक्षेप करता है।

(4) यदि एक से अधिक आफिसरों के बारे में आक्षेप किया जाता है तो प्रत्येक आफिसर के बारे में आक्षेप पृथक रूप से निपटाया जाएगा और सबसे छोटे रैंक वाले आफिसर के बारे में आक्षेप को सबसे पहले निपटाया जाएगा।

(5) अभियुक्त कोई कथन कर सकेगा और अपने आक्षेप के समर्थन में कथन करने के लिए किसी व्यक्ति को बुला सकेगा।

(6) ऐसा कोई आफिसर जिसके बारे में अभियुक्त ने आक्षेप किया है, वह अभियुक्त के आक्षेप से सुसंगत किसी बात का कथन खुले न्यायालय में कर सकेगा चाहे वह उसके समर्थन में हो या उसके खंडन में।

(7) किसी आफिसर के बारे में आक्षेप पर विचार न्यायालयासीन सभी अन्य आफिसरों द्वारा बंद न्यायालय में किया जाएगा और वह आफिसर जिसके बारे में आक्षेप किया गया है उस समय उपस्थित नहीं रहेगा।

(8) जब किसी आफिसर के बारे में कोई आक्षेप धारा 81 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात किया जाता है तब वह आफिसर तत्काल निवृत्त हो जाएगा और कार्यवाहियों में आगे कोई भाग नहीं लेगा।

(9) जब कोई आक्षेपित आफिसर निवृत्त हो जाता है और सम्यकतः अर्हित प्रतीक्षा सदस्य हाजिर है तब पीठासीन आफिसर उस आफिसर का, जो निवृत्त हो गया है, स्थान ग्रहण करने के लिए उसकी तत्काल नियुक्ति करेगा।

(10) न्यायालय अपना यह समाधान करेगा कि ऐसा कोई प्रतीक्षा सदस्य, जो न्यायालय के सदस्य का स्थान ग्रहण करता है, अपेक्षित रैंक का है और अधिनियम के अधीन निरर्हित नहीं है तो अभियुक्त को उसके बारे में आक्षेप करने का अवसर देगा और ऐसे किसी आक्षेप के संबंध में अधिनियम और इन नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

(11) यदि किसी सदस्य के बारे में कोई आक्षेप अनुज्ञात किए जाने के परिणामस्वरूप, अधिनियम के अनुपालन में न्यायालय का गठन करने के लिए आफिसर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो न्यायालय आगे विचारण के लिए अग्रसर हुए बिना संयोजक आफिसर को रिपोर्ट करेगा और संयोजक आफिसर या तो उस रिक्ति को भरने के लिए किसी आफिसर को सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगा या अभियुक्त के विचारण के लिए या नया न्यायालय संयोजित कर सकेगा।

64. सदस्यों का शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना—जैसे ही न्यायालय समुचित संख्या में ऐसे आफिसरों से, जिन पर आक्षेप नहीं किया गया है या जिनके बारे में आक्षेप नामंजूर कर दिए गए हैं, गठित हो जाता है वैसे ही प्रत्येक सदस्य को अभियुक्त की उपस्थिति में निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में या समान आशय के ऐसे अन्य प्रारूप में जैसा न्यायालय उस सदस्य के धर्म के अनुसार या अन्यथा उसके अंतःकरण पर आबद्ध कर अभिनिश्चित करता है, शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा।

शपथ का प्ररूप

"मैं————————सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं न्यायालय के सामने अभियुक्त (या अभियुक्तों) का साक्ष्य के अनुसार भलीभांति और सच्चाई से विचारण करूंगा और मैं पक्षपात अनुग्रह या स्नेह के बिना, राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 के अनुसार, सम्यक् रूप से न्याय करूंगा और मैं यह शपथ भी लेता हूं कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारण से, किसी भी समय, इस न्यायालय के किसी सदस्य विशेष का मत या राय प्रकट नहीं करूंगा या उसका पता नहीं लगाऊंगा।"

प्रतिज्ञान का प्ररूप

"मैं.....सत्यनिष्ठा, सद्भाव और सच्चाई से घोषणा करता हूं और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं न्यायालय के समक्ष अभियुक्त (या अभियुक्तों) का साक्ष्य के अनुसार भलीभांति और सच्चाई से विचारण करूंगा और मैं पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के बिना राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 के अनुसार सम्यक् रूप से न्याय करूंगा और मैं सत्यनिष्ठा, सद्भाव और सच्चाई से यह घोषणा और प्रतिज्ञान भी करता हूं कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारण से, किसी भी समय, इस न्यायालय के किसी सदस्य विशेष का मत या राय प्रकट नहीं करूंगा या उसका पता नहीं लगाऊंगा।"

65. जज अटर्नी और अन्य आफिसरों का शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना.—न्यायालय के सभी सदस्यों को शपथ दिलाए जाने और प्रतिज्ञान कराए जाने के पश्चात् निम्नलिखित व्यक्तियों को, या उनमें से जो न्यायालय में उपस्थित हैं, निम्नलिखित प्ररूपों में से ऐसे प्ररूप में, जो उचित हो या समान आशय के ऐसे अन्य प्ररूप में जैसा न्यायालय शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने वाले व्यक्ति के धर्म के अनुसार या अन्यथा उसके अंतःकरण पर आबद्धकर अभिनिश्चित करता है, शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा।

जज अटर्नी

शपथ का प्ररूप

"मैं.....सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपनी सर्वोत्तम योग्यता से राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार और पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के बिना जज अटर्नी के कर्तव्यों का पालन करूंगा और मैं यह शपथ भी लेता हूं कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारण, से किसी भी समय, किसी विषय पर इस न्यायालय के किसी सदस्य विशेष का मत या राय प्रकट नहीं करूंगा या उसका पता नहीं लगाऊंगा।"

प्रतिज्ञान का प्ररूप

"मैं.....सत्यनिष्ठा, सदाभाव और सच्चाई से घोषणा करता हूं और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं अपनी सर्वोत्तम योग्यता से राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार और पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के बिना जज अटर्नी के कर्त्तव्यों का पालन करूंगा और मैं सत्यनिष्ठा, सद्भाव और सच्चाई से यह घोषणा और प्रतिज्ञान भी करता हूं कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारण से किसी भी समय किसी विषय पर इस न्यायालय के किसी सदस्य विशेष का मत या राय प्रकट नहीं करूंगा या उसका पता नहीं लगाऊंगा।"

(ख) अनुदेश के प्रयोजन के लिए हाजिर रहने वाला आफिसर

शपथ का प्ररूप

"मैं.....सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जब तक कि किसी न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारण से, किसी भी समय, इस न्यायालय के किसी सदस्य विशेष का मत या राय प्रकट नहीं करूंगा या उसका पता नहीं लगाऊंगा।"

प्रतिज्ञान का प्रारूप

"मैं सत्यनिष्ठा, सद्भाव और सच्चाई से घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारण से, किसी भी समय, इस न्यायालय के किसी सदस्य विशेष का मत या राय प्रकट नहीं करूंगा या उसका पता नहीं लगाऊंगा।"

(ग) आशुलिपिक

शपथ का प्ररूप

"मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपनी सर्वोत्तम शक्ति से इस न्यायालय के समक्ष दिए जाने वाले साक्ष्य और किसी ऐसे अन्य बातों को, जिन्हें लिखने की मुझसे अपेक्षा की जाए, सच्चाई से लिखूंगा और जब अपेक्षा की जाए न्यायालय को उसकी सच्ची अनुलिपि दूंगा।"

प्रतिज्ञान का प्ररूप

"मैं सत्यनिष्ठा, सद्भाव और सच्चाई से घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं अपनी सर्वोत्तम शक्ति से इस न्यायालय के समक्ष दिए जाने वाले साक्ष्य और ऐसी अन्य बातों को, जिन्हें लिखने की मुझसे अपेक्षा की जाए, सच्चाई से लिखूंगा और जब अपेक्षा की जाए, न्यायालय को उसकी सच्ची अनुलिपि दूंगा।"

(घ) दुभाषिया

शपथ का प्ररूप

"मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं इस न्यायालय के समक्ष मामले से संबंधित ऐसी किसी बात का, जिसका भाषान्तर और अनुवाद करने की मुझसे अपेक्षा की जाए, निष्ठापूर्वक भाषांतर और अनुवाद करूंगा।"

प्रतिज्ञान का प्ररूप

"मैं सत्यनिष्ठा, सद्भाव और सच्चाई से घोषणा करता हूं और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं इस न्यायालय के समक्ष मामले से संबंधित ऐसी किसी बात का, जिसका भाषांतर और अनुवाद करने की मुझसे अपेक्षा की जाए, निष्ठापूर्वक भाषान्तर और अनुवाद करूंगा।"

66. दुभाषिए या आशुलिपिक के बारे में आक्षेप—यदि किसी व्यक्ति के बारे में अभियुक्त द्वारा कोई आक्षेप किया जाता है तो उसे दुभाषिए या आशुलिपिक के रूप में तब तक शपथ नहीं दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान नहीं कराया जाएगा जब तक कि न्यायालय, अभियुक्त और अभियोजक की सुनवाई के पश्चात् ऐसे आक्षेप को अयुक्तियुक्त के रूप में नामंजूर नहीं कर देता है।

67. जज अटर्नी और अभियोजक के बारे में आक्षेप—अभियुक्त को जज अटर्नी या अभियोजक के बारे में कोई आक्षेप करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

68. दोषारोपण—(1) जब न्यायालय और जज अटर्नी (यदि कोई है) को शपथ दिलाई गई है, अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि वह आरोप या आरोपों का दोषी होने का अभिवाक् करता है या दोषी न होने का अभिवाक् करता है।

(2) यदि अभियुक्त के विरुद्ध एक से अधिक आरोप हैं तो उससे प्रत्येक आरोप के बारे में पृथकतः अभिवाक् करने की अपेक्षा की जाएगी।

(3) यदि अभियुक्त के विरुद्ध एक से अधिक आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष हैं तो वह ऐसे आरोप पत्रों में से पहले आरोप पत्र के आरोपों के संबंध में कार्यवाही करेगा और उस पर अपने निष्कर्ष सुनाएगा और यदि अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवचन किया है तो वह किसी पश्चात्वर्ती आरोप पत्र के आरोपों पर उसका दोषारोपण करने से पूर्व नियम 75 का अनुपालन करेगा।

69. अधिकारिता के संबंध में अभिवाक्:—(1) अभियुक्त आरोप के संबंध में अभिवचन करने से पूर्व न्यायालय की अधिकारिता के बारे में अभिवचन कर सकेगा और ऐसी दशा में:—

(क) अभियुक्त अभिवचन के समर्थन में साक्ष्य पेश कर सकेगा और अभियोजक उसके उत्तर में साक्ष्य पेश कर सकेगा, और

(ख) अभियोजन अभिवचन के उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा।

(2) यदि न्यायालय अभिवचन अनुज्ञात करता है, तो वह स्थगित हो जाएगा और संयोजक आफिसर को रिपोर्ट भेजेगा।

(3) जब न्यायालय इस नियम के अधीन संयोजक आफिसर को रिपोर्ट करता है तब संयोजक आफिसर:—

(क) यदि वह अभिवचन अनुज्ञात करने के न्यायालय के विनिश्चय का अनुमोदन करता है तो न्यायालय का विघटन कर देगा;

(ख) यदि वह न्यायालय के विनिश्चय का अनुमोदन कर देता है तो वह या तो—

(i) मामला न्यायालय को वापस निर्देशित करेगा और उसे विचारण के लिए अग्रसर होने का निदेश करेगा, या

(ii) अभियुक्त के विचारण के लिए नया न्यायालय संयोजित करेगा।

70. आरोप के बारे में आक्षेप—(1) कोई अभियुक्त आरोप पर अभिवचन करने से पूर्व उस पर इस आधार पर आक्षेप कर सकेगा

कि यह विधि की दृष्टि से सही नहीं है या उसकी विरचना इन नियमों के अनुसार नहीं की गई है और यदि वह ऐसा करता है तो अभियोजक आक्षेप के उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा।

(2) यदि न्यायालय आक्षेप को कायम रखता है तो वह या तो आरोप का, यदि नियम 54 के अधीन अनुज्ञेय है तो, संशोधन करेगा या स्थगित हो जाएगा और संयोजक आफिसर को रिपोर्ट भेजेगा :

परन्तु यदि न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा आरोप या आरोप पत्र है तो न्यायालय इस नियम के अधीन स्थगित होने से पूर्व ऐसे अन्य आरोप या आरोप-पत्र के विचारण के लिए अग्रसर हो सकेगा।

(3) जब न्यायालय इस नियम के अधीन संयोजक आफिसर को रिपोर्ट भेजता है तब संयोजक आफिसर--

(क) यदि वह न्यायालय के आक्षेप अनुज्ञात करने के विनिश्चय का अनुमोदन करता है तो--

(i) न्यायालय का विघटन कर देगा; या

(ii) जहां न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा आरोप या आरोप-पत्र है जिसका न्यायालय ने विचारण नहीं किया है वहां वह केवल ऐसे अन्य आरोप या आरोप-पत्र के विचारण के लिए अग्रसर होने के लिए न्यायालय को निदेश देगा; या

(iii) ऐसे आरोप को, जिससे आक्षेप का संबंध है, यदि नियम 55 के अधीन अनुज्ञेय है तो संशोधन करेगा और उसका संशोधित रूप में विचारण करने के लिए न्यायालय को निदेश देगा;

(ख) यदि वह न्यायालय के आक्षेप अनुज्ञात करने के विनिश्चय का अनुमोदन कर देता है, तो--

(i) आरोप के विचारण के लिए न्यायालय को निदेश देगा, या

(ii) जहां न्यायालय के सक्षम कोई दूसरा आरोप या आरोप पत्र है या जिसके संबंध में आक्षेप नहीं है और जिसका न्यायालय ने विचारण नहीं किया है, वहां वह केवल ऐसे अन्य आरोप या आरोप-पत्र के विचारण के लिए अग्रसर होने के लिए न्यायालय को निदेश देगा, या

(iii) अभियुक्त के विचारण के लिए नया न्यायालय संयोजित करेगा।

71. विचारण के वर्जन का अभिवचन :--(1) कोई अभियुक्त आरोप पर अभिवचन करने से पूर्व यह अभिवचन कर सकेगा कि विचारण धारा 72 या धारा 73 के अधीन वर्जित है। यदि वह ऐसा करता है, तो--

(क) अभियुक्त अभिवचन के समर्थन में साक्ष्य पेश कर सकेगा और अभियोजक उसके उत्तर में साक्ष्य पेश कर सकेगा, और

(ख) अभियोजक अभिवचन के उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा।

(2) यदि न्यायालय अभिवचन अनुज्ञात करता है तो वह स्थगित हो जाएगा और संयोजक आफिसर को रिपोर्ट करेगा :--

परन्तु यदि न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा आरोप या आरोप-पत्र है तो न्यायालय, इस नियम के अधीन स्थगित करने से पूर्व ऐसे अन्य आरोप या आरोप-पत्र के विचारण के लिए अग्रसर हो सकेगा।

(3) जब न्यायालय इस नियम के अधीन संयोजक आफिसर को रिपोर्ट भेजता है, तब संयोजक आफिसर--

(क) यदि वह अभिवचन अनुज्ञात करने के न्यायालय के विनिश्चय का अनुमोदन करता है, तो—

(i) न्यायालय का विघटन कर देगा; या

(ii) जहां न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा आरोप या आरोप-पत्र है, जिसके संबंध में अभिवचन नहीं है और जिसका न्यायालय ने विचारण नहीं किया है, वहां वह केवल ऐसे अन्य आरोप या आरोप-पत्र के विचारण के लिए अग्रसर होने के लिए न्यायालय को निदेश देगा।

(ख) यदि वह अभिवचन मंजूर करने के न्यायालय के विनिश्चय का अनुमोदन कर देता है, तो—

(i) आरोप के विचारण के लिए न्यायालय को निदेश देगा, या

(ii) जहां न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा आरोप या आरोप-पत्र है जिसके संबंध में अभिवचन नहीं है और जिसका न्यायालय ने विचारण नहीं किया है, वहां वह केवल ऐसे अन्य आरोप या आरोप-पत्र के विचारण के लिए अग्रसर होने के लिए न्यायालय को निदेश देगा, या

(iii) अभियुक्त के विचारण के लिए नया न्यायालय संयोजित करेगा।

72. पृथक् विचारण के लिए आवेदन--(1) जहां दो या दो से अधिक अभियुक्तों को संयुक्ततः आरोपित किया जाता है, वहां उनमें से कोई एक अभियुक्त आरोप पर अभिवचन करने से पूर्व इस आधार पर पृथक रूप से विचारण किए जाने के लिए न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि यदि उसका पृथकतः विचारण नहीं किया गया तो उसकी प्रतिरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(2) जहां अभियुक्त ऐसा कोई आवेदन करता है वहां अभियोजक उसके उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा।

(3) जहां न्यायालय की यह राय है कि न्याय के हित में ऐसा अपेक्षित है, वहां वह आवेदन अनुज्ञात करेगा और उस अभियुक्त का, जिसने आवेदन किया था, पृथक् रूप से विचारण करेगा।

73. पृथक् आरोप-पत्र पर विचारण के लिए आवेदन—

(1) जहां किसी आरोप-पत्र में एक से अधिक आरोप हैं, वहां अभियुक्त आरोपों पर अभिवचन करने से पूर्व, इस आधार पर उस आरोप-पत्र के किसी आरोप पर पृथक् रूप से विचारण किए जाने के लिए न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि यदि उसका उस आरोप पर पृथकतः विचारण नहीं किया गया तो उसकी प्रतिरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(2) जहां अभियुक्त ऐसा कोई आवेदन करता है, वहां अभियोजक उसके उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक में संबोधन का उत्तर दे सकेगा।

(3) जहां न्यायालय की यह राय है कि न्याय के हित में ऐसा अपेक्षित है, वहां वह आवेदन मंजूर करेगा और अभियुक्त का उस आरोप पर जिससे उसका संबंध है, इस प्रकार पृथक् रूप से विचारण करेगा मानो वह आरोप किसी पृथक् आरोप-पत्र में रखा गया है।

74. आरोप पर अभिवचन करना—(1) नियम 69 और नियम 71 के अधीन किसी अभिवचन, नियम 70 के अधीन किसी आक्षेप और नियम 72 और नियम 73 के अधीन किसी आवेदन के संबंध में कार्रवाई किए जाने के पश्चात् अभियुक्त से उपनियम (2) के अधीन रहते हुए ऐसे प्रत्येक आरोप का, जिसका उस पर दोषारोपण किया गया है, दोषी होने या दोषी न होने का अभिवचन करने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) जहां कोई न्यायालय, अभियुक्त पर आरोपित अपराध से भिन्न अपराध के लिए उसे दोषी ठहराने के लिए या अपराध के ऐसी परिस्थितियों में, जिनमें कम मात्रा में दंड अन्तर्वलित है, किए जाने का दोषी ठहराने के लिए धारा 90 द्वारा सशक्त है या जहां वह साक्ष्य सुनने के पश्चात् नियम 95 के अनुसार, अपवाद या परिवर्तन के अधीन रहते हुए, दोषी होने का विशेष निष्कर्ष निकाल सकता था, वहां अभियुक्त ऐसे अन्य अपराध का या आरोपित अपराध के ऐसी परिस्थितियों में, जिनमें कम मात्रा में दंड अंतर्वलित है, किए जाने का या ऐसे अपवाद या परिवर्तन के अधीन रहते हुए आरोपित अपराध का दोषी होने का अभिवचन कर सकेगा।

75. दोषी होने का अभिवचन स्वीकार करना—(1) जहां कोई अभियुक्त नियम 74 के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन किसी अपराध का दोषी होने का अभिवचन करता है, वहां पीठासीन आफिसर या जजएडवोकेट, न्यायालय द्वारा अभिवचन स्वीकार करने का विनिश्चय किए जाने से पूर्व, आरोप की प्रकृति और उसके अभिवचन का साधारण प्रभाव और विशिष्टतया अभियुक्त के दोषी होने के अभिवचन और दोषी न होने के अभिवचन के कारण प्रक्रिया का अंतर अभियुक्त को स्पष्ट करेगा।

(2) न्यायालय तब अभियोजक के साक्ष्य का अभिलेख या सार न्यायालय में पढ़कर सुनवाएगा या न्यायालय को उसमें दिए गए तथ्यों को सूचित करेगा :

परन्तु यदि साक्ष्य के अभिलेख या सार की कोई परिशोधित प्रति पीठासीन आफिसर को भेजी गई थी तो अभियोजक न्यायालय को साक्ष्य के अभिलेख या सार के ऐसे भाग को पढकर नहीं सुनाएगा जिसका परिशोधन किया गया है या न्यायालय को उन भागों में दिए गए तथ्य सूचित नहीं करेगा और न्यायालय को साक्ष्य का मूल अभिलेख या सार तब तक नहीं देगा जब तक कि विचारण समाप्त नहीं हो जाता। जहां कोई अभिलेख या साक्ष्य का सार नहीं है वहां न्यायालय दण्ड का अवधारण करने में अपने को समर्थ बनाने के लिए इन नियमों के अनुसार पर्याप्त साक्ष्य अभिलिखित करेगा।

(3) न्यायालय नियम 77 के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन दोषी होने का अभिवचन उस दशा में स्वीकार नहीं करेगा, यदि—

(क) न्यायालय का यह समाधान नहीं होता है कि अभियुक्त आरोप की प्रकृति या वह अपने अभिवचन का प्रभाव समझता है, या

(ख) पीठासीन आफिसर का साक्ष्य के अभिलेख में अंतर्विष्ट साक्ष्य या साक्ष्य के सार और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह विचार हो कि अभियुक्त को दोषी न होने का अभिवचन करना चाहिए, या

(ग) अभियुक्त दोषसिद्ध होने पर मृत्यु दण्ड का भागी है।

(4) (क) नियम 76 के अधीन दोषी होने के अभिवचन की दशा में, न्यायालय अभिवचन तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक संयोजक आफिसर सहमत नहीं होता है और ऐसी कार्यवाही के न्यायोचत होने के बारे में उसका समाधान नहीं हो जाता है,

(ख) संयोजक आफिसर की सहमति अभियोजक द्वारा संज्ञापित की जा सकेगी।

(5) जब दोषी होने का अभिवचन नियम 74 के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है या अभियुक्त आरोप पर अभिवचन करने से इंकार करता है या वह उस पर स्पष्ट रूप से अभिवचन नहीं करता है तो तब न्यायालय दोषी न होने का अभिवचन अभिलिखित करेगा।

(6) जब न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि वह नियम 74 के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन दोषी होने का अभिवचन उचित रूप से स्वीकार कर सकता है तो वह उस बाबत दोषी होने का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(7) न्यायालय अपने निष्कर्ष अभिलिखित करने के पश्चात् अभियुक्त को चरित्र का साक्ष्य पेश करने के लिए और दंड को कम करने के संबंध में कोई कथन करने के लिए अवसर देगा।

(8) यदि अभियुक्त द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और उपनियम (7) के अधीन किए गए उसके कथन से न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अभियुक्त ने दोषी होने के अभिवचन के प्रभाव को नहीं समझा था तो वह अभिलेख में परिवर्तन कर सकेगा और दोषी न होने का अभिवचन की प्रविष्टि कर सकेगा तथा तदनुसार विचारण के लिए अग्रसर हो सकेगा।

(9) उपनियम (7) का अनुपालन किए जाने के पश्चात और यदि न्यायालय ने दोषी होने के अभिवचन को स्वीकार करने का विनिश्चय किया है तो, न्यायालय नियम, 97 के निदेशानुसार अग्रसर होगा।

76. आनुकल्पिक आरोप की बाबत अभिवचन (1) जब अभियुक्त दो या अधिक आनुकल्पिक आरोपों में से प्रथम की बाबत दोषी होने का अभिवचन करता है तब न्यायालय, यदि वह अभियुक्त का दोषी होने का अभिवचन स्वीकार करता है तो, प्रथम आरोप की बाबत दोषी होने का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, और अभियोजक उस पर अभियुक्त को दोषारोपित किए जाने से पूर्व आनुकल्पिक आरोप को वापस ले लेगा।

(2) जब अभियुक्त ऐसे दो या अधिक आरोपों में से, जो आनुकल्पिक के रूप में अधिकथित किए गए हैं, उसे प्रथम आरोपों से भिन्न किसी एक आरोप की बाबत दोषी होने का अभिवचन करता है तब न्यायालय—

(क) इस प्रकार अग्रसर हो सकेगा मानो अभियुक्त ने सब आरोपों की बाबत दोषी नहीं होने का अभिवचन किया है, या

(ख) (i) संयोजक आफिसर की सहमति से (जो अभियोजक द्वारा संज्ञापित की जा सकेगी) उस आरोप की बाबत, जिसका अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवचन किया है, दोषी होने का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा और किसी उस आनुकल्पिक आरोप की बाबत जो आरोप पत्र में इसके पूर्व हैं, दोषी न होने का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा।

(ii) जहां न्यायालय ऐसा निष्कर्ष अभिलिखित करता है, वहां अभियोजक उस पर अभियुक्त को दोषारोपित किए जाने से पूर्व किसी ऐसे आरोप को वापस ले लेगा जो उस आरोप का अनुकल्पी है जिसके लिए न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया है और जो आरोप पत्र में उसके उसके पश्चात है।

77. दोषी होने और दोषी न होने के अभिवचन की दशा में विचारण का आदेश—(1) दोषी होने का निष्कर्ष अभिलिखित करने के पश्चात् न्यायालय यदि उसी आरोप-पत्र में ऐसा अन्य आरोप नहीं है जिसकी बाबत अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवचन किया है और कोई ऐसा अभियुक्त नहीं है जिसने उस आरोप-पत्र के किसी आरोप की बाबत दोषी न होने का अभिवचन किया है तो, यह नियम 75 के निदेशानुसार विचारण के लिए अग्रसर होगा।

(2) जहां आरोप-पत्र में ऐसा अन्य आरोप है जिसकी बाबत अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवचन किया है या ऐसा अन्य अभियुक्त है जिसने उस आरोप-पत्र में किसी आरोप की बाबत दोषी न होने का अभिवचन किया है वहां न्यायालय नियम 75 का तब तक अनुपालन नहीं करेगा जब तक उसने ऐसे अन्य आरोप की बाबत कार्रवाई नहीं कर ली है या उसने ऐसे अन्य अभियुक्त का विचारण नहीं कर लिया है और उसकी बाबत अपना निष्कर्ष घोषित और अभिलिखित नहीं कर दिया है।

78. अभिवचन का परिवर्तन.—(1) दोषी न होने का अभिवचन करने वाला अभियुक्त न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष पर विचार-विमर्श समाप्त किए जाने से पूर्व किसी भी समय दोषी न होने के अपने अभिवचन को वापिस ले सकेगा और उसके स्थान पर दोषी होने का अभिवचन (जिसके अंतर्गत नियम 76 के अधीन दोषी होने का अभिवचन भी है) कर सकेगा और ऐसी दशा में न्यायालय यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि वह इन नियमों के अधीन अभियुक्त का परिवर्तित अभिवचन स्वीकार कर सकता है तो अभियुक्त के परिवर्तित अभिवचन के अनुसार निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और जहां तक आवश्यक हो नियम 75 के निदेशानुसार अग्रसर होगा।

(2) जहां विचारण के दौरान किसी भी समय न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वह अभियुक्त जिसने दोषी होने का अभिवचन किया है अपने अभिवचन के प्रभाव को या आरोप की प्रकृति को नहीं समझता है तो न्यायालय दोषी न होने का अभिवचन प्रविष्ट करेगा और तदनुसार विचारण के लिए अग्रसर होगा।

(3) जब न्यायालय उपनियम (2) के अधीन किसी आरोप की बाबत दोषी न होने का अभिवचन अभिलिखित करता है तब वह यदि उसके अनुकल्प के रूप में कोई ऐसा आरोप अधिकथित था जिससे अभियोजक ने नियम 76 के अधीन वापिस ले लिया था तो ऐसे आनुकल्पिक आरोप को पुनः स्थापित करेगा उस पर अभियुक्त को दोषारोपित करेगा और विचारण के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह कभी भी वापिस नहीं लिया गया था।

79. दोषी न होने के अभिवचन प्रक्रिया—किसी आरोप की बाबत दोषी न होने का अभिवचन अभिलिखित किये जाने के पश्चात्:—

(i) न्यायालय अभियुक्त से पूछेगा कि क्या इस आधार पर कि विचारण के पूर्व की प्रक्रिया से संबंधित इन नियमों में से किसी का अनुपालन नहीं किया गया है और इसका उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या इस आधार पर कि उसे अपनी प्रतिरक्षा को तैयार करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिला है, स्थगन के लिए आवेदन करना चाहता है,

(ii) जहां अभियुक्त स्थगन के लिए आवेदन करता है, वहां:

(क) अभियुक्त अपने आवेदन के समर्थन में साक्ष्य पेश कर सकेगा और अभियोजक उसके उत्तर में साक्ष्य पेश कर सकेगा।

(ख) अभियोजक आवेदन के उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा।

(iii) यदि न्यायालय समझता है कि न्याय के हित में ऐसा अपेक्षित है तो वह स्थगन मंजूर कर सकेगा।

80. आरम्भिक सम्बोधन:—(1) अभियोजक, यदि वह चाहे तो आरम्भिक सम्बोधन कर सकेगा यदि और न्यायालय द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए तो ऐसा करेगा, जिसमें वह आरोप और उस साक्ष्य की प्रकृति और साधारण प्रभाव को स्पष्ट करेगा जो वह पेश करने की प्रस्थापना करता है।

(2) तब अभियोजन के लिए साक्षी बुलाए जाएंगे और वे अपना साक्ष्य देंगे।

81. अतिरिक्त साक्षी:—जहां अभियोजक ऐसा साक्ष्य पेश करने का आशय रखता है, तो अभियुक्त को दिए गए साक्ष्य के किसी अभिलेख या सार में सम्मिलित नहीं है, वहां, साक्ष्य की विशिष्टियों सहित, ऐसे आशय की सूचना, जब तक कि न्यायालय अभियुक्त को साक्ष्य पेश करने से उचित समय पूर्व दी जाएगी। यदि ऐसा साक्ष्य ऐसी सूचना या विशिष्टियां दिए बिना पेश किया जाता है तो न्यायालय, यदि अभियुक्त चाहे तो, साक्ष्य लेने के पश्चात् या तो स्थगित कर सकेगा या उस साक्ष्य से उद्भूत प्रतिपरीक्षा को मुल्तवी कर सकेगा और न्यायालय अभियुक्त को सूचित करेगा कि उसे ऐसे स्थगन या मुल्तवी के लिए आवेदन करने का अधिकार है।

82 साक्षियों को छोड़ना :—अभियोजक, अभियुक्त के विरुद्ध उन सब साक्षियों को, जिनका साक्ष्य, साक्ष्य के अभिलेख या सार में है, बुलाने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही वह किसी ऐसे साक्षी को बुलाने के लिए बाध्य होगा जब वह अभियुक्त को यह सूचित कर चुका है कि वह नियम 81 के अधीन बुलाने का आशय रखता है, किन्तु यदि अभियोजक साक्ष्य देने के लिए ऐसे साक्षी को बुलाने का आशय नहीं रखता है तो वह या तो उसे अभियुक्त द्वारा प्रति-परीक्षा के लिए पेश करेगा या अभियुक्त को युक्तियुक्त सूचना देगा कि वह साक्षी को बुलाने का आशय नहीं रखता है और अभियुक्त को उससे पत्र-व्यवसहार और यदि वह चाहे और साक्षी उपलब्ध हो तो उसे प्रतिरक्षा की ओर से साक्षी के रूप में बुलाने की अनुज्ञा दी जाएगी।

83. साक्षियों का वापस लिया जाना :—विचारण के दौरान, अभियोजक या अभियुक्त को छोड़कर, कोई साक्षी न्यायालय की इजाजत के बिना न्यायालय में तब नहीं रहेगा जब उसकी परीक्षा नहीं चल रही है और यदि उसकी परीक्षा चलने के दौरान उसकी परीक्षा की बाबत कोई प्रश्न अनुज्ञात करने या न करने के बारे में कोई विचार-विमर्श होता है तो न्यायालय ऐसे विचार-विमर्श के दौरान साक्षी को वापस जाने के लिए निदेश दे सकेगा।

84. साक्षियों की परीक्षा :—(1) किसी साक्षी की परीक्षा उसे बुलाने वाले व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी और कार्यवाही के विरोधी पक्षकार द्वारा उसकी प्रति-परीक्षा की जा सकेगी और ऐसी प्रति-परीक्षा की समाप्ति पर, प्रति-परीक्षा से उद्भूत विषयों के संबंध में उसकी उस व्यक्ति द्वारा पुनः परीक्षा की जा सकेगी जिसने उसे बुलाया है।

(2) (क) किसी साक्षी की परीक्षा करने वाला व्यक्ति साक्षी से प्रश्न मौखिक तौर पर पूछेगा और जब तक कि साक्षी, न्यायालय जजअटर्नी, अभियोजक या अभियुक्त द्वारा कोई आक्षेप नहीं किया जाता, साक्षी तत्काल उत्तर देगा।

(ख) जहां ऐसा आक्षेप किया जाता है, वहां साक्षी तब तक उत्तर नहीं देगा जब तक आक्षेप निपटा नहीं दिया जाता।

(3) न्यायालय साक्षी की प्रति-परीक्षा या पुनः परीक्षा का मुल्तवी किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा।

(4) साक्षी की परीक्षा करने से पूर्व उसे निम्नलिखित प्ररूप में या समान आशय के ऐसे अन्य प्ररूप में, जैसा न्यायालय उसके धर्म के अनुसार या अन्यथा जो उसके अन्तःकरण पर आबद्धकर हो। अभिनिश्चित करे, शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा।

शपथ का प्ररूप

मैं----------सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, पूर्ण सत्य कहूंगा और सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा।

प्रतिज्ञान का प्ररूप

मैं----------सत्यनिष्ठ सद्भाव, और सच्चाई से घोषणा करता हूं और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, पूर्ण सत्य कहूंगा और सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा।

85. न्यायालय द्वारा प्रश्न :—(1) पीठासीन आफिसर, जजअटर्नी और न्यायालय का कोई सदस्य साक्षी से प्रश्न पूछ सकेगा।

(2) ऐसे प्रश्न का उत्तर दिए जाने पर, अभियोजक और अभियुक्त साक्षी से उस उत्तर से उद्भूत, जो वह दे चुका है, ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जिन्हें न्यायालय उचित समझे।

86. साक्ष्य का पढ़कर सुनाया जाना :—(1) (क) साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य का अभिलेख उसे, उसके न्यायालय छोड़ने से पूर्व, पढ़कर सुनाया जाएगा और ऐसा किए जाने पर वह अभिलेख को शुद्ध करने के लिए कह सकेगा या उस साक्ष्य को स्पष्ट कर सकेगा जो उसने दिया है,

(ख) जहां कोई ऐसी शुद्धि की जाती है या स्पष्टीकरण दिया जाता है, वहां अभियोजक और अभियुक्त उस साक्षी से शुद्धि या स्पष्टीकरण के बारे में ऐसे प्रश्न पूछ सकेंगे जिन्हें न्यायालय उचित समझे।

(2) जब आशुलिपि-लेखक नियोजित किया जाए तब उपनियम (1) का अनुपालन करना आवश्यक नहीं होगा, यदि न्यायालय और जजअटर्नी (यदि कोई है) की राय में ऐसा करना अनावश्यक है :—

परन्तु यदि कोई साक्षी ऐसी मांग करता है तो उपनियम (1) का अनुपालन किया जाएगा।

87. न्यायालय द्वारा साक्षियों को बुलाया जाना या पुनः बुलाया जाना :—

(1) (क) न्यायालय अपने निष्कर्ष पर विचार-विमर्श की समाप्ति से पूर्व या यदि कोई जजअटर्नी है तो, उसके द्वारा उपसंहार प्रारम्भ किए किए जाने से पूर्व किसी समय किसी साक्षी को उस दशा में बुला सकेगा या पुनः बुला सकेगा, जब न्यायालय की राय में ऐसा करना न्याय के हित में है,

(ख) जहां न्यायालय इस नियम के अधीन किसी साक्षी को बुलाता है या पुनः बुलाता है वहां अभियोजक और अभियुक्त साक्षी से ऐसे प्रश्न पूछ सकेंगे जिन्हें न्यायालय उचित समझे।

(2) अभियोजक और अभियुक्त, न्यायालय द्वारा निष्कर्ष पर विचार-विमर्श की समाप्ति से पूर्व या यदि कोई जजअटर्नी है तो उसके द्वारा उपसंहार प्रारम्भ किए जाने से पूर्व किसी समय, किसी साक्षी को न्यायालय की इजाजत से पुनः बुला सकेंगे और अभियोजक तथा अभियुक्त उस साक्षी से ऐसे प्रश्न पूछ सकेंगे जिन्हें न्यायालय उचित समझे।

88. उत्तर के लिए कोई मामला प्रस्तुत न करना और मामलों को रोकना :—(1) (क) अभियोजन की ओर से पक्ष कथन की समाप्ति पर अभियुक्त किसी आरोप की बाबत न्यायालय से यह निवेदन कर सकेगा कि अभियोजन पक्ष अपनी ओर से प्रथम दृष्टया ऐसा मामला सिद्ध करने में असफल रहा है जिसका उसके द्वारा उत्तर दिया जाए और उस आरोप पर उसे अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए,

(ख) जहां अभियुक्त ऐसा निवेदन करता है वहां अभियोजक उसके उत्तर में न्यायालय को सम्बोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के सम्बोधन का उत्तर दे सकेगा।

(2) न्यायालय निवेदन को तब तक मंजूर नहीं करेगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि :—

(क) अभियोजन ने अधिकथित आरोप की बाबत प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध नहीं किया है, और

(ख) उसे साक्ष्य पर यह तो धारा 90 या नियम 95 के उपनियम (4) के अधीन विशेष निष्कर्ष निकालने की छुट नहीं है।

(3) (क) जहां न्यायालय निवेदन को अनुज्ञात करता है वहां वह अभियुक्त को उस आरोप की बाबत जिसके संबंध में वह है, दोषी नहीं ठहराएगा और निष्कर्ष को, पुष्टि के अधीन रहते हुए, खुले न्यायालय में तत्काल सुनाया जाएगा।

(ख) जहां न्यायालय निवेदन को अनुज्ञात करता है वहां वह आरोपित रूप में अपराध के विचारण के लिए अग्रसर होगा।

(4) न्यायालय अभियोजन की ओर से पक्षकथन की समाप्ति के पश्चात और अभियोजक को सुनने के पश्चात्, स्वप्रेरणा से, अभियुक्त को आरोप की बाबत निर्दोष ठहरा सकेगा और निष्कर्ष को, पुष्टि के अधीन रहते हुए, खुले न्यायालय में तत्काल सुनाया जाएगा।

89. प्रतिरक्षा के लिए पक्षकथन:—(1) अभियोजन की ओर से पक्षकथन की समाप्ति पर, पीठासीन आफिसर जजअटर्नी (यदि कोई है) अभियुक्त को यह स्पष्ट करेगा कि:—

(क) यदि वह चाहे तो साक्षी के रूप में शपथ पर साक्ष्य दे सकता है या शपथ लिए बिना कथन कर सकता है किन्तु वह इनमें से कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है,

(ख) यदि वह शपथ पर साक्ष्य देता है तो अभियोजक द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी और न्यायालय द्वारा उससे प्रश्न पूछे जा सकेंगे।

(2) अभियुक्त को अपने विरुद्ध साक्ष्य के प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों को स्पष्ट करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, न्यायालय विचारण के किसी प्रक्रम पर अभियुक्त को पूर्व चेतावनी दिए बिना उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जिन्हें न्यायालय आवश्यक समझे और अभियोजन के साक्षियों की परीक्षा के पश्चात् और अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा के लिए बुलाने के पूर्व पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उससे मामले के संबंध में साधारणतः प्रश्न पूछेगा।

(3) अभियुक्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इन्कार करने के कारण या उनके मिथ्या उत्तर देने के कारण दण्ड का भागी नहीं होगा।

(4) अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों पर ऐसे विचारण में विचार किया जा सकेगा और ऐसे उत्तर किसी अन्य अपराध की जो ऐसे उत्तरों से यह दर्शित हो कि उसने किया है, किसी अन्य जांच में या उसके विचारण में उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध साक्ष्य में रखे जा सकेंगे।

(5) यदि अभियुक्त मामले के तथ्यों के लिए अपने से भिन्न कोई साक्षी बुलाना चाहता है तो वह प्रतिरक्षा के लिए साक्ष्य दिए जाने से पूर्व प्रतिरक्षा के मामले की रूपरेखा बताते हुए आरम्भिक सम्बोधन कर सकेगा।

90. प्रतिरक्षा के लिए साक्षी—(1) नियम 89 का अनुपालन किए जाने के पश्चात् प्रतिरक्षा के लिए साक्षियों को (यदि कोई हैं) अपना साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाएगा।

(2) नियम 84, 85 और 86 के उपबंध प्रतिरक्षा के लिए साक्षियों को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे अभियोजन के लिए साक्षियों के साक्ष्य को लागू होते हैं।

91. ऊतर में साक्षी—प्रतिरक्षा के लिए साक्षियों द्वारा अपना साक्ष्य दिए जाने के पश्चात् अभियोजक, अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में उठाए गए किसी ऐसे विषय पर, जिसे अभियोजन पक्ष अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा प्रकट किए जाने से पूर्व न्यायालय को उचित रूप से वर्णित नहीं कर सका या जिसकी अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त रूप से पूर्व कल्पना नहीं कर सकता था, साक्ष्य देने के लिए किसी साक्षी को न्यायालय की इजाजत से बुला सकेगा या पुनः बुला सकेगा।

92. सम्बोधनों का समापन—(1) सभी साक्ष्य दिए जाने के पश्चात् अभियोजक और अभियुक्त में से प्रत्येक न्यायालय को समापन सम्बोधन कर सकेगा।

(2) अभियुक्त, अभियोजक द्वारा समापन सम्बोधन किए जाने के पश्चात् अपना समापन सम्बोधन करने का हकदार होगा जब तक कि अभियुक्त ने तथ्यों के लिए अपने से भिन्न कोई साक्षी नहीं बुलाया है और ऐसे मामले में अभियोजक, अभियुक्त द्वारा समापन सम्बोधन किए जाने के पश्चात् अपना समापन सम्बोधन करने का, उपनियम (3) और (4) के अधीन रहते हुए, हकदार होगा।

(3) जहां दो या अधिक अभियुक्तों का एक साथ विचारण किया जाता है, वहां उनमें से कोई एक, जिसने ऐसा कोई साक्षी नहीं बुलाया है, अभियोजक के समापन सम्बोधन के पश्चात् अपना समापन सम्बोधन करने का हकदार होगा।

(4) (क) जहां दो या अधिक अभियुक्तों का एक ही प्रतिरक्षा आफिसर या काउन्सेल प्रतिनिधित्व कर रहा है, वहां वह केवल एक समापन सम्बोधन कर सकेगा,

(ख) जहां किसी अभियुक्त ने, जिसके लिए वह उपस्थित होता है, तथ्यों के लिए अपने से भिन्न कोई साक्षी नहीं बुलाया है, वहां ऐसा प्रतिरक्षा आफिसर या काउन्सेल अभियोजक द्वारा समापन सम्बोधन किए जाने के पश्चात् अपना सम्बोधन करने का हकदार होगा।

93. जजअटर्नी द्वारा उपसंहार—समापन सम्बोधन के पश्चात् यदि जजअटर्नी है तो वह खुले न्यायालय में साक्ष्य का उपसंहार करेगा और मामले से संबंधित विधि पर न्यायालय को सलाह देगा।

94. निष्कर्ष पर विचार-विमर्श—(1) न्यायालय जजअटर्नी की उपस्थिति में बंद न्यायालय में अपने निष्कर्ष पर विचार-विमर्श करेगा।

(2) न्यायालय का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष के बारे में अपनी राय मौखिक रूप से कनिष्ठतम रैंक से प्रारंभ करके, पृथक् रूप से देगा।

95. निष्कर्ष का अभिलेख और सुनाया जाना—(1) प्रत्येक आरोप पर, जिस पर अभियुक्त को दोषारोपित किया जाता है, निष्कर्ष अभिलिखित किया जाएगा और इन नियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय "दोषी होने" या "दोषी न होने" के निष्कर्ष के रूप में ही अभिलिखित किया जाएगा।

(2) जहां किसी आरोप की बाबत न्यायालय की राय है कि साबित किए गए तथ्यों से आरोपित अपराध या ऐसा कोई अपराध प्रकट नहीं होता है जिसका वह लगाए गए आरोप पर अधिनियम के अधीन वैध रूप से दोषी ठहराया जा सके, वहां न्यायालय अभियुक्त को उस आरोप से दोषमुक्त कर देगा।

(3) यदि न्यायालय को किसी आरोप के बारे में ऐसा संदेह है कि साबित किए गए तथ्यों से यह दर्शित होता है या नहीं कि अभियुक्त पर लगाए गए आरोप का दोषी है, तो वह उस आरोप पर निष्कर्ष अभिलिखित करने से पूर्व, उन तथ्यों को अपवर्णित करते हुए जिसके बारे में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ये साबित हो गए हैं, पुष्टि करने वाले प्राधिकारी को उसकी राय के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो उस प्रयोजन के लिए स्थगित कर सकेगा।

(4) जहां किसी आरोप के बारे में न्यायालय की राय है कि वे तथ्य, जिनके बारे में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वे साक्ष्य से साबित हो गए हैं, आरोप की विशिष्टियों के कथन में अधिकथित तथ्यों से तात्विक रूप से भिन्न हैं किन्तु ऐसा होने पर भी वे आरोप में कथित अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं और भिन्नता इतनी तात्विक नहीं है जिससे कि अभियुक्त पर उसकी प्रतिरक्षा में उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, वहां वह "दोषी न होने" के निष्कर्ष के बजाय विशेष निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(5) विशेष निष्कर्ष में अभियुक्त को, उसमें विनिर्दिष्ट अपवादों या परिवर्तनों के अधीन रहते हुए, किसी आरोप का दोषी ठहराया जा सकेगा।

(6) जहां आनुकल्पिक आरोप हैं और साबित तथ्यों से न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उनमें उन आनुकल्पिक आरोपों में से किसी में वर्णित अपराध नहीं बनता है, वहां न्यायालय उस आरोप पर "दोषी न होने का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(7) यदि एक आरोप पर दोषसिद्धि से आवश्यक रूप से अनुकल्पी आरोप या आरोपों का दोषी होने का संकेत मिलता हो तो भी न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि अभियुक्त अनुकल्पतः अधिकथित दो या अधिक आरोपों में से एक से अधिक का दोषी है ।

(8) यदि न्यायालय का विचार है कि साबित तथ्यों से कोई ऐसा अपराध बनता है जो दो या अधिक अनुकल्पी आरोपों में कथित अपराधों में से एक है किन्तु उसे संदेह है कि उन तथ्यों से विधि की दृष्टि में कौन सा अपराध बनता है, तो वह उन आरोपों पर निष्कर्ष अभिलिखित करने से पूर्व उन तथ्यों को जिनके बारे में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वे साबित हो गए हैं, उपवर्णित करते हुए और यह कथित करते हुए कि उसे संदेह है कि विधि की दृष्टि में उन तथ्यों से ऐसे एक या अन्य आरोपों में कथित अपराध बनता है या नहीं, पुष्टि करने वाले प्राधिकारी को उसकी राय के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो उस प्रयोजन के लिए स्थगित कर सकेगा ।

(9) प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष, पुष्ट किए जाने के अधीन रहते हुए, खुले न्यायालय में तत्काल सुनाया जाएगा ।

96. दोषमुक्त किए जाने पर प्रक्रिया—यदि सभी आरोपों की बाबत "दोषी न होने" का निष्कर्ष है तो पीठासीन आफिसर निष्कर्ष पर तारीख डाल कर हस्ताक्षर करेगा और ऐसे हस्ताक्षर से सम्पूर्ण कार्यवाही अधिप्रमाणित हो जाएगी और जजअटर्नी (यदि कोई है) द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर कार्यवाहियां पुष्टि के लिए तुरंत परेषित कर दी जाएगी।

97. दोषसिद्धि पर प्रक्रिया—(1) यदि किसी आरोप की बाबत "दोषी होने" का निष्कर्ष है तो न्यायालय, आरोप के लिए दण्डादेशअवधारित करने में अपने मार्गदर्शन के लिए और दण्डादेश पर विचार करने के लिए पुष्टिकर्ता प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिए, दण्डादेश पर विचार-विमर्श करने से पूर्व, अभियुक्त के साधारण चरित्र, आयु सेवा, रैंक और शौर्य के किन्हीं मान्यता प्राप्त कार्यों का या उसके विशिष्ट आचरण का और सुरक्षक या दंड न्यायालय द्वारा अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धियों का यथास्थिति, धारा 51, 53 या 54 के अधीन प्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी आफिसर द्वारा उसके बारे में अधिनिर्णीत किए गए किन्हीं पूर्व दंडों का, उस अवधि का जिसमें वह किसी पूर्व दंड के कारण गिरफ्तार या परिरुद्ध रहा है और किसी अलंकरण या इनाम का, जो उसके कब्जे में है या जिसका वह हकदार है, जब कभी सम्भव हो साक्ष्य लेगा और उसे अभिलिखित करेगा ।

(2) उपर्युक्त मामलों पर साक्ष्य किसी साक्षी द्वारा ऐसा कथन, जिसमें अभियुक्त की बाबत सेवा पुस्तिकाओं में का प्रविष्टियों को संक्षिप्ति होगी, सत्यापित करके और अभियुक्त की उस संक्षिप्ति में निर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में पहचान करके दिया जा सकेगा ।

(3) अभियुक्त किसी ऐसे साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर सकेगा और ऐसे साक्ष्य का खंडन करने के लिए साक्षियों को बुला सकेगा और यदि अभियुक्त ऐसा निवेदन करता है तो सेवा पुस्तिकाएं या उनमें की तत्विक प्रविष्टियों की सम्यकतः प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जाएगी और यदि अभियुक्त यह अभिकथित करता है कि संक्षिप्ति किसी विषय में, यथास्थिति, सेवा पुस्तिकाओं या ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुसार नहीं है, तो न्यायालय संक्षिप्ति का मिलान उन पुस्तिकाओं या प्रतिलिपि से करेगा और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संक्षिप्ति उनके अनुसार नहीं है तो वह संक्षिप्ति को शुद्ध कराएगा या अभियुक्त का आक्षेप अभिलिखित कराएगा ।

(4) जब उपर्युक्त मामलों पर सभी साक्ष्य दे दिया गया हो तब अभियुक्त उसके बारे में और दंड कम करने के बारे में न्यायालय को सम्बोधित कर सकेगा ।

98. दंडादेश—न्यायालय उन सब अपराधों की बाबत अभियुक्त को दोषी पाया जाता है, एक दण्डादेश अधिनिर्णीत करेगा और ऐसा दण्डादेश उनकी बाबत, जिनकी बाबत वह वैध रूप से दिया जा सकता है, अधिनिर्णीत किया गया समझा जाएगा और जिनकी बाबत वह वैध रूप से नहीं दिया जा सकता है, अधिनियम अधिनिर्णीत किया गया नहीं समझा जाएगा ।

99. दया की सिफारिश—(1) जहां न्यायालय दया की सिफारिश करता है, वहां वह अपनी ऐसी सिफारिश के कारण देगा ।

(2) इस नियम में उल्लिखित दया या उससे संबंधित किसी प्रश्न के बारे में सिफारिश करने वाले न्यायालय के सदस्यों की संख्या की कार्यवाहियों में प्रविष्टि की जा सकेगी ।

100. दण्डादेश सुनाया जाना और कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर और उनका परेषण—(1) दया की सिफारिश और ऐसी सिफारिश के कारणों के साथ दण्डादेश न्यायालय में तत्काल सुनाया जाएगा । दण्डादेश पुष्ट किए जाने के अधीन रहते हुए सुनाया जाएगा ।

(2) न्यायालय द्वारा दण्डादेश अधिनियनर्णीत किए जाने पर पीठासीन आफिसर दंडादेश पर तारीख डाल कर हस्ताक्षर करेगा और ऐसे हस्ताक्षरों से सम्पूर्ण कार्यवाही अधिप्रमाणित हो जाएगी और कार्यवाहियां जज अटर्नी (यदि कोई है) द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर तुरन्त पुष्टि के लिए परिषित की जाएंगी ।

101. पुनरीक्षण—(1) (क) जहां निष्कर्ष धारा 109 के अधीन पुनरीक्षण के लिए वापस भेजा जाता है, वहां न्यायालय खुले न्यायालय में पुनः समवेत होगा, पुनरीक्षण आदेश पढ़ कर सुनाया जाएगा और यदि न्यायालय को नए सिरे से साक्ष्य लेने का निदेश है तो, ऐसा साक्ष्य खुले न्यायालय में लिया जाएगा :

(ख) जहां ऐसा नया साक्ष्य अभियुक्त की प्रेरणा से अन्यथा अभिलिखित किया जाता है, वहां अभियुक्त को ऐसे नए साक्ष्य में लाए गए विषयों की बाबत साक्ष्य पेश करने के लिए और अवसर दिया जाएगा;

(ग) अभियोजक और अभियुक्त को पेश किए गए नए साक्ष्य की बाबत न्यायालय को सम्बोधित करने के लिए और अवसर दिया जाएगा;

(घ) जज अटर्नी भी और उपसंहार कर सकेगा ।

(2) जहां निष्कर्ष के पुनरीक्षण में नया साक्ष्य का लिया जाना अन्तर्वलित नहीं है, वहां अभियुक्त को पुनरीक्षण आदेश में उठाए गए विषय की बाबत न्यायालय को सम्बोधित करने का अवसर दिया जाएगा।

(3) (क) तब न्यायालय अपने निष्कर्ष पर बंद न्यायालय में विचार-विमर्श करेगा और यदि न्यायालय अपने पूर्व निष्कर्ष पर दृढ़ नहीं रहता है तो वह निष्कर्ष और दण्डादेश का प्रतिसंहरण करेगा और नया निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और यदि ऐसे नए निष्कर्ष में दण्डादेश अन्तर्वलित है तो नया दण्डादेश पारित करेगा ।

(ख) जहां मूल निष्कर्ष "दोषी न होने" का हो, वहां न्यायालय दण्डादेश पारित करने से पूर्व नियम 97 और 98 का अनुपालन करेगा ।

(4) (क) जहां केवल दण्डादेश ही पुनरीक्षण के लिए वापस भेजा जाता है, वहां पुनरीक्षण आदेश खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया जाएगा और अभियुक्त को पुनरीक्षण आदेश में निर्दिष्ट विषयों की बाबत न्यायालयों को सम्बोधित करने का अवसर दिया जाएगा :

(ख) तब न्यायालय अपने दण्डादेश पर बंद न्यायालय में पुनः विचार करेगा और यदि वह दण्डादेश पर दृढ़ नहीं रहता है तो दण्डादेश का प्रतिसंहरण करेगा और नया दण्डादेश पारित करेगा ।

(5) जहां केवल दण्डादेश ही पुनरीक्षण के लिए भेजा जाता है, वहां न्यायालय निष्कर्ष का पुनरीक्षण नहीं करेगा ।

102. पुष्टि और प्रख्यापन—(1) जब पुष्टिकर्ता प्राधिकारी न्यायालय की कार्यवाहियों का अभिलेख प्राप्त करता है, तब वह उस पर और किसी ऐसे दण्डादेश और आदेश पर जो न्यायालय से परिशिष्टि 7 में दिए गए समुचित प्ररूप में कार्यवाहियों के अभिलेख पर धारा 102 के अधीन किया है, अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा और उसके विनिश्चय का ऐसा अभिलेख कार्यवाहियों के अभिलेख का भाग होगा ।

(2) जब न्यायालय ने नियम 75 के अधीन दोषी होने के अभिवचन को स्वीकार कर लिया है तब पुष्टिकर्ता आफिसर इस बात के होते हुए भी कि न्यायालय ने संयोजक आफिसर की सहमति के बिना अभिवचन स्वीकार किया है, यदि उसकी राय में ऐसा करना न्याय के हित में है तो, उसके निष्कर्ष की पुष्टि कर सकेगा।

(3)(क) जब न्यायालय ने न्यायालय की अधिकारिता के बारे में अभिवचन या विचारण के वर्जन का अभिवचन नामंजूर कर दिया है या आरोप के बारे में किसी आक्षेप को उलट दिया है तब पुष्टिकर्ता आफिसर के लिए न्यायालय के विनिश्चय का विनिर्दिष्ट रूप से अनुमोदन करना आवश्यक नहीं होगा किन्तु अभिवचन या आक्षेप से संबंधित आरोप के निष्कर्ष की उसके द्वारा पुष्टि किए जाने में उसके विनिश्चय का अनुमोदन विवक्षित होगा :

(ख) जहां वह अभिवचन नामंजूर करने या आक्षेप उलटने के न्यायालय के विनिश्चय का अनुमोदन नहीं करता हैं, वहां वह अभिवचन या आक्षेप से संबंधित आरोप के निष्कर्ष की पुष्टि नहीं करेगा ।

(4) पुष्टिकर्ता आफिसर किसी मामले में पुष्टि न करने के कारण कथित कर सकेगा किन्तु यदि वह वहां, जहां न्यायालय ने अधिकारिता के बारे में अभिवचन को या विचारण के वर्जन के अभिवचन को नामंजूर कर दिया है या उसने आरोपों की बाबत किसी आक्षेप को उलट दिया है, इस कारण पुष्टि नहीं करता है कि वह न्यायालय के इस विनिश्चय का अनुमोदन नहीं करता है, तो वह उप-नियम (1) के अधीन अपना विनिश्चय अभिलिखित करते समय यह कथित करेगा कि उसने इस कारण से पुष्टि रोक ली है ।

(5) जहां न्यायालय का दण्डादेश अनुचित रूप से अभिवचन अभिव्यक्त किया गया है, वहां पुष्टिकर्ता प्राधिकारी दण्डादेश की पुष्टि करने में उसके स्वरूप में परिवर्तन कर सकेगा जिससे कि वह समुचित रूप से अभिव्यक्त किया जाए ।

(6) जब कभी यह प्रतीत होता है कि न्यायालय के निष्कर्ष को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है या नियम 75 के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन दोषी होने का अभिवचन है तब ऐसे निष्कर्ष और उसके परिणामस्वरूप विधिपूर्ण दण्डादेश की पुष्टि की जा सकेगी और यदि पुष्टि की जाती है तो, इस बात के होते हुए भी कि इन नियमों से विचलन हुआ है, ऐसा निष्कर्ष या दण्डादेश उस दशा में विधिमान्य होगा, जब ऐसे विचलन से अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(7) निष्कर्ष की पुष्टि करते समय पुष्टिकर्ता आफिसर या तो बिना शर्त या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें अभियुक्त स्वीकार करता है, दण्डादेश को घटा कर कम या उसके किसी भाग का परिहार कर सकेगा या दंड को धारा 47 में दिए गए दंडों के मापमान में निम्नतर दंड में लघुकृत कर सकेगा ।

(8) (क) जब पुष्टिकर्ता आफिसर ने न्यायालय के निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि करदी है या उस की पुष्टि नहीं की है तब वह, यथास्थिति, निष्कर्ष और दण्डादेश तथा इस तथ्य को कि पुष्टि नहीं की गई है, अभियुक्त को प्रख्यापित करने के लिए कार्यवाहियों के अभिलेख को अभियुक्त के कमांडर को भेजेगा ;

(ख) प्रख्यापना का तथ्य, परिशिष्ट 8 में दिए गए प्ररूप में, कार्यवाहियों के अभिलेख में अभिलिखित किया जाएगा ।

(ग) जहां पुष्टि इस कारण नहीं की गई है कि पुष्टिकर्ता प्राधिकारी अधिकारिता के अभिवचन को या विचारण के वर्जन के अभिवचन को नामंजूर करने या आरोप के प्रति किसी आक्षेप को उलटने के न्यायालय के विनिश्चय का अनुमोदन नहीं करता है, वहां अभियुक्त को इसकी सूचना दी जाएगी ।

अध्याय 10

सुरक्षक न्यायालयों की प्रक्रिया और आनुषंगिक विषय

103 सदस्यों का स्थान ग्रहण करना—न्यायालय के सदस्य अपने रैंक के अनुसार स्थान ग्रहण करें ।

104. पीठासीन आफिसर का उत्तरदायित्व—(1) पीठासीन आफिसर विचारण को उचित ढंग से और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार और न्यायालय के लिए जो रीति उचित हो उससे संचालित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) पीठासीन आफिसर का कर्तव्य है कि वह यह देखें कि अभियुक्त का विचारण ऋजुतापूर्वक किया जाता है और यह कि विचारण के अधीन व्यक्ति के रूप में उसकी स्थिति या उसकी अनभिज्ञता या साक्षियों की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करने में उसकी अयोग्यता के कारण या अन्यथा उसका कोई अहित नहीं होता है ।

105. अभियोजक और अभियुक्त के सम्बोधन की बाबत न्यायालय की शक्ति—(1) अभियोजक का यह कर्तव्य है कि वह न्याय प्रशासन में न्यायालय की सहायता करे, पक्षपात रहित व्यवहार करे, संपूर्ण संव्यवहार न्यायालय के समक्ष लाए और अभियुक्त के पक्ष में किसी साक्ष्य का कोई अनुचित फायदा न उठाए या उसे न दबाए ।

(2) अभियोजक किसी ऐसे विषय को, जो उस समय न्यायालय के समक्ष आरोप या आरोपों से सुसंगत नहीं है, निर्दिष्ट नहीं कर सकेगा और उसे ऐसा करने से रोकना और अभियोजक की ओर से प्रयुक्त भाषा की किसी अनुचित तीक्ष्णता तथा निष्पक्षता या संयतता की कमी को रोकना न्यायालय का कर्तव्य होगा ।

(3) न्यायालय अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा करने में युक्तियुक्त सुविधाएं देगा, अभियुक्त को न्यायालय के प्रति अपमानपूर्ण या अनादरपूर्ण टिप्पणियां करने से और अन्य व्यक्तियों के प्रति अशिष्ट और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने से विरत रहना चाहिए, किन्तु वह अपनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए साक्ष्य को अधिक्षिप्त कर सकेगा और अन्य व्यक्तियों पर दोषारोपण कर सकेगा और अपराधिकता का आरोप भी लगा सकेगा किन्तु यदि वह ऐसा करता है तो वह उसके कारण उपगत दायित्व के अधीन होगा । न्यायालय अभियुक्त को उसकी प्रतिरक्षा की विसंगति के बारे में चेतावनी दे सकेगा, किन्तु जब तक कि विशेष मामला न हो, उसकी प्रतिरक्षा एक मात्र ऐसी विसंगति के आधार पर नहीं रोकेगा।

106. बंद न्यायालय में बैठक—(1) न्यायालय, जहां इन नियमों द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए, बंद न्यायालय में अधिवेशन करेगा और सदस्यों के बीच विचार-विमर्श के किसी अन्य मामले में बंद न्यायालय में अधिवेशन कर सकेगा ।

(2) बंद न्यायालय में न्यायालय के सदस्यों जज अटर्नी (यदि कोई है) और अनुदेशाधीन किसी आफिसर के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं होगा।

(3) इस नियम के पूर्वगामी उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, न्यायालय या तो एकांत में जा सकेगा या उस स्थान को ऐसे सभी अन्य व्यक्तियों से खाली करा सकेगा जो वहां उपस्थित होने के हकदार नहीं है ।

(4) इस नियम के उप-नियम (1), (2) और (3) में वर्णित के सिवाय सब कार्यवाहियां, जिनके अन्तर्गत किसी स्थान का अवलोकन भी है, खुले न्यायालय में और उपनियम (5) के अधीन रहते हुए, अभियुक्त की उपस्थिति में की जाएंगी ।

(5) न्यायालय को किसी ऐसे साक्षी को, जिसे अभी साक्ष्य देना है, या अभियुक्त से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को, जो उसकी कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करता है, न्यायालय से अपवर्जित करने की, शक्ति होगी ।

107. विचारण का जारी रखा जाना और न्यायालय का स्थगन (1) जब न्यायालय एक बार समवेत कर दिया जाता है और अभियुक्त को दोषारोपित कर दिया जाता है तब न्यायालय इन नियमों के अनुसार विचारण दिन-प्रति-दिन तब तक जारी रखेगा जब तक कि न्यायालय को यह प्रतीत नहीं होता है कि न्याय के उद्देश्य के लिए स्थगन आवश्यक है या विचारण इस प्रकार जारी रखना असाध्य है ।

(2) (क) न्यायालय अपनी कार्यवाहियों को समय-समय पर स्थगित कर सकेगा और अपना अधिवेशन ऐसे स्थान पर कर सकेगा जो सुविधा-जनक हो, और

(ख) जब कभी आवश्यक हो, घटनास्थल का निरीक्षण कर सकेगा।

(3) स्थल पर वरिष्ठ आफिसर भी, सेवा को अत्यावश्यकताओं के कारण, न्यायालय का स्थगन कर सकेगा या स्थगन को बढ़ा सकेगा।

(4) न्यायालय, जज अटर्नी की अनुपस्थिति में (यदि उस न्यायालय के लिए जज अटर्नी नियुक्त किया गया है) कार्यवाही नहीं करेगा और स्थगित हो जाएगा ।

(5) यदि वह समय विनिर्दिष्ट नहीं है जिसके लिए स्थगन किया जाता है तो स्थगन उचित सुरक्षक प्राधिकारी का आगे आदेश होने तक के लिए होगा, और, वह स्थान विनिर्दिष्ट नहीं है जिसके लिए स्थगन किया गया है, तो स्थगन उसी स्थान या ऐसे अन्य स्थान के लिए होगा जो उचित सुरक्षक प्राधिकारी के अगले आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

108. विचारण का निलंबन :--जहां, न्यायालय की बैठक के समय उद्भूत किसी बात के परिणामस्वरूप, न्यायालय धारा 68 में विनिर्दिष्ट विघटन के कारण या अन्यथा, विचारण जारी रखने में असमर्थ है तो पीठासीन आफिसर या, उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित वरिष्ठ सदस्य, तत्काल संयोजक प्राधिकारी को तथ्यों की रिपोर्ट भेजेगा।

109. अभियुक्त की मृत्यु या रुग्णता की दशा में कार्यवाहियां--अभियुक्त की मृत्यु या ऐसी रुग्णता की दशा में, जिसके कारण विचारण जारी रखना असंभव हो जाए, न्यायालय साक्ष्य लेकर मृत्यु या रुग्णता का तथ्य अभिनिश्चित करेगा और उसे अभिलिखित करेगा, और स्थगित हो जाएगा और कार्यवाहियों को संयोजक प्राधिकारी को परेषित करेगा।

110. पीठासीन आफिसर की मृत्यु, निवृत्ति या अनुपस्थिति-पीठासीन आफिसर की मृत्यु, आपत्ति के कारण निवृत्ति या अपरिहार्य अनुपस्थिति की दशा में, अगला वरिष्ठ आफिसर पीठासीन आफिसर का स्थान ग्रहण करेगा और यदि न्यायालय में अभी भी आफिसरों की कम से कम न्यूनतम संख्या वही है जो विधि के अनुसार अपेक्षित है, तो विचारण जारी रहेगा।

111. न्यायालय के सभी सदस्यों का प्रारम्भ से अंत तक उपस्थित रहना--(1) न्यायालय का वह सदस्य, जो अभियुक्त के विचारण में साक्ष्य के किसी भाग को ग्रहण किए जाने के दौरान अनुपस्थित रहा है, उस न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति के विचारण में आगे कोई भाग नहीं लेगा, किन्तु न्यायालय पर इसका तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक कि उसकी संख्या न्यूनतम विधिक संख्या से कम नहीं हो जाती।

(2) अभियुक्त को दोषारोपित किए जाने के पश्चात् न्यायालय में कोई आफिसर नहीं जोड़ा जाएगा।

112. न्यायालय के सदस्यों की राय लेना--(1) न्यायालय के प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक प्रश्न पर, जिसका न्यायालय को विनिश्चय करना है, मौखिक राय देना आवश्यक, और इस बात के होते हुए भी कि उसने दोषमुक्ति के पक्ष में अपनी राय दी है उसे दण्डादेश के बारे में अपनी राय देना आवश्यक है।

(2) न्यायालय के सदस्यों की राय, रैंक में निम्नतम सदस्य से आरम्भ करके, क्रमानुसार ली जाएगी ।

113. आनुषंगिक प्रश्नों की बाबत प्रक्रिया--यदि विचारण के दौरान विधि, साक्ष्य या प्रक्रिया के किसी विषय पर अभियोजक द्वारा या अभियुक्त द्वारा या उसकी ओर से कोई आक्षेप किया जाता है तो (यथास्थिति) अभियोजक या अभियुक्त या काउन्सेल या प्रतिरक्षा आफिसर को उसका उत्तर देने का अधिकार होगा और आक्षेप करने वाले व्यक्ति को उसका उत्तर देने का अधिकार होगा।

114. साक्ष्य का कब अनुवाद किया जाएगा--जब कोई साक्ष्य ऐसी भाषा में दिया जाता है जिसे न्यायालय के सदस्य आफिसरों में से कोई आफिसर, अभियुक्त या जज अटर्नी नहीं समझता है तो उसका उस भाषा में अनुवाद किया जाएगा जिसे वह समझता है।

115. सुरक्षक न्यायालय के संव्यवहार की कार्यवाहियों का अभिलेख--(1) न्यायालय में जज अटर्नी या, यदि कोई जज अटर्नी नहीं है तो, पीठासीन आफिसर, उस न्यायालय के सभी संव्यवहार अभिलिखित करेगा या कराएगा, और अभिलेख की (जिसे इन नियमों में कार्यवाहियां कहा गया है) सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा, और यदि जज अटर्नी को अभियुक्त ने साक्षी के रूप में बुलाया है तो पीठासीन आफिसर जज अटर्नी के साक्ष्य की कार्यवाहियां के अभिलेख की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) साक्ष्य जहां तक सम्भव हो प्रयुक्त शब्दों में वृतांत के रूप में लिखा जाएगा किन्तु किसी ऐसे मामले में जहां अभियोजक, अभियुक्त जज अटर्नी या न्यायालय इसे तात्विक समझता है, वहां प्रश्न और उत्तर शब्दशः लिखे जाएंगे।

(3) जहां किसी प्रश्न पर या किसी साक्ष्य को ग्रहण किए जाने पर या न्यायालय की प्रक्रिया पर आक्षेप किया जाता है, वहां ऐसा आक्षेप, यदि अभियोजक या अभियुक्त ऐसा आवेदन करता है या न्यायालय उचित समझता है तो, आक्षेप के आधारों और उन पर न्यायालय के विनिश्चयों के साथ, कार्यवाहियों में प्रविष्ट किया जाएगा।

(4) जहां अभियोजक या अभियुक्त द्वारा या उसकी ओर से किया गया कोई सम्बोधन लिखित रूप में नहीं है, वहां उसे आगे, या न्यायालय जैसा उचित समझता है उससे अन्यथा, कार्यवाहियों में अभिलिखित करना आवश्यक नहीं होगा, किन्तु--

(क) न्यायालय प्रत्येक मामले में अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिरक्षा का ऐसा अभिलेख अभिलिखित करेगा जो पुष्टि करने वाले आफिसर को अभियुक्त द्वारा, या उसकी ओर से, उसके विरुद्ध प्रत्येक आरोप की बाबत दिए गए उत्तर का निर्णय करने में समर्थ बना सके; और

(ख) न्यायालय अभियोजक या अभियुक्त द्वारा या उसकी ओर से किए गए सम्बोधन में से किन्हीं ऐसे विशिष्ट विषयों को अभिलिखित करेगा, जिनकी, यथास्थिति, अभियोजक या अभियुक्त अपेक्षा करे।

(5) न्यायालय कार्यवाहियों में कोई टीका-टिप्पणी या ऐसी कोई बात जो न्यायालय के समक्ष नहीं है या किसी ऐसे तथ्य की कोई रिपोर्ट जो विचारण का भाग नहीं है, कार्यवाहियों में दर्ज नहीं करेगा, किन्तु यदि कोई ऐसी टीका-टिप्पणी या रिपोर्ट न्यायालय को आवश्यक प्रतीत होती है तो न्यायालय इसे पीठासीन आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित पृथक दस्तावेज के रूप में समुचित प्राधिकारी को भेज सकेगा।

116. कार्यवाहियों की अभिरक्षा और निरीक्षण—कार्यवाहियां जज अटर्नी की (यदि कोई हो), या यदि कोई जज अटर्नी नहीं है तो, पीठासीन आफिसर की अभिरक्षा में समझी जाएंगी, किन्तु उनकी सुरक्षा की बाबत उचित सावधानी बरतते हुए, न्यायालय के सदस्य, अभियोजक या अभियुक्त, निष्कर्ष पर विचार-विमर्श करने के लिए न्यायालय के बंद होने से पूर्व किसी भी उचित समय पर उसका निरीक्षण कर सकेंगे।

117. जनरल/पैटी सुरक्षक जज अटर्नी न्यायालय की कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन—वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा में जनरल और पैटी सुरक्षक न्यायालय की कार्यवाहियां है, उन्हें पुनर्विलोकन के लिए जज अटर्नी जनरल को भेजेगा जो उन्हें पुष्टि करने वाले प्राधिकारी को भेजेगा।

118. प्रतिरक्षा आफिसर, अभियुक्त का मित्र और काउन्सेल—(1) किसी जनरल या पैटी सुरक्षक न्यायालय में अभियुक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किसी काउन्सेल द्वारा या अधिनियम के अधीन के किसी आफिसर द्वारा, जो "प्रतिरक्षा आफिसर" कहलाएगा किया जा सकेगा या उसकी सहायता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जिस की सेवाएं उपाप्त करने में वह समर्थ हो सके और वह "अभियुक्त का मित्र" कहलाएगा।

(2) प्रतिरक्षा आफिसर के वही अधिकार और कर्त्तव्य होंगे जो इन नियमों के अधीन काउन्सेल के हैं और वह समान बाध्यताओं के अधीन होगा।

(3) अभियुक्त का मित्र सभी प्रश्नों पर अभियुक्त को सलाह दे सकेगा और साक्षियों से किए जान वाले प्रश्न सुझा सकेगा किन्तु वह साक्षियों की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा नहीं करेगा या न्यायालय को सम्बोधित नहीं करेगा।

119. काउन्सेल की हाजिरी के लिए अपेक्षाएं—(1) काउन्सेल द्वारा प्रतिनिधित्व कराने का आशय रखने वाला अभियुक्त अपने कमांडर या संयोजक आफिसर को ऐसे आशय की यथासाध्य शीघ्र सूचना देगा और यदि पर्याप्त सूचना नहीं दी गई है और न्यायालय यदि उचित समझता है तो अभियोजक के आवेदन पर, विचारण में अभियोजक की ओर से काउन्सेल अभिप्राप्त करने में उसे समर्थ बनाने के लिए स्थगित हो सकेगा।

(2) जहां संयोजक आफिसर ऐसा निदेश देता है वहां काउन्सल अभियोजक के साथ हाजिर हो सकेगा, किन्तु ऐसी दशा में, जब तक उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना अभियुक्त द्वारा न दे दी गई हों काउन्सेल के हाजिर होने के निदेश की सूचना अभियुक्त को, विचारण से पूर्व ऐसे समय (जो किसी भी दशा में सात दिन से कम नहीं होगा) दी जाएगी, जिससे कि, न्यायालय की राय में, अभियुक्त विचारण में सहायता प्राप्त करने के लिए काउन्सेल अभिप्राप्त करने में समर्थ हो सके।

(3) अभियोजक या अभियुक्त की ओर से न्यायालय के समक्ष हाजिर होने वाले काउन्सेल को साक्षियों को बुलाने, उनकी मौखिक परीक्षा, प्रतिपरीक्षा या पुनः परीक्षा करने, कोई अभिवचन करने और कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उस अभियोजक या अभियुक्त को प्राप्त है, जिसके लिए वह हाजिर होगा है और उस व्यक्ति की ओर से जिसकी ओर से वह हाजिर होता है, विचारण के अनुक्रम में अन्यथा कार्य करने का अधिकार होगा और वह इन नियमों का पालन उसी प्रकार करेगा मानो वह स्वयं वह व्यक्ति हो और ऐसी दशा में स्वयं उस व्यक्ति को उपर्युक्त कार्यों में से कोई कार्य करने का अधिकार नहीं होगा, किन्तु वह नियम 90 के उपनियम (2) और नियम 97 के उपनियम (4) द्वारा अनुज्ञात कथन या न्यायालय द्वारा अनुज्ञा दिए जाने पर ऐसा कार्य कर सकता है।

(4) जब काउन्सेल अभियोजक की ओर से हाजिर होता है तब यदि अभियोजक को साक्षी के रूप में बुलाया जाता है तो अभियोजक की किसी अन्य साक्षी की भांति परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकेगी।

120. जज अटर्नी की निरर्हता—ऐसा आफिसर जो न्यायालय में आसीन होने के लिए निरर्हित है वह उस न्यायालय में जज अटर्नी के रूप में कार्य करने के लिए निरर्हित होगा।

121. जज अटर्नी की मृत्यु, रुग्णता या अनुपस्थिति में प्रतिस्थापन—यदि जज अटर्नी की मृत्यु हो जाती है या रुग्णता से अथवा किसी अन्य कारण से वह हाजिर रहने में सक्षमर्थ है तो न्यायालय स्थगित हो जाएगा और पीठासीन आफिसर परिस्थितियों की रिपोर्ट संयोजक आफिसर को भेजेंगा और उस आफिसर द्वारा एक उपायुक्त व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी और उसे शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा और वह शेष विचारण के लिए या जब तक कि जज अटर्नी वापस नहीं आ जाता है, जज अटर्नी के रूप में कार्य करेगा।

122. जज अटर्नी की शक्तियां और कर्तव्य—जहां किसी जज अटर्नी को न्यायालय में कार्य करने के लिए नामित किया गया है, वहां वह—

(क) जब कभी न्यायालय, अभियोजक, या अभियुक्त द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, आरोप या विचारण से संबंधित विधि के प्रश्न पर अपनी राय देगा;

(ख) कार्यवाहियों में किसी अनियमितता या अन्य कमजोरी के बारे में न्यायालय को सूचित करेगा;

(ग) आरोप में या न्यायालय के गठन में किसी कमजोरी या त्रुटि के बारे में संयोजक आफिसर और न्यायालय को सूचित करेगा;

(घ) साक्ष्य का उपसंहार करेगा और न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष पर विचार-विमर्श करने से पूर्व विधि के किसी प्रश्न पर अपनी राय देगा।

2. जज अटर्नी का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अभियुक्त की उस रूप में स्थिति के परिणामस्वरूप या उसकी अनभिज्ञता या साक्षियों की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करने में उसकी अयोग्यता के कारण उसका कोई अहित नहीं होता है और इस प्रयोजन के लिए जज अटर्नी न्यायालय की अनुज्ञा से, साक्षी बुला सकेगा और उनसे ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो उसे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं।

3. अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, जज अटर्नी पूर्ण रूप से निष्पक्षता का दृष्टिकोण रखेगा।

4. जहां जज अटर्नी द्वारा न्यायालय को उसके समक्ष किसी विषय पर कोई राय दी गई है, वहां वह, यदि जज अटर्नी या न्यायालय ऐसा चाहे तो, कार्यवाहियों में प्रविष्ट की जा सकेगी।

(5) जज अटर्नी सुरक्षक न्यायालय में मुख्य जज अटर्नी जनरल का प्रतिनिधित्व करेगा।

123. पागलपन का निष्कर्ष—जहां न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त चित्त-विकृति के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है या उसके अभिकथित कार्य तो किया है किन्तु चित्त-विकृति के कारण वह कार्य की प्रकृति को या यह समझने में असमर्थ था कि वह कार्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल था, वहां पीठासीन आफिसर या संक्षिप्त सुरक्षक न्यायालय की दशा में, विचारण करने वाला आफिसर निष्कर्ष पर अपने हस्ताक्षर करेगा और तारीख डालेगा

और उस पर जज अटर्नी भी (यदि कोई है) हस्ताक्षर करेगा और तब कार्यवाही तुरन्त पुष्टिकर्ता प्राधिकारी को या, संक्षिप्त मुरक्षक उप महानिरीक्षक को, भेजी जाएगी।

124. कार्यवाहियों का परिरक्षण--प्रत्येक न्यायालय की कार्यवाहियां, प्रख्यापन के पश्चात् जज अटर्नी जनरल के कार्यालय को भेजी जाएंगी और वे वहां सात वर्ष से अन्यून तक या तब तक जब तक कि न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दंड का अवसान नहीं हो जाता है, इनमें से जो पश्चात्वर्ती हो, परिरक्षित रखी जाएंगी।

125. विचारण किए गए व्यक्ति का कार्यवाहियों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार--सुरक्षक न्यायालय द्वारा विचारण किया गया प्रत्येक व्यक्ति निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि, जहां ऐसी पुष्टि अपेक्षित हो, किए जाने के पश्चात् और कार्यवाहियों के नष्ट किए जाने से पूर्व किसी समय उसकी एक प्रति, जिसके अन्तर्गत, यदि कोई पुनरीक्षण हुआ है तो, पुनरीक्षण की कार्यवाहियां भी हैं, मांग करने पर जज अटर्नी जनरल से प्राप्त करने का हकदार होगा।

126. कुछ दशाओं में कार्यवाहियों की प्रति न दिया जाना--नियम, 125 में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार का, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे यह समाधान हो जाता है कि उक्त नियम के अधीन, कार्यवाहियों या उनके किसी भाग की प्रति देना राज्य की सुरक्षा के हितों या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के विरुद्ध होगा तो उसे ऐसी प्रति नहीं दी जाएगी:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रति की मांग करने वाला व्यक्ति निष्कर्ष या दण्डादेश के सम्बन्ध में अधिनियम के अनुसार अर्जी प्रस्तुत करने या किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई संस्थित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे व्यक्ति या उसके विधि सलाहकार को, यदि कोई हो निम्नलिखित शर्तों पर, कार्यवाहियों का निरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा, अर्थात्:--

(क) निरीक्षण ऐसे समयों और ऐसे स्थानों पर किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी निर्दिष्ट करे; और

(ख) कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात व्यक्ति ऐसा निरीक्षण करने के पूर्व:--

(1) लिखित रूप में यह वचनबंध पेश करेगा कि वह कार्यवाहियों या उनके किसी भाग की प्रतियां नहीं बनाएगा और ऐसी कार्यवाहियों में सम्मिलित जानकारी या दस्तावेजों का, उक्त निष्कर्ष या दंडादेश के संबंध में अधिनियम के अनुसार अर्जी प्रस्तुत करने या न्यायालय में कार्रवाई संस्थित करने के प्रयोजन से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं करेगा; और

(2) एक प्रमाणपत्र पेश करेगा कि वह इस बात से अवगत है कि यदि वह उक्त कार्यवाहियों में सम्मिलित किन्हीं दस्तावेजों या जानकारी के सम्बन्ध में भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 3 और धारा 5 में विनिर्दिष्ट कोई कार्य करता है तो वह उक्त धाराओं के अधीन अभियोजन के लिए अपने आपको भागी बनाएगा।

127. कार्यवाहियों के अभिलेख का खो जाना--(1) यदि, पुष्टि के पूर्व, न्यायालय की उस मूल कार्यवाही का जिसकी पुष्टि अपेक्षित है, अभिलेख या उसका कोई भाग खो जाता है तो न्यायालय के पीठासीन आफिसर या वहां के जज अटर्नी द्वारा प्रमाणित उसकी प्रति, यदि कोई है, मूल प्रति के स्थान पर स्वीकार की जा सकेगी।

(2) यदि कोई ऐसी प्रति नहीं है और आरोप, निष्कर्ष दण्डादेश और न्यायालय के संव्यवहारों की बाबत पर्याप्त साक्ष्य उपाप्त किया जा सकता है, तो वह साक्ष्य, अभियुक्त की सहमति से, मूल कार्यवाहियों के अभिलेख या उस भाग के स्थान पर जो खो गया है, ग्रहण किया जा सकेगा।

(3) इस नियम के उपनियम (1) और (2) में वर्णित किसी भी दशा में, निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि की जा सकेगी, और वह वैसे ही विधिमान्य होगा, मानो मूल कार्यवाहियों का अभिलेख या उनका भाग, खोया ही नहीं था।

(4) यदि अभियुक्त उपनियम (2) में निर्दिष्ट सहमति से इंकार करता है, तो उसका पुनः विचारण किया जा सकेगा, और पूर्व न्यायालय का निष्कर्ष और दण्डादेश, जिसकी कार्यवाहियां खो गई हैं, शून्य होगा।

(5) यदि पुष्टि के पश्चात् या किसी ऐसे मामले में जहां पुष्टि अपेक्षित नहीं है, न्यायालय की मूल कार्यवाहियों का अभिलेख या उसका कोई भाग खो जाता है, और आरोप, निष्कर्ष, दण्डादेश और न्यायालय के संव्यवहार और निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि का (यदि अपेक्षित हो) पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है, तो वह साक्ष्य सभी प्रयोजनों के लिए विचारण का विधिमान्य और पर्याप्त अभिलेख होगा।

128. साक्षियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा अपराध--जब किसी न्यायालय की राय है कि धारा 37 और 38 में विनिर्दिष्ट और उसके समक्ष किए गए या कार्यवाहियों के दौरान उसके ध्यान में लाए गए किसी अपराध की, जो यदि अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता तो ऐसा अपराध गठित करता, जांच करने के लिए आधार हैं, तो ऐसा न्यायालय निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात्:--

(क) यदि वह व्यक्ति, जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि उसने अपराध किया है वह अधिनियम के अधीन है तो न्यायालय उसके आचरण की सूचना उसके कमांडर को दे सकेगा;

(ख) यदि वह व्यक्ति, जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि उसने वह कार्य किया है जो किसी सशस्त्र बल विधि के अधीन है, तो न्यायालय उसके आचरण की सूचना यथास्थिति समुचित सशस्त्र बल प्राधिकारी को दे सकेगा:

(ग) अन्य मामलों में, यथास्थिति वह आफिसर जिसने साक्षी को हाजिर होने के लिए समन किया है, या पीठासीन आफिसर या न्यायालय अधिष्ठित करने वाला आफिसर अधिकारिता रखने वाले निकटतम प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को लिखित शिकायत भेजेगा और उन कार्यों के मामले में, जो यदि अधिनियम के अध्यधीन के व्यक्ति द्वारा किए गए होते तो धारा 36 के खंड (ङ) या धारा 37 के अधीन अपराध होते, न्यायालय ऐसी प्रारंभिक जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, मामले को, अधिकारिता रखने वाले निकटतम प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 340 के अनुसार जांच या विचारण के लिए भेज सकेगा।

अध्याय II

समरी सुरक्षक न्यायालय

129 कार्यवाहियां—(1) विचारण करने वाला आफिसर, (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् न्यायालय कहा गया है) प्रत्येक समरी सुरक्षक न्यायालय के संव्यवहार अभिलिखित करेगा या कराएगा।

(2) न्यायालय, न्यायालय की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने के लिए आशुलिपिक की नियुक्ति कर सकेगा। ऐसे आशुलिपिक को नियम 65 में दिए गए प्रारूप में सम्यक् रूप से शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञा कराई जाएगी।

130. साक्ष्य का कब अनुवाद किया जाएगा—(1) जब कोई साक्ष्य ऐसी भाषा में दिया जाता है जिसे न्यायालय या अभियुक्त नहीं समझता है, तो उस साक्ष्य का अनुवाद, यथास्थिति, न्यायालय या अभियुक्त के लिए ऐसी भाषा में किया जाएगा जिसे वह न्यायालय या अभियुक्त समझता है।

(2) न्यायालय इस प्रयोजन के लिए या तो एक दुभाषिया नियुक्त करेगा या स्वयं समरी सुरक्षक न्यायालय में दुभाषिए के लिए विहित शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।

(3) जब अभिलेख औपचारिक सबूत के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किए जाते है तब उसके उतने भाग का, जितना आवश्यक प्रतीत हो, अनुवाद कराना न्यायालय के विवेक पर होगा।

131. समवेत होना—न्यायालय जब, दुभाषिया (यदि कोई है) और विचारण में हाजिर होने वाले आफिसर और अधीनस्थ आफिसर समवेत हो जाते हैं तब अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष लाया जायेगा और उसमें उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा नियम 132 में विहित शपथ ली जायेगी या प्रतिज्ञान किया जायेगा।

132. न्यायालय और दुभाषिए द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान-

(1) न्यायालय निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में या समान आशय के ऐसे अन्य प्ररूप में, जो न्यायालय का गठन करने वाले आफिसर के धर्म के अनुसार या अन्यथा उसके अन्तःकरण पर आबद्धकर हो, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।

शपथ का प्ररूप

"मैं----------सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के बिना राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 के अनुसार सम्यक् रूप से न्याय करूंगा।'

प्रतिज्ञान का प्रारूप

"मैं----------सत्यनिष्ठा सद्भाव और सच्चाई से घोषणा करता हूं और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के बिना राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 के उपबन्धों के अनुसार सम्यक् रूप से न्याय करूंगा।"

(2) न्यायालय या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अन्य व्यक्ति दुभाषिए को (यदि कोई हो) निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में या समान आशय के ऐसे अन्य प्ररूप में जैसा न्यायालय उस व्यक्ति के, जिसे दुभाषिए के रूप में कार्य करना है, धर्म के अनुसार या अन्यथा उसके अन्तःकरण पर आबद्धकर अभिनिश्चित करे, शपथ दिलायेगा या प्रतिज्ञान करायेगा।

शपथ का प्ररूप

"मैं----------सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं इस न्यायालय के समक्ष उत्पन्न होने वाले विषय के संबंध में मुझसे अपेक्षा किये जाने पर निष्ठापूर्वक भाषान्तर और अनुवाद करूंगा।"

प्रतिज्ञान का प्ररूप

"मैं----------सत्यनिष्ठा , सद्भाव और सच्चाई से घोषणा करता हूं और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं इस न्यायालय के समक्ष उत्पन्न होने वाले विषय के संबंध में मुझसे अपेक्षा किये जाने पर निष्ठापूर्वक भाषान्तर और अनुवाद करूंगा।"

(3) शपथ दिलाये जाने और प्रतिज्ञान कराये जाने के पश्चात्, साक्षी न्यायालय से बाहर चले जायेंगे।

133. अनेक अभियुक्तों के विचारण के लिये न्यायालय को शपथ दिलाना—(1) समरी सुरक्षक न्यायालय को, एक ही समय पर, उसके सामने उस समय उपस्थित कितने ही अभियुक्तों के विचारण के लिये शपथ दिलाई जा सकेगी या प्रतिज्ञान कराया जा सकेगा, चाहे उन अभियुक्तों का संयुक्तः विचारण किया जाना हो या पृथक्तः विचारण किया जाना हो।

(2) पृथक-पृथक विचारण किये जाने वाले अनेक अभियुक्त व्यक्तियों की दशा में, न्यायालय शपथ दिलाये जाने या प्रतिज्ञान कराये जाने पर अन्य मामलों को मुल्तवी करते हुए एक मामले में कार्यवाही करेगा और तत्पश्चात् क्रमानुसार अन्य मामलों को लेगा।

(3) जहां एक ही व्यवहार से उत्पन्न होने वाले आरोपों पर अनेक अभियुक्तों का पृथक-पृथक विचारण किया जाता है, वहां न्यायालय यदि वह समझता है कि यह न्याय के हित में वांछनीय है तो ऐसे अभियुक्तों में से किसी एक या अधिक को अधिनिर्णीत किये जाने वाले किसी दण्डादेश पर विचार तब तक के लिये मुल्तवी कर सकेगा जब तक ऐसे सब अभियुक्तों के विचारण पूरे नहीं हो जाते हैं।

134. अभियुक्त को दोषारोपित किया जाना—(1) न्यायालय और दुभाषिए को (यदि कोई हो) ऊपर वर्णित शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के पश्चात् अभियुक्त को उसके विरुद्ध आरोपों से दोषारोपित किया जायेगा।

(2) वे आरोप जिनसे अभियुक्त को दोषारोपित किया जाता है, उसे पढ़कर सुनाये जायेंगे और यदि आवश्यक हो तो, उसे उनका अनुवाद करके सुनाया जायेगा और वे उसे स्पष्ट किये जायेंगे और उससे हर आरोप पर पृथक रूप से अभिवचन करने की अपेक्षा की जायेगी।

135. आरोप के बारे में अभियुक्त द्वारा आक्षेप—अभियुक्त से जब किसी आरोप पर अभिवचन करने की अपेक्षा की जाये तब वह इस आधार पर आरोप के बारे में आक्षेप कर सकेगा कि उससे अधिनियम के अधीन कोई अपराध प्रकट नहीं होता है या वह इन नियमों के अनुसार नहीं है।

136. आरोप का संशोधन—(1) विचारण के दौरान किसी समय यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि आरोपपत्र में अभियुक्त के नाम या वर्णन में कोई भूल है तो न्यायालय उस भूल को शुद्ध करने के लिये आरोपपत्र का संशोधन कर सकेगा।

(2) यदि किसी आरोप के विचारण में न्यायालय को साक्षियों की परीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व किसी समय यह प्रतीत होता है कि न्याय के हित में आरोप में कोई परिवर्धन, उसमें से कोई लोप, या उसमें कोई परिवर्तन अपेक्षित है, तो वह ऐसे आरोप का संशोधन कर सकेगा और अभियुक्त को सम्यक् सूचना देने के पश्चात् यदि संशोधित आरोप के लिये ऐसी मंजूरी अपेक्षित है तो अभियुक्त के विचारण के लिये पेटी सुरक्षक न्यायालय का संयोजन करने के लिये सशक्त आफिसर की मंजूरी से, ऐसे संशोधित आरोप पर आगे विचारण के लिये अग्रसर हो सकेगा।

137. विशेष अभिवचन--यदि अभियुक्त ने न्यायालय की साधारण अधिकारिता के बारे में विशेष अभिवचन या विचारण के वर्जन के बारे में अभिवचन किया है तो ऐसे अभिवचनों को निपटाने के लिये अध्याय 9 में अधिकथित प्रक्रिया का, जहां तक वह लागू होती है, अनुपालन किया जायेगा ।

138. "दोषी होने" या "दोषी न होने" का साधारण अभिवचन--(1) अभियुक्त व्यक्ति का "दोषी होने" या "दोषी न होने" का अभिवचन या यदि वह अभिवचन करने से इंकार करता है या किसी आरोप पर स्पष्ट रूप से अभिवचन नहीं करता है तो प्रत्येक आरोप की बाबत "दोषी न होने" का अभिवचन अभिलिखित किया जायेगा ।

(2) यदि कोई अभियुक्त व्यक्ति "दोषी होने" या अभिवचन करता है तो वह अभिवचन न्यायालय के निष्कर्ष के रूप में अभिलिखित किया जायेगा, किन्तु इसे अभिलिखित किये जाने से पूर्व न्यायालय यह अभिनिश्चित करेगा कि अभियुक्त उस आरोप की प्रकृति समझता है जिसके बारे में उसने "दोषी होने" का अभिवचन किया है और उसे उस अभिवचन का साधारण प्रभाव और विशेषकर उस आरोप का अर्थ जिसके लिये उसने "दोषी होने" का अभिवचन किया है और प्रक्रिया का वह अन्तर जो "दोषी होने" के अभिवचन के कारण होगा, सूचित करेगा और यदि अभिलेख या साक्ष्य के सार से (यदि कोई है) या अन्यथा , यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को "दोषी न होने" का अभिवचन करना चाहिये था तो उसे अभिवचन को वापिस लेने की सलाह देगा ।

(3) जहां अभियुक्त अनुकल्पतः लगाये गये दो या अधिक आरोपों में से प्रथम के लिये "दोषी होने" का अभिवचन करता है, वहां न्यायालय उपनियम (2) का अनुपालन किये जाने के पश्चात् और अनुकल्पी आरोप या आरोपों पर अभियुक्त को दोषारोपित किये जाने के पूर्व, अभियुक्त से उस आरोप के पश्चात् वाले, जिसका दोषी होने का अभियुक्त ने अभिवचन किया है, अनुकल्पी आरोप या आरोपों पर अभिवचन करने की अपेक्षा किये बिना उन्हें वापिस ले सकेगा और न्यायालय की कार्यवाहियों में वैसा आशय अभिलिखित किया जायेगा ।

139. "दोषी होने" के अभिवचन के पश्चात् प्रक्रिया--

(1) "दोषी होने" का अभिवचन अभिलिखित किये जाने पर, यदि उसी आरोप-पत्र में अन्य आरोप हैं, जिनका अभिवचन "दोषी न होने" का है, तो विचारण पहले उन अन्य आरोपों के संबंध में होगा, और उन आरोपों पर निष्कर्ष के पश्चात् , उन आरोपों पर होगा जिनकी बाबत "दोषी होने" का अभिवचन दर्ज किया गया है, किन्तु यदि अनुकल्पी आरोप है तो न्यायालय या तो सभी आरोपों के बारे में ऐसे कार्यवाही करेगा मानो अभियुक्त ने किसी आरोप की बाबत "दोषी होने" का अभिवचन नहीं किया है या उसका विचारण करने की बजाय उन अनुकल्पी आरोपों में से किसी एक पर, जिसकी बाबत उसने "दोषी होने" का अभिवचन किया है, "दोषी होने" का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा और अन्य सभी अनुकल्पी आरोपों की बाबत "दोषी न होने" का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा ।

(2)(क) किसी आरोप की बाबत "दोषी होने" का अभिवचन अभिलिखित करने के पश्चात् (यदि किसी अन्य आरोप पर विचारण आगे जारी नहीं रखा जाता तो), न्यायालय अभिलेख या साक्ष्य के सार को पढ़ कर सुनायेगा और उसे कार्यवाहियों में संलग्न करेगा और यदि कोई ऐसा अभिलेख या सार नहीं है तो पर्याप्त साक्ष्य लेगा और अभिलिखित करेगा जिससे कि वह दण्डादेश अवधारित करने में समर्थ हो सके और पुनरीक्षण आफिसर को अपराध से संबंधित सभी परिस्थितियों की जानकारी हो सके;

(ख) साक्ष्य उसी रीति से लिया जायेगा जो इन नियमों में "दोषी न होने" के अभिवचन की दशा में निर्दिष्ट किया गया है।

(3) यथास्थिति, ऐसा साक्ष्य लिये जाने या अभिलेख या साक्ष्य का सार पढ़कर सुनाये जाने के पश्चात् अभियुक्त आरोप के बारे में और दण्ड कम करने के बारे में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और और अपने चरित्र के बारे में साक्षी बुला सकेगा।

(4)(क) यदि अभियुक्त के कथन से, या साक्ष्य के अभिलेख से या अन्यथा न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त "दोषी होने" के अपने अभिवचन का प्रभाव नहीं समझता है तो न्यायालय अभिलेख में परिवर्तन करेगा और "दोषी न होने" का अभिवचन प्रविष्ट करेगा और तदनुसार आगे विचारण करेगा :

(ख) उपनियम (1) के अधीन वापस लिये गये किन्हीं अनुकल्पी आरोपों को आरोप-पत्र में पुनः स्थापित किया जायेगा और विचारण इस प्रकार किया जायेगा मानो वे कभी वापस नहीं लिये गये ।

(5) यदि उसी आरोप-पत्र के कुछ आरोपों की बाबत "दोषी होने" का अभिवचन अभिलिखित किया जाता है और अन्य आरोपों की बाबत विचारण किया जाता है तो उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन कार्यवाहियां उसी आरोप-पत्र के अन्य आरोपों की बाबत निष्कर्ष अभिलिखित किये जाने के पश्चात् की जायेंगी।

(6) जब अभियुक्त दण्ड को कम करने से संबंधित किसी बात का कथन करता है, जिसका न्यायालय की राय में साबित किया जाना अपेक्षित है, और यदि उसके साबित कर देने से दण्ड की मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा, तो न्यायालय अभियुक्त को उसे साबित करने के लिये साक्षी बुलाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

140. "दोषी न होने" का अभिवचन वापिस लिया जाना--यदि अभियुक्त विचारण के दौरान किसी भी समय उचित समझता है तो वह "दोषी न होने" के अपने अभिवचन को वापिस ले सकेगा और "दोषी होने" का अभिवचन कर सकेगा और ऐसी दशा में न्यायालय तुरन्त , नियम 138 के उपनियम (2) के अनुपालन के अधीन रहते हुए, "दोषी होने" का अभिवचन और निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा और, जहां तक आवश्यक हो, नियम 139 में उपबंधित रीति से कार्यवाही करेगा ।

141. "दोषी न होने" के अभिवचन के पश्चात् प्रक्रिया--

(1) किसी आरोप की बाबत "दोषी न होने" का अभिवचन अभिलिखित किये जाने के पश्चात्, अभियोजन के लिये साक्ष्य लिया जायेगा ।

(2) अभियोजन के लिये साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्त से पूछा जायेगा कि क्या उसे अपनी प्रतिरक्षा में कुछ कहना है या वह, अपने साक्षी बुलाये जाने तक के लिये ऐसा सम्बोधन आस्थगित कर सकेगा ।

(3) तब अभियुक्त अपने साक्षी, जिनके अन्तर्गत चरित्र के बारे में साक्षी भी हैं, बुला सकेगा ।

142. प्रतिरक्षा के उत्तर में साक्षी--न्यायालय, यदि वह न्याय के हित में आवश्यक समझता है तो, प्रतिरक्षा के उत्तर में साक्षी बुला सकेगा ।

143. साक्षियों का साक्ष्य:--नियम 85, नियम 86 और नियम 87 के उपबन्ध, यथासाक्ष्य, समरी सुरक्षक न्यायालय में साक्षियों के साक्ष्य को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे साधारण या पैटी सुरक्षा न्यायालय में साक्षियों के साक्ष्य को लागू होते हैं ।

144. निष्कर्ष का अभिलेख और घोषणा—(1) न्यायालय, अभियोजन और प्रतिरक्षा की ओर से साक्ष्य सुनने के पश्चात्, अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा ।

(2) ऐसे प्रत्येक आरोप पर जिस पर अभियुक्त को दोषारोपित किया गया है निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा, और, इस नियमों में जैसा वर्णित है उसके सिवाय, "दोषी होने" या "दोषी न होने" के निष्कर्ष के रूप में ही अभिलिखित किया जायेगा।

(3) जब किसी आरोप की बाबत न्यायालय की राय है कि साबित किये गये तथ्यों से आरोपित अपराध या ऐसा कोई अपराध प्रकट नहीं होता है जिसका उसे लगाये गये आरोप पर अधिनियम के अधीन विधिक रूप से दोषी ठहराये जा सके, तो न्यायालय यह निष्कर्ष निकालेगा कि अभियुक्त उस आरोप का "दोषी नहीं" है।

(4) जब किसी आरोप की बाबत न्यायालय की राय है कि साक्ष्य में साबित किये जाने के लिये पाये गये तथ्य आरोप में विशिष्टियों के कथन में अभिकथित तथ्यों से तात्विक रूप से भिन्न हैं, किन्तु फिर भी आरोप में कथित अपराध साबित करने के लिये पर्याप्त हैं, और विभिन्नता इतनी तात्विक नहीं है जिससे अभियुक्त की प्रतिरक्षा पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो तो न्यायालय "दोषी न होने" के निष्कर्ष के स्थान पर विशेष निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा।

(5) विशेष निष्कर्ष में अभियुक्त को किसी आरोप का, उसमें विनिर्दिष्ट अपवादों या भिन्नताओं के कथन के अधीन रहते हुए, दोषी ठहराया जा सकेगा ।

(6) न्यायालय अभियुक्त को आनुकल्पिक रूप से लगाये गये दो या अधिक आरोपों में से एक से अधिक का दोषी नहीं ठहरायेगा, भले ही एक आरोप पर दोषसिद्धि से आवश्यक रूप से अनुकल्पी आरोप या आरोपों का "दोषी होने" का अर्थ निकलता हो।

145. दोषमुक्त किए जाने पर प्रक्रियां यदि आरोप-पत्र के आरोपों में से प्रत्येक की बाबत "दोषी न होने" का निष्कर्ष है तो न्यायालय कार्यवाही पर हस्ताक्षर करेगा और तारीख डालेगा। निष्कर्ष खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा और अभियुक्त को उन आरोपों की बाबत, यदि गिरफ्तार है तो, मुक्त कर दिया जाएगा ।

146. "दोषी होने" के निष्कर्ष पर प्रक्रिया:—(1) जहां किसी आरोप की बाबत "दोषी होने" का निष्कर्ष है वहां न्यायालय अभियुक्त के साधारण चरित्र, आयु, सेवा, रैंक और वीरता के मान्यताप्राप्त कार्यों या उसके विशिष्ट आचरण को और सुरक्षक न्यायालय या दण्ड न्यायालय द्वारा अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धियों को, धारा 51 के अधीन प्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी आफिसर द्वारा अभियुक्त की बाबत अधिनिर्णीत किए गए किसी पूर्व दण्ड को, उस अवधि को जिसमें वह किसी पूर्व दण्ड के लिए गिरफ्तार या परिरुद्ध रहा है, और किसी अलंकरण या इनाम को, जो उसके कब्जे में है या जिसका वह हकदार है, अपनी स्वयं की जानकारी के आधार पर अभिलिखित करेगा या किसी अभिलेख से उसका साक्ष्य लेगा ।

(2) जहां न्यायालय अपनी जानकारी के आधार पर इस नियम में वर्णित बातें अभिलिखित नहीं करता है वहां इन विषयों पर साक्ष्य उसी प्रकार के साक्ष्य के लिए नियम 97 में निर्दिष्ट रीति से लिया जा सकेगा ।

147. दण्डादेश—न्यायालय उन सभी अपराधों की बाबत, जिनके लिए अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है, एक दण्डादेश अधिनिर्णीत करेगा ।

148. कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करना—न्यायालय, दण्डादेश पर हस्ताक्षर करके तारीख डालेगा और ऐसे हस्ताक्षर से सम्पूर्ण कार्यवाही अधिप्रमाणित हो जाएगी ।

149. भिन्न-भिन्न आरोप-पत्रों में आरोप—(1) जब समरी सुरक्षक न्यायालय द्वारा विचारण में आरोप भिन्न-भिन्न आरोप-पत्रों में दिए गए हैं, तब अभियुक्त का, विचारण निष्कर्ष निकालने के प्रक्रम को सम्मिलित करते हुए निष्कर्ष निकालने के प्रक्रम तक प्रत्येक आरोप-पत्र पर पृथक रूप से, किया जाएगा ।

(2) तत्पश्चात न्यायालय, यथास्थिति, नियम 145 या नियम 146 का अनुपालन करेगा ।

150. न्यायालय खाली करवाना—(1) विचारण करने वाला आफिसर साक्ष्य पर विचार करने और विचारण में हाजिर रहने वाले आफिसरों और सहायक कमांडर से परामर्श करने के लिए न्यायालय खाली करा सकेगा ।

(2) उपनियम (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी कार्यवाहियां, जिनके अन्तर्गत किसी स्थान का दृश्य भी है, खुले न्यायालय में और अभियुक्त की उपस्थिति में की जाएंगी ।

151. स्थगन न्यायालय—

(क) अपनी कार्यवाहियों को समय-समय पर स्थगित कर सकेगा और ऐसे स्थान पर समवेत हो सकेगा जो सुविधाजनक हो, और

(ख) जब कभी आवश्यक हो घटनास्थल का निरीक्षण कर सकेगा

152. अभियुक्त का मित्र—समरी सुरक्षक न्यायालय में विचारण के दौरान, अभियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे वह आवश्यक समझे, जिसके अन्तर्गत विधि व्यवसायी भी है, सहायता ले सकेगा :

परन्तु ऐसा व्यक्ति साक्षियों की परीक्षा या प्रतिरीक्षा नहीं करेगा या न्यायालय को सम्बोधित नहीं करेगा ।

153. कार्यवाहियों से संलग्न किया जाने वाला ज्ञापन:—जहां समरी सुरक्षक न्यायालय किसी ऐसे अपराध का विचारण करता है, जिसका विचारण धारा 71 की उपधारा (2) में उल्लिखित किसी प्राधिकारी को निर्देश किए बिना साधारणतया नहीं किया जाएगा, वहां कार्यवाहियों के साथ एक व्याख्यात्मक ज्ञापन संलग्न किया जाएगा ।

154. प्रख्यापन:—समरी सुरक्षक न्यायालय का दण्डादेश, सुनाए जाने के पश्चात, शीघ्रतम अवसर पर सेवा की सामान्य रीति से प्रख्यापित किया जाएगा और, अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रख्यापन के पश्चात अविलम्ब कार्यान्वित किया जाएगा ।

155. कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन:—समरी सुरक्षक न्यायालय की कार्यवाहियां, प्रख्यापन के पश्चात तुरन्त जजएडवोकेट जनरल या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नाम निर्दिष्ट आफिसर की मार्फत उस उप महानिरीक्षक को भेजी जाएंगी जिसके अधीन अभियुक्त सेवा कर रहा हो ।

156. उप महानिरीक्षक द्वारा कार्रवाई:—(1) जहां उस उप महानिरीक्षक का, जिसे नियम 155 के अधीन समरी सुरक्षक न्यायालय की कार्यवाहियां भेजी गई हैं, यह समाधान हो जाता है कि कार्यवाहियों में गम्भीर अनियमितता के कारण या अन्य अभियुक्त के साथ अन्याय हुआ है, वहां वह-

(क) न्यायालय की कार्यवाहियों को अपास्त कर सकेगा, या

(ख) दण्डादेश को कम या अधिनिर्णीत दण्ड को धारा 47 में दिए गए दण्ड के निम्नतर मापमान में लघुकृत कर सकेगा।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की गई है, वहां वह कार्यवाही पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे प्रख्यापन के लिए अभियुक्त की यूनिट को वापस कर देगा।

(3) कार्यवाही, प्रख्यापित किए जाने के पश्चात् जज अटर्नी जनरल को अभिरक्षा के लिए भेजी जाएगी।

अध्याय 12

दण्डादेश का निष्पादन

157. कारावास के दण्डादेश के बारे में निदेश--(1) पुष्टिकर्ता प्राधिकारी, या समरी सुरक्षक न्यायालय की दशा में, न्यायालय यह निदेश देगा कि कारावास का सुरक्षक दण्डादेश या तो सिविल कारावास में या सुरक्षक अभिरक्षा में परिरुद्ध रह कर भुगता जाएगा।

(2) ऐसे निदेश में किसी वरिष्ठ आफिसर द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

158. वारण्ट--(1) कारावास का दण्डादेश भुगताने के लिए सिविल कारावास को किसी व्यक्ति की सुपुर्दगी के लिए या, यदि ऐसी अपेक्षित हो तो, ऐसे व्यक्ति को सुरक्षक अभिरक्षा में वापस लेने के लिए या ऐसे व्यक्ति को सिविल कारावास से छोड़े जाने का आदेश करने के लिए या किसी वरिष्ठ आफिसर द्वारा किए गए किसी परिवर्तन के लिए वारण्ट ऐसे प्ररूप में होगा जो परिशिष्ट 9 में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में उपयुक्त हो।

(2) ऐसे वारण्ट पर अभियुक्त के कमांडर द्वारा या उप महानिरीक्षक, महानिरीक्षक या महानिदेशक की ओर से स्टाफ आफिसर द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

159. मृत्यु के दण्डादेश की दशा में वारण्ट--जहां किसी व्यक्ति को फांसी लगाकर मृत्यु का दण्डादेश दिया जाता है, वहां परिशिष्ट 10 में दिए गए प्ररूप में वारण्ट, केन्द्रीय सरकार द्वारा दण्डादेश की पुष्टि किए जाने के पश्चात महानिदेशक द्वारा ऐसे कारागार के अधीक्षक को जहां ऐसे दण्डादेश के कार्यान्वयन की सुविधाएं विद्यमान हैं, भेजा जाएगा और अभियुक्त का कमांडर अभियुक्त को समुचित वारण्ट पर उसी कारागार के सुपुर्द करेगा।

160. दण्डादेश में परिवर्तन--जहां पहले ही सिविल कारागार को सुपुर्द, किसी व्यक्ति के दण्डादेश में कोई परिवर्तन किया जाता है, वहां ऐसे परिवर्तन की संसूचना परिशिष्ट (11) में दिए गए प्ररूप में कमांडर द्वारा या नियम 158 में उल्लिखित अन्य व्यक्ति द्वारा उस कारागार के अधीक्षक को दी जाएगी जिसे ऐसा व्यक्ति सुपुर्द किया गया है।

161. पदच्युति का दण्डादेश--(1) पदच्युति का दण्डादेश ऐसे दण्डादेश की प्रख्यापना की तारीख से या ऐसी किसी पश्चात्वर्ती तारीख से, जो प्रख्यापन के समय विनिर्दिष्ट की जाए, प्रभावी होगा।

(2) सिविल कारागार में भुगते जाने वाले कारावास के साथ संयोजित पदच्युति का दण्डादेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक ऐसा व्यक्ति सिविल कारागार को सुपुर्द नहीं कर दिया जाता है।

अध्याय 13

याचिकाएं

162. न्यायालय के निष्कर्ष और दण्डादेश के विरुद्ध याचिकाएं--(1) कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन है और जिसका न्यायालय द्वारा विचारण किया गया है, पुष्टि से पूर्व प्राधिकारी को एक याचिका देने के लिए और पुष्टि के पश्चात् धारा 113 में उल्लिखित किसी आफिसर को एक याचिका देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) समरी सुरक्षक न्यायालय की दशा में वह धारा 113 में उल्लिखित आफिसरों में से केवल किसी एक को याचिका देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

163. परिसीमा काल--(1) पुष्टि से पूर्व याचिका, विचारण की समाप्ति के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(2) पुष्टि के पश्चात् याचिका उस तारीख से तीन मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी जिसको दण्डादेश प्रख्यापित किया गया था :-

परन्तु कार्यवाहियों की प्रतिलिपि प्राप्त करने में ऐसे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय तीन मास की इस अवधि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

164. याचिकाएं प्रस्तुत करने का ढंग--(1) (क) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अभी तक भी सुरक्षक का सदस्य है, याचिका उसके कमाण्डर के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी,

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो सुरक्षक का सदस्य नहीं रहा है याचिका उस यूनिट के कमाण्डर को प्रस्तुत की जा सकेगी जिसमें विचारण किया गया था।

(2) वह आफिसर, जिसे याचिका प्रस्तुत की जाती है या जिसे याचिका भेजी जाती है, उसे एक सप्ताह की अवधि के भीतर अपने से अगले वरिष्ठ आफिसर को भेजेगा :

परन्तु ऐसा आफिसर किसी याचिका को नहीं भेज सकता है यदि वह मांगे गए अनुतोष को देने के लिए सक्षम है और ऐसा करने का विनिश्चय करता है।

(3) याचिका प्राप्त करने वाला आफिसर याचिका को जज अ टर्नी जनरल या उसके द्वारा अनुमोदित जाफिसर को सलाह के लिए भेजा जा सकेगा।

अध्याय 14

जांच--न्यायालय

165. रचना-(1)-जांच-न्यायालय एक या अधिक सदस्यों से मिल कर बन सकेगा। यदि केवल एक ही सदस्य की नियुक्ति की जाती है तो वह आफिसर होगा। यदि एक से अधिक सदस्यों को नियुक्त किया जाता है तो उनमें से कम से कम एक आफिसर होगा। जब न्यायालय को विशिष्ट प्रकृति के ऐसे मामलों का अन्वेषण करना हो जिसमें उचित अनवेषण के लिए विशिष्ट व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता हो तब ऐसे व्यक्ति को, जो अधिनियम के अधीन नहीं है, अतिरिक्त सदस्यों के रूप में नियुक्ति की जा सके ।

(2) किसी आफिसर के आचरण के बारे में आदेश किए गए जांच न्यायालय के सदस्य सदस्यों का रैंक ऐसे आफिसर के रैंक से निम्न रैंक का नहीं होगा। यदि उसी या उच्चतर रैंक के सभी आफिसरों की नियुक्ति संभव नहीं है तो कम से कम ऐसे जांच न्यायालय का पीठासीन आफिसर ऐसे आफिसर के, जिसके आचरण के बारे में जांच की जा रही है, उच्चतर रैंक का होगा।

166. समवेत होना--जांच न्यायालय कमांडर के जो, ग्रुप कमांडर के रैंक से नीचे का न हो, आदेश से या उस से वरिष्ठ किसी आफिसर का प्राधिकारी के आदेश से समवेत हो सकेगा।

167. समवेत होने का आदेश--जांच न्यायालय को समवेत करने वाले आदेश में न्यायालय की, संरचना, उसके समवेत होने के समय और स्थान का उल्लेख किया जाएगा और उसमें उन विषयसे का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा जिनका अन्वेषण न्यायालय करेगा। इसमें न्यायालय की प्रशासनिक आवश्यकताओं के बारे में उपबन्ध किया जाएगा।

168. जांच न्यायालय की प्रक्रिया-- (1) जांच-न्यायालय की कार्यवाहियां जनता के लिए खुली नहीं होंगी। कार्यवाहियों में केवल वे ही व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे जिन्हें ऐसा करने के लिए न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया जाए।

(2) सभी साक्षियों का साक्ष्य शपथ या प्रतिज्ञान पर लिया जाएगा और उस को उन्हें सुनाने और स्पष्ट करने के पश्चात् उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे।

(3) साक्षियों द्वारा दिया गया साक्ष्य वृतांत के रुप में अभिलिखित किया जाएगा, जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि किन्हीं प्रश्नों और उत्तरों को उसी रूप में अभिलिखित किया जाए।

(4) न्यायालय किन्हीं दस्तावेजों पर विचार कर सकता है भले ही वे औपचारिक रुप से साबित न किए गए हों।

(5) न्यायालय किसी भी रूप में साक्षियों से ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जिन्हें वह सच्चाई कहलवाने के लिए आवश्यक समझे और वह किसी साक्ष्य पर विचार कर सकेगा चाहे वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के अधीन ग्राह्य हो या न हो।

(6) किसी काउन्सेल या विधि व्यवसायी को जांच-न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अनुज्ञा नहीं दी जाएंगी।

(7) जांच-न्यायालय के समक्ष साक्षियों की हाजिरी उपाप्त करने के लिए धारा 86 के उपबन्ध लागू होंगे। साक्षियों को परिशिष्ट 15 में दिए गए नमूनों के अनुसार समन किया जाएगा।

(8) (i) जहां जांच की विषयवस्तु किसी विशिष्ट व्यक्ति का आचरण या चरित्र है वहां ऐसे व्यक्ति को जांच के साथ निरन्तर सहयुक्त रखा जाएगा और उसे कोई ऐसा कथन करने, या ऐसा साक्ष्य देने का जिसे वह करना चाहे या देना चाहे, किसी साक्षी की, जिसका साक्ष्य, उसकी राय में, उसके चरित्र या ख्याति पर प्रभाव डालता है, प्रति परीक्षा करने का पूर्ण अवसर दिया जाएगा।

(ii) अन्य मामलों में अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई राय देने से पूर्व न्यायालय उस व्यक्ति को वे सब बातें जानने का जो उसके विरुद्ध कही गई है, ऐसे साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने का जिन्होंने उसके विरुद्ध साक्ष्य दिया है और अपने प्रतिरक्षा में कथन करने और साक्षी बुलाने का अवसर प्रदान करेगा।

(9) न्यायालय के समक्ष पूछे गए किसी प्रश्न का साक्षी द्वारा दिया गया उत्तर, ऐसे न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने के किसी आरोप के सिवाय किसी, पश्चात्वर्ती अवसर पर किसी आरोप में ऐसे साक्षी के विरुद्ध ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

(10) जहां किसी जांच की कार्यवाहियों को नियम 170 के अधीन आदेशों के लिए किसी उच्चतर प्राधिकारी को भेजा जाता है, वहां ऐसा प्राधिकारी, न्यायालय की राय से असहमत होने से पूर्व, ऐसा करने के कारण अभिलिखित करेगा, ऐसे मामलों में, उप नियम (8) के खण्ड (ii) के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया जा सकेगा।

(11) न्यायालय उतनी बार पुनः समवेत हो सकेगा जितनी बार वह आफिसर, जिसने न्यायालय को समवेत किया, अतिरिक्त साक्षियों की परीक्षा के लिए या किसी साक्षी की अतिरिक्त परीक्षा के लिए या और अधिक जानकारी अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए निदेश दे। ऐसे मामलों में, न्यायालय यदि वह आवश्यक समझे तो, उपनियम (8) के खण्ड (ii) के उपबन्धों का अनुपालन करने के पश्चात् नई राय अभिलिखित कर सकेगा।

169. जांच न्यायालय कब अधिविष्ट होगा--(1) जांच-न्यायालय किसी अनुशासनिक बात का या किसी अन्य महत्वपूर्ण बात का अन्वेषण करने के लिए अधिविष्ट किया जा सकेगा।

(2) धारा 60 के अधीन अधिविष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित जांच-न्यायालय के अतिरिक्त, जांच न्यायालय निम्नलिखित मामलों में अधिविष्ट किया जाएगा :--

(क) (i) अधिनियम के अधीन व्यक्तियों की या सुरक्षक लाइनों के भीतर अन्य व्यक्तियों की अप्राकृतिक मृत्यु के सब मामलों की तत्काल एक रिपोर्ट संदेशवाहक के माध्यम से उस पुलिस थाने के प्रभारी को भेजी जाएगी जिसकी अधिकारिता में वह स्थान पड़ता है जिसमें ऐसी अप्राकृतिक मृत्यु हुई है:

(ii) उन मामलों में, जिनमें ऐसी रिपोर्ट किसी कारण से युक्तियुक्त समय के भीतर परिदत्त नहीं की जा सकती है, उपस्थित कमांडर या यूनिट का ज्येष्ठतम आफिसर परिशिष्ट II में उपवर्णित प्रोफार्मा में एक रिपोर्ट तैयार करेगा :

(ख) अधिनियम के अधीन के व्यक्तियों को हुई ऐसी सब क्षतियां, जिनसे पूर्ण या आंशिक निःशक्तता होने की सम्भावना है। न्यायालय ऐसे मामलों में यह अवधारित करेगा कि ऐसी क्षतियां ऐसी सेवा से हुई मानी जा सकती है या नहीं :

(ग) लोक या सुरक्षक सम्पत्ति की सब वित्तीय अनियमितताएं, हानि, चोरी, या दुर्विनियोग, जहां ऐसी अनियमितताओं, हानि चोरी या दुर्विनियोग के बारे में वरिष्ठ आफिसर का आदेश प्राप्त करना आवश्यक है:

(घ) गोपनीय दस्तावेजों और गोपनीय या सुरक्षा के ऊपर वर्गीकरण की अन्य सामग्री को खो जाने के सब मामले। ऐसे जांच न्यायालय के लिए आदेश उस यूनिट कमांडर से वरिष्ठ किसी आफिसर या प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा जिसके प्रभाव में खो गया दस्तावेज या सामग्री थी :

(ङ) प्राइवेट व्यक्तियों या सम्पत्ति के हुए सब नुकसान जिनकी बाबत सरकार या सुरक्षक के विरुद्ध दावा किए जाने की सम्भावना है।

170. जांच-न्यायालय की कार्यवाहियों पर कार्रवाई--जांच-न्यायालय की कार्यवाहियां पीठासीन आफिसर द्वारा उस आफिसर या प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएंगी जिसने न्यायालय का आदेश दिया था। ऐसा आफिसर या प्राधिकारी कार्यवाहियां प्राप्त होने पर यदि वह ऐसा करने के लिए सशक्त है तो कार्यवाहियों पर अंतिम आदेश स्वयं पारित कर सकेगा या उन्हें वरिष्ठ प्राधिकारी को निर्देशित कर सकेगा।

171. जांच न्यायालय की कार्यवाहियों की प्रतियां--अधिनियम के अधीन का वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध जांच-न्यायालय ने कोई राय दी है या जिसका जांच न्यायालय द्वारा अन्वेषण किए गए विषयों से संबंधित आरोप पर सुरक्षक न्यायालय द्वारा विचारण किया जा रहा है, जांच न्यायालय की कार्यवाहियों की प्रतियों का हकदार होगा, जब तक कि महानिदेशक अन्यथा आदेश न करे।

अध्याय 15

प्रकीर्ण

172. धारा 10(2) के अधीन विहित आफिसर —ऐसा आफिसर जो ग्रुप कमांडर के रैंक से नीचे का न हो, अपने कमान के अधीन किसी आफिसर या अधीनस्थ आफिसर से भिन्न किसी व्यक्ति को धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन सेवा से पदच्युत कर सकेगा या हटा सकेगा।

173. धारा 12(1) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी—धारा 12 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे :—

(i) आफिसरों से भिन्न अधिनियम के अधीन के सभी कार्मिकों की बाबत महानिदेशक :

(ii) आफिसरों की बाबत केन्द्रीय सरकार।

174. धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने की विहित रीति न्यायालय साक्षियों को ऐसे शपथ दिलाएगा या प्रतिज्ञान कराएगा मानो वह न्यायालय सुरक्षक न्यायालय हो।

175. धारा 96 या 97 के अधीन अभिरक्षा की विहित रीति और विहित आफिसर—(1) धारा 97 के प्रयोजन के लिए विहित आफिसर निम्नलिखित होंगे :—

(क) समरी सुरक्षक न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने की दशा में, उस यूनिट का कमांडर जिसके अधीन अभियुक्त है या ऐसे कमांडर से वरिष्ठ कोई आफिसर।

(ख) किसी अन्य न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने की दशा में संयोजक आफिसर या उससे वरिष्ठ कोई प्राधिकारी।

(2) जब कोई आफिसर, जो उपनियम (1) के अधीन विहित आफिसर के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव करता है, किसी ऐसे आफिसर के कमान के अधीन है जिसने उस मामले में धारा 96 की उपधारा (4) के अधीन कार्रवाई की है, तो वह कार्रवाई करने से पूर्व सामान्यतः ऐसे आफिसर का अनुमोदन प्राप्त करेगा। किन्तु यदि उसकी यह राय है कि सेवा की आकस्मिकताओं या अनुशासनिक आवश्यकताओं के कारण ऐसा अनुमोदन प्राप्त करना असंभव या असमीचीन है तो वह ऐसा अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही कार्रवाई कर सकेगा, किन्तु वह ऐसी कार्रवाई और इसके कारणों के बारे में ऐसे आफिसर को रिपोर्ट देगा।

(3) धारा 96 की उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, वह रीति जिसमें किसी अभियुक्त को अभिरक्षा में रखा जाएगा, निम्नलिखित होगी :—

अभियुक्त को ऐसी रीति से निरुद्ध रखा जाएगा जैसा समुचित सुरक्षक प्राधिकारी की राय में, बिना अनावश्यक कठोरता के, उसे सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी समझी जाए क्योंकि उसे अपराधी नहीं माना जाना चाहिए किन्तु उसे ऐसा व्यक्ति माना जाना चाहिए जो किसी रोग के कारण कष्ट में है।

176. प्राधिकृत कटौतियां—इस अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति को संदेय वेतन और सभी अन्य परिस्थितियों में निम्नलिखित कटौतियां की जा सकेंगी :—

(क) केन्द्रीय सरकार के साधारण और विशेष आदेश पर, किसी लोक दावे को पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराशि जो उस के नाम हो :

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भविष्य निधि, कल्याण निधि या किसी अन्य निधि में अनिवार्य अभिदाय को पूरा करने के लिए या किसी सुरक्षक जैसे मैस, कैंटीन और इसी प्रकार की संस्था, संस्था के नाम उससे देय किसी ऋण को पूरा करने के लिए अपेक्षित कोई राशि।

स्पष्टीकरण—"लोक दावे" से कोई ऐसा लोक ऋण या भत्ता निषेधन अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत लोक धन या स्टोर से अत्यधिक निर्गमन या कमी या अनियमित व्यय, है, जिसके बारे में, सम्भव अन्वेषण के पश्चात् उस व्यक्ति द्वारा जो उसके लिए जिम्मेदार है, केन्द्रीय सरकार को समाधान-प्रद रूप में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

(ii) पूर्वोक्त कटौतियां, अधिनियम, में विनिर्दिष्ट कटौतियों के अतिरिक्त है।

177. निरसन और व्यावृत्ति—(1) इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों से संबंधित सब नियम और आदेश, जहां तक कि वे इन नियमों के उपबन्धों से असंगत है, निरसित हो जाएंगे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन की गई कोई भी बात या कार्रवाई जहां तक कि ऐसी बात या कार्रवाई इन नियमों के उपबन्धों के असंगत नहीं है, इन नियमों के उपबन्धों के अधीन ऐसे की गई समझी जाएगी मानो उक्त उपबन्ध उस समय प्रवृत्त थे जब ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि वह इन नियमों के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई से अप्रतिष्ठित नहीं कर दी जाती।

178. अस्थायी उपबन्ध—इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को सुरक्षक को लागू कोई नियम या आदेश जब तक कि वह इन नियमों के विरुद्ध न हो, तब तक लागू बना रहेगा जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरकृत या उपान्तरित नहीं कर दिया जाता है।

परिशिष्ट 1

(नियम 34 देखिए)

विलम्ब रिपोर्ट का प्ररूप

गोपनीय

सं.....

यूनिट का पता.....

तारीख.....

सेवा में.....

विषय. राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम की धारा 57 और नियम 34 के अनुसरण में, आठ दिन विलम्ब की प्रथम, (द्वितीय), (तृतीय), (चतुर्थ) आदि रिपोर्ट।

1. सं..... रैंक..... नाम.....
2. अपराध
3. अपराध की तारीख
4. अपराध का पता लगाने की तारीख
5. खुली/बंद गिरफ्तारी की तारीख
6. खुली गिरफ्तारी से छोड़े जाने/पुन. गिरफ्तारी पर.....
 प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना/छोड़े जाने की तारीख
 (यदि छोड़ा नहीं गया है तो कारण बताएं)
7. साक्ष्य अभिलिखित करने की तारीख (यदि अभिलिखित नहीं किया गया है तो कारण बताएं)
8. विचारण के लिए आवेदन करने की तारीख
9. वह तारीख जिसको विचारण किया जाना है.....
10. विलम्ब के कारण

(कमांडर)

निम्नलिखित को प्रतिलिपि—

1. महानिरीक्षक (आठवीं और पश्चातवर्ती रिपोर्टों की दशा में)
2. महानिदेशक (उस दशा में विशेष रिपोर्ट जब अभियुक्त विचारण के बिना तीन मास से अधिक के लिए बंद गिरफ्तारी में है)

परिशिष्ट 2

[नियम 25 (2) (ख)]

क्रम सं.	तारीख	अभियुक्त का नाम	उस आफिसर या सहायक कमांडर का नाम जिसे आवेदन या अभ्यावेदन किया गया है	आवेदन या अभ्यावेदन कमांडर के आदेश की विशिष्टियां	अधियुक्त को कमांडर के आदेश संसूचित करने वाले आफिसर या सहायक कमांडर के हस्ताक्षर और तारीख	टिप्पणियां	
1	2	3	4	5	6	7	8

परिशिष्ट 3

(नियम 38)

राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम की धारा 51 के अधीन रेंजरों और योधक व्यक्तियों की समरी कार्यवाहियों में प्रयोग के लिए प्ररूप

अपराध की रिपोर्ट

सं. रैंक नाम यूनिट.....

के विरुद्ध आरोप

अपराध का स्थान और तारीख	अपराध	अभिवचन	साक्षियों के नाम	निष्कर्ष	अधिनिर्णीत दंड	दंड अधि निर्णीत करने वाले आफिसर के हस्ताक्षर, और पदनाम तथा अधिनिर्णय की तारीख	आचरण पत्र में प्रविष्टि की तारीख	टिप्पणियां	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

यूनिट कमांडर के हस्ताक्षर

अनुदेश .

स्तम्भ 1. छुट्टी के बिना अनुपस्थिति/अभियोजन की दशा में, "अपराध की तारीख" अनुपस्थिति का पहला दिन होगा।
स्तम्भ 2. राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम की धारा और उपधारा, जिसके अधीन आरोप लगाया गया है, आरोप के विवरण के ऊपर लिखी जाएगी।
स्तम्भ 4. कोई आफिसर किसी ऐसे मामले में संक्षिप्त कार्यवाही नहीं कर सकता है जिसमें वह एकमात्र अभियोजन साक्षी है।
स्तम्भ 6. सर्वथा शीर्षक के अनुसार भरा जाना चाहिए।

परिशिष्ट 5

(नियम 49)

सुरक्षक न्यायालय के लिए आवेदन का प्रारूप

स्टेशन तारीख

यूनिट

सुरक्षक न्यायालय के लिए आवेदन।

महोदय

मैं अपने कमान के अधीन यूनिट के सं. रैंक (नाम) के विरुद्ध आरोप प्रस्तुत करता हूं और आपसे इस बात की मंजूरी देने/इस बात के लिए की मंजूरी अभिप्राप्त करने का अनुरोध करता हूं कि, उसके विचारण के लिए (स्थान) में सुरक्षक न्यायालय समवेत किया जाए।

मामले का अन्वेषण (क)..... द्वारा किया गया था।

न्यायालय जांच (ख) तारीख को (स्थान) में अधिविष्ट किया गया था।

पीठासीन आफिसर का रैंक नाम और यूनिट सदस्य

अभियुक्त इस समय (स्थान) में है। उसका साधारण चरित्र (ग) है। (मैं निम्नलिखित दस्तावेज (घ) इसके साथ भेज रहा हूं।

1. आरोप पत्र (..... प्रतियां) (ङ)
2. अभिलेख का साक्ष्य का सार, मूल (च) और पांच प्रतियां
3. मूल प्रदर्श (छ)
4. पत्राचार (छ)
5. अभियुक्त के चरित्र () और आरोप-पत्र के बारे में विवरण (छ)
6. अभियोजन पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष के साक्षियों की सूची (उनके वर्तमान पते सहित) (छ)
7. अभियुक्त का यह कथन कि वह अपने विचारण में अपने प्रतिनिधित्व के लिए संयोजक आफिसर द्वारा किसी आफिसर को समनुदेशित करवाना चाहता है या नहीं (नियम 62) (छ)

कमांडर के हस्ताक्षर

(क) यहां निम्नलिखित के नाम लिखें :—

(i) वह आफिसर जिसने आरोपों का अन्वेषण किया है।

(ii) वह आफिसर जिसने मामले में प्रारंभिक सुनवाई की है (नियम 39)

(iii) वह आफिसर जिसने साक्ष्य अभिलिखित किया है (नियम 45)

(ख) तब भरा जाए जब लोगों से संबंधित किसी विषय की बाबत कोई जांच-न्यायालय रहा है .अन्यथा इसे काट दिया जाए (नियम 57) (iii)।

(ग) कमांडर द्वारा भरा जाए।

(घ) जो मद लागू न होती हो वह काट दी जाए।

(ङ) पीठासीन आफिसर, जज अटर्नी (यदि कोई हो) सदस्य, अभियोजक और अभियुक्त को एक-एक प्रति।

(च) मूल अभिलेख या साक्ष्य का सार अभियोजक को भेजा जाए।

(छ) 3, 4, 5 और 6 विचारण की सूचना के साथ, अभियुक्त के यूनिट के कमांडर को वापस कर दी जाएं।

(ज) 7 पीठासीन आफिसर को भेजी जाएं।

परिशिष्ट 4

[नियम 50 (2)]

आरोप-पत्र

अभियुक्त, सं. ——————(यदि लागू होता है) रैंक —————— नाम ———— यूनिट ———
निम्नलिखित आरोप लगाया जाता है :

अपने वरिष्ठ आफिसर के विधिपूर्ण समादेश की अवज्ञा

राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम

धारा 21 (2)

उसने तारीख —————— को ———— बजे जब उसे उसी यूनिट के उसके वरिष्ठ आफिसर, रैंक ———— नाम ———— के कमांडर की परेड में आने का आदेश दिया तो उसमें न आकर उसके विधिपूर्ण समादेश की अवज्ञा की।

स्थान ——————
तारीख ——————

कमांडर, राष्ट्रीय सुरक्षक

*जनरल/पैटी सुरक्षक न्यायालय द्वारा विचारण किया जाए।

स्थान ——————
तारीख ——————

हस्ताक्षरित
महानिदेशक/उपमहानिदेशक
या महानिदेशक/उपमहानिदेशक

*जब समरी सुरक्षक न्यायालय द्वारा गंभीर अपराधों के विचारण के लिए मंजूरी दे दी जाए (राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम की धारा 71(2)) तब इसी प्रकार की प्रविष्टि आरोप-पत्र में की जानी चाहिए।

परिशिष्ट 6

(नियम 59)

सुरक्षक न्यायालय के संबंध में प्ररूप
जनरल और पैटी सुरक्षक न्यायालय के समवेत होने के लिए प्ररुप

राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम 1986 के अधीन जनरल (या पैटी) सुरक्षक न्यायालय के समवेत आदेश का प्ररूप।

----------के आदेश|

(स्थान--- - ----------तारीख----------)

सं.----------
रैंक ----------
नाम ----------
यूनिट

नीचे वर्णित आफिसर, पार्श्व में नामित अभियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) का (और ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का जो उनके समक्ष लाए जाएं)---- सुरक्षक न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने के प्रयोजन के लिए तारीख ---- को ----------पर समवेत होंगे।

ज्येष्ठ आफिसर पीठासीन आफिसर के रूप में बैठेगा।

सदस्य ----------

प्रतीक्षारत सदस्य ----------

जज अटर्नी

----------को जज अटर्नी नियुक्त किया जाता है

दुभाषिया

----------को दुभाषिया नियुक्त किया जाता है।

अभियोजक

----------को अभियोजक नियुक्त किया जाता है।

* अभियुक्त को चेतावनी दी जाएगी और सभी साक्षियों से हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी कार्यवाहियां (जिसकी केवल दो प्रतियां अपेक्षित है) ---------- --को अग्रेषित की जाएंगी।

आज तारीख ----------को हस्ताक्षर किए गए।

संयोजक आफिसर

*न्यायालय की संरचना की बाबत संयोजक आफिसर की कोई राय (नियम 58 देखिए) यहां इस प्रकार जोड़ी जानी चाहिए :—

"संयोजक आफिसर की राय में विभिन्न/यूनिटों के आफिसरों को नियुक्त करना साध्य नहीं है।"

"संयोजक आफिसर की राय में, अभियुक्त के समान या वरिष्ठ रैंक वाले आफिसर, लोक सेवा का सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध नहीं हैं।"

* यहां काउन्सेल की बाबत आदेश जोड़िए (नियम 59 (छ) देखिए)

परिशिष्ट-7

(नियम 102)

मैं, राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आदेश देता हूं कि ---------- का परिदान/संदाय ----------को कर दिया जाए (को अधिहत /नष्ट किया जाए)

स्थान ----------

तारीख ----------

हस्ताक्षर

(पुष्टिकर्ता आफिसर)

परिशिष्ट-8

(नियम 102 (8) देखिए)

अभियुक्त ----------के विचारण के लिए तारीख ------ -- से तारीख ----------तक ----------(स्थान) में अधिविष्ट जनरल/पैटी सुरक्षक न्यायालय का निष्कर्ष और दण्डादेश मेरे द्वारा अभियुक्त को तारीख ----------को ---- ----------(स्थान) में सुनाया गया था।

यूनिट के अभिलेखों के लिए उद्धरण के लिए है। *निष्कर्ष और दण्डादेश का कोई अभिलेख नहीं रखा गया है।

स्थान ----------

तारीख ----- ----------

हस्ताक्षर

(कमांडर)

* सभी आरोपों पर दोषमुक्ति की दशा में प्रयोग किया जाए।

परिशिष्ट-9

(नियम 158)

राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 की धारा, 117 और 121 के अधीन वारण्ट

प्रारूप "क"

किसी कैदी को आजीवन कारावास का दण्डादेश दिए जाने पर प्रयोग में लाया जाने वाला सुपुर्दगी वारण्ट (धारा 117)

सेवा में,

अधीक्षक

----------(क) कारागार।

तारीख ----------को ---------- (स्थान) में अधिविष्ट जनरल सुरक्षक न्यायालय ने (सं. ----------क -- --- ----------यूनिट ----------) को ----------(यहां अपराध का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, जैसे "सक्रिय सेवा में होते हुए अभित्यजन") के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया था

और उक्त जनरल सुरक्षक न्यायालय ने तारीख ----------को उक्त (नाम ----------) को निम्नलिखित दण्डादेश पारित कर दिया है, अर्थात ,

(दण्डादेश पूर्णतया लिखिए, किन्तु उस पर हस्ताक्षर न किए जाएं)

और उक्त दण्डादेश (ख) विधि अपेक्षित रूप में ----------(ग) द्वारा सम्यक् रूप से पुष्ट किया गया है।

इसलिए आपसे यह अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त (नाम)----------को विधि द्वारा अपेक्षित रूप में उक्त कारागार में अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट सहित लें और उसे वहां तब तक रखें जब तक आप उसे कारावास का पूर्वोक्त दण्डादेश भोगने के प्रयोजन के लिए समुचित प्राधिकारी को उसकी अभिरक्षा में उक्त वारण्ट सहित न सौंप दें। पूर्वोक्त दण्डादेश ----------(घ) से प्रभावी होगा।

आज ----------(स्थान) में तारीख ----------को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर (ङ)

(क) सिविल कारागार का नाम लिखिए।

(ख) पुष्टिकर्त्ता प्राधिकारी का नाम और वर्णन।

(ग) यदि आवश्यक हो तो "---------का परिहार करते हुए" शब्द जोड़े।

(घ) वह तारीख लिखिए जिसको मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ङ) कैदी के कमांडर या अन्य विहित आफिसर के हस्ताक्षर।

परिशिष्ट—9

(नियम 158)

प्ररूप "ख"

सिविल कारागार में भुगते जाने वाले कारावास से दण्डादिष्ट कैदी की दशा में प्रयोग के लिए सुपुर्दगी वारण्ट
(राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 117)

सेवा में,

अधीक्षक,

---------- (क) कारागार

--------- तारीख ------- को ------- --- (स्थान) में अधिविष्ट ---------- (ख) सुरक्षक न्यायालय ने (सं. ---------- रैंक ------ नाम ---------- ------ यूनिट ----------) को ----------) यहां अपराध का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, जैसे "अभित्यजन)", "चोरी", "चुराई हुई सम्पत्ति प्राप्त करना", "कपट", "विधिपूर्ण समादेश की अवज्ञा करना" आदि) के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराता था।

और उक्त---------- (ख) सुरक्षक न्यायालय ने तारीख ----------को उक्त (नाम ----------) को निम्नलिखित दण्डादेश दिया है, अर्थात्

(दण्डादेश पूर्णतया लिखिए, किन्तु उस पर हस्ताक्षर न किए जाएं)

उक्त दण्डादेश (ग) विधि द्वारा अपेक्षित रूप में ---------- (घ) द्वारा सम्यक रूप से पुष्ट किया गया है/(ङ) पुष्टि के बिना विधिमान्य है।

इसलिए आपसे यह अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त (नाम) ---------- को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट सहित लें और वहां कारावास के पूर्वोक्त दण्डादेश को विधि के अनुसार निष्पादित करें। दण्डादेश ---------- (च) से प्रभावी होगा।

आज ---------- (स्थान) में तारीख ---------- को मेरे हस्ताक्षरों से दिया गया।

हस्ताक्षर (छ)

(क) सिविल कारागार का नाम लिखिए

(ख) जनरल, पैटी या समरी

(ग) जो लागू न हो उन शब्दों को काट दीजिए

(घ) पुष्टिकर्त्ता प्राधिकारी का नाम और वर्णन।

(ङ) यदि आवश्यक हो तो "---------- का परिहार करते हुए" शब्द जोड़े।

(च) वह तारीख लिखिए जिसको मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थ।

(छ) कैदी के कमांडर या अन्य विहित आफिसर के हस्ताक्षर।

परिशिष्ट 9

(नियम 158)

प्ररूप "ग"

वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आजीवन कारावास के दण्डादेश को कम करके किसी कम अवधि के कारावास का दण्डादेश दिए जाने पर प्रयोग में लाया जाने वाला वारण्ट (धारा 121)

सेवा में,

अधीक्षक,

(क) ---------- कारागार।

तारीख ---------- को ---------- (स्थान) में अधिविष्ट (घ) ---------- सुरक्षक न्यायालय द्वारा --- पूर्व (संख्यांक ------ रैंक ---------- नाम ----------) को दिए गए ---------- यूनिट के (भूत में ---------- (ख) द्वारा जारी किए वारण्ट के अधीन उक्त व्यक्ति ---------- (ग) के दण्डादेश के अनुसरण (ङ) ने राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त दण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात:

(च) ----------

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त ----------(नाम) को विधि द्वारा अपेक्षित रूप में उक्त कारागार में अपनी अभिरक्षा में इस वारंट सहित लें और उसे वहां तब तक रखें जब तक आप उसे उक्त आदेश के अधीन कारावास का दण्ड भोगने के प्रयोजन के लिए समुचित प्राधिकारी को उसकी अभिरक्षा में उक्त वारण्ट सहित न सौंपे दें। आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि जिस मूल वारण्ट के बदले यह वारण्ट जारी किया गया है, उसे मुझे लौटा दें।

ऐसे कारावास की अवधि की गणना ---------- (छ) से की जाएगी।

आज तारीख ---------- को ---------- में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर (ज)

(क) सिविल कारागार का नाम लिखिए।

(ख) उस आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे।

(ग) मूल दण्डादेश लिखें (यदि पुष्टिकर्त्ता आफिसर या अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा घटा कर कम दिया गया था तो दण्डादेश इस प्रकार लिखा जाना चाहिए :—

"आजीवन कारावास जिसे पुष्टिकर्त्ता आफिसर ने घटा कर 10 वर्ष कर दिया है।"!

(घ) जनरल

(ङ) दण्डादेश में परिवर्तन करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम

(च) पूरा आदेश लिखा जाए।

(छ) वह तारीख लिखें जिसको मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ज) विहित आफिसर के हस्ताक्षर।

परिशिष्ट 9

(नियम 15)

प्ररूप "घ"

तब प्रयोग के लिए वारण्ट जब कैदी को सुरक्षक की अभिरक्षा में सुपुर्द किया जाना है

सेवा में,

अधीक्षक,

(क) ----------कारागार।

तारीख ---------- को ---------- (स्थान) में अधिविष्ट (घ) सुरक्षक न्यायालय द्वारा ---------- यूनिट के (भूतपूर्व) (संख्यांक ---------- रैंक ---------- नाम ----------) को दिए गए ---------- (ग) के दण्डादेश के अनुसरण में -------- (ख) द्वारा जारी किए गए वारण्ट के अधीन उक्त व्यक्ति -------- (क) कारागार में परिरुद्ध है और ---------- (ङ) ने राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त दण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात :—

(च) ----------

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप अपनी अभिरक्षा से उक्त ---------- (नाम) को, यह वारण्ट लाने वाले आफिसर या सहायक कमांडर को सौंप दें।

आज तारीख ---------- को ---------- में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर (छ)

(क) सिविल कारागार का नाम लिखें।

(ख) उस आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे।

(ग) मूल दण्डादेश लिखें (यदि वह पुष्टिकर्त्ता आफिसर या अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा कम कर दिया गया था तो दण्डादेश इस प्रकार लिखा लाना चाहिए :—"2 वर्ष का कठिन कारावास जिसे पुष्टिकर्त्ता आफिसर ने घटाकर एक वर्ष कर दिया है।"

(घ) जनरल, पैंटी या समरी।

(ङ) आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम।

(च) पूरा आदेश लिखा जाए।

(छ) विहित आफीसर के हस्ताक्षर।

परिशिष्ट 10

(नियम 159 (1))

प्ररुप "क"

मृत्यु से दण्डादिष्ट व्यक्ति को सिविल कारागार की अभिरक्षा में सुपुर्द करने के लिए वारण्ट

सेवा में,

अधीक्षक,

(क) ---------- कारागार।

तारीख ---------- को ---------- में अधिविष्ट (ख) ---------- सुरक्षक न्यायालय ने ---------- यूनिट के (सं. ---------- रैंक ---------- नाम ----------) को ---------- (यहां अपराध का संक्षेपतः उल्लेख करें) के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया था:

और उक्त (ख) ---------- सुरक्षक न्यायालय ने तारीख ---------- को उक्त ---------- (नाम) को फांसी लगाकर मृत्यु से दण्डादिष्ट किया था और मृत्यु के उक्त दण्डादेश की केन्द्रीय सरकार ने पुष्टि कर दी है।

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त ---------- (नाम) को अपनी अभिरक्षा में लें और तारीख ----------को मृत्यु के दण्डादेश का निष्पादन करें।

आज तारीख ---------- को ---------- में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर (ग)

(क) सिविल कारागार का नाम लिखें।

(ख) जनरल।

(ग) महानिदेशक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 10

[नियम 159 (2)]

प्ररूप "ख"

मृत्यु से दण्डादिष्ट व्यक्ति को ऐसे दण्डादेश के निष्पादन के लिए सिविस अभिरक्षा से अभिप्राप्त करने के लिए वारण्ट

सेवा में,

अधीक्षक,

(क)----------कारागार।

----------तारीख को ----------मृत्यु दंड भोगने के लिए दण्डादिष्ट किए जाने पर ----------युनिट के (भूत-पूर्व) (सं. ----------रैंक ----------नाम ----------) को (ग) ----------द्वारा जारी किए गए वारण्ट के अधीन उक्त कारागार में रखा गया है।

और उक्त दण्डादेश की (घ) ----------द्वारा, विधि द्वारा अपेक्षित रूप से सम्यक्तः पुष्टि किए जाने पर, उक्त दण्डादेश का निष्पादन करने के लिए मुझे (ङ) ---------- ---------- (नाम और रैंक) आदेश जारी किया गया है।

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त ----------(नाम) को यह वारण्ट लाने वाले आफिसर/सहायक कमांडर/रिंजर श्रेणी-I को तत्काल सौंप दें।

आज तारीख ----------को ----------में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया

हस्ताक्षर (च)

(क) सिविल कारागार का नाम लिखें।

(ख) उस आफिसर का या पदनाम लिखों जिसने मूल वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे।

(ग) पुष्टिकर्ता प्राधिकारी का नाम और वर्णन।

(घ) उस आफिसर का नाम और पदनाम लिखें जिसे आदेश जारी किया गया है।

(च) उस आफिसर के हस्ताक्षर जिसने आदेश जारी किया है।

परिशिष्ट 11

(नियम 160)

प्ररूप "क"

जब मृत्यु से दण्डादिष्ट और सिविल कारागार की अभिरक्षा में सुपुर्द किसी व्यक्ति का दण्डादेश आजीवन कारावास के दण्डादेश में लघुकृत कर दिया जाता है तब प्रयोग में लाया जाने वाला वारण्ट

सेवा में,

अधीक्षक

(क) ——————————कारागार।

तारीख ——————————को ——————————(स्थान) में अधिविष्ट (ग) ——————————सुरक्षक न्यायालय द्वारा ——————————यूनिट के भूतपूर्व (सं.——————————रैंक ——————————नाम——————————) की दिए गए मृत्यु के दण्डादेश के अनुसरण में ——————————(ख) द्वारा जारी किए गए वारण्ट के अधीन उक्त व्यक्ति को ——————————(क) कारागार में रखा गया है और ——————————(घ) ने राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त दण्डादेश के बारे में निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात :—(ङ)——————————

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त ——————————(नाम) को विधि द्वारा अपेक्षित रूप में उक्त कारागार में अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट सहित लें और उसे वहां तब तक रखें जब तक आप उसे उक्त आदेश के अधीन आजीवन कारावास का दण्ड भोगने के प्रयोजन के लिए समुचित प्राधिकारी को उसकी अभिरक्षा में उक्त वारण्ट सहित न सौंप दें। आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि जिस मूल सुपुर्दगी वारण्ट के बदले यह वारण्ट जारी किया गया है, उसे मुझे लौटा दे। ऐसे आजीवन कारावास की अवधि की गणना तारीख ——————————; (च) से की जाएगी।

आज तारीख ——————————को ——————————मैं मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर (छ)

(क) सिविल कारागार का नाम लिखें।

(ख) उस आफिसर का नाम और पदनाम लिखें जिसने मूल वारंट पर हस्ताक्षर किए थे।

(ग) जनरल

(घ) दण्डादेश का लघुकरण करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम।

(ङ) पूरा आदेश लिखा जाए।

(च) वह तारीख लिखें जिसको मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(छ) कमांडर के हस्ताक्षर।

परिशिष्ट II

(नियम 160)

प्ररूप "ख"

तब प्रयोग में लाया जाने वाला वारण्ट जब मृत्यु के दण्डादेश के अधीन और सिविल कारागार की अभिरक्षा में सुपुर्द किए गए व्यक्ति का दण्डादेश, कारावास के ऐसे दण्डादेश में लघुकृत कर दिया जाता है जिसे उसी कारगार में भुगतना है

सेवा में

अधीक्षक,

(क) ——————————कारागार।

तारीख ——————————को ——————————(स्थान) में अधिविष्ट (छ) ——————————सुरक्षक न्यायालय द्वारा ——————————यनिट के (भूतपूर्व) (संख्यांक ——————————रैंक ——————————नाम ——————————को दिए गए मृत्यु के दण्डादेश के अनुसरण में ——————————(ख) द्वारा जारी किए गए वारण्ट के अधीन उक्त व्यक्ति को ——————————(क) कारागार में रखा गया है और ——————————(घ) ने, राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त दण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात :—(ङ)——————————

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और आप को प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त (नाम) ——————————को इस वारण्ट सहित अपनी अभिरक्षा में रखे और उक्त आदेश के अधीन कारावास के दंड का निष्पादन विधि के अनुसार करें।

आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि सुपुर्दगी के जिस मूल वारण्ट के बदले यह वारण्ट जारी किया गया है उसे मुझे लौटा दें। ऐसे कारावास की अवधि की गणना (च) ----------से की जाएगी।

आज तारीख ----------को ----------में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर (छ)

(क) सिविल कारागार का नाम लिखें।

(ख) उस आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल, वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे।

(ग) जनरल

(घ) दण्डादेश का लघुकरण करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम।

(ङ) पूरा आदेश लिखा जाए।

(च) वह तारीख लिखें जिसको मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(छ) कमांडर के हस्ताक्षर।

परिशिष्ट II

(नियम 160)

प्ररूप "ग"

जब मृत्यु से दण्डादिष्ट किए जाने के पश्चात् सिविल कारागार की अभिरक्षा में सुपुर्द किए गए किसी व्यक्ति को मृत्यु के दण्डादेश का निष्पादन करने से भिन्न प्रयोजन के लिए सुरक्षक की अभिरक्षा में सौंपा जाता है तब प्रयोग में लाया जाने वाला वारण्ट

सेवा में,

अधीक्षक,

(क).....कारागार।

तारीख.....को.....(स्थान) में अधिविष्ट (ग).....सुरक्षक न्यायालय द्वारा.....यूनिट के (भूतपूर्व) (संख्यांक.....रैंक.....नाम.....) को दिए गए मृत्यु के दण्डादेश के अनुसरण में(ख) द्वारा जारी किए गए वारण्ट के अधीन उक्त व्यक्ति.....

(क) कारागार में रखा गया है और.....

(घ) ने, राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त दण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात्--

(ङ).....

.....

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त (नाम).....को इस वारण्ट को लाने वाले आफिसर/सहायक कमांडर या रेंजर श्रेणी-I को तुरंत सौंप दें।

आज तारीख.....को.....में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर (च)

.....

(क) सिविल कारागार का नाम लिखें।

(ख) उस आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे।

(ग) जनरल।

(घ) आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम।

(ङ) पूरा आदेश लिखा जाए।

(च) कमांडर के हस्ताक्षर।

परिशिष्ट—11

(नियम 160)

प्रारूप "घ"

जब कैदी को क्षमा कर दिया जाता है या उसका विचारण अपास्त कर दिया जाता है या जब पूर्ण दण्डादेश या उसके अपयवसित भाग का परिहार कर दिया जाता है, तब प्रयोग म लाया जाने वाला वारण्ट (धारा 121)।

सेवा में,

अधीक्षक,

(क).....कारागार।

तारीख.....को.....(स्थान)।

सें अधिविष्ट (घ).....सुरक्षक न्यायालय द्वारा.....यूनिट

में (संख्यांक).....रैंक.....

नाम.....) को दिए गए.....(ग) के दण्डादेश

के अनुसरण में.....(ख) द्वारा जारी किए गए वारण्ट के

अधीन उक्त व्यक्ति.....(क) कारागार में परिरुद्ध है और.....(ङ)

ने, राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त दण्डादेश के बारे में निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात्—

(च).....

.....

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त.....(नाम) को जब तक वह किसी अन्य कारण से निरुद्ध किए जाने के दायित्वाधीन न हो, अपनी अभिरक्षा से तत्काल छोड़ दें और इस प्रकार उसे छोड़ने के लिए यह आपके लिए पर्याप्त वारण्ट होगा।

आज तारीख.....19.....को.....में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर (छ)

.....

(क) सिविल कारागार का नाम लिखें।

(ख) उस आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे।

(ग) मूल दण्डादेश लिखें यदि वह पुष्टिकर्ता आफिसर या अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा कम कर दिया गया था, तो दण्डादेश इस प्रकार लिखा जाना चाहिए—
"दो वर्ष का कठिन कारावास जिसे वरिष्ठ पुष्टिकर्ता आफिसर ने कम करके एक वर्ष कर दिया है।

(घ) जनरल, पैंटी और (या) समरी।

(ङ) कैदी को क्षमादान करने वाले, दण्डादेश को कम करने वाले या विचारण को अपास्त करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम।

(च) पूरा आदेश लिखा जाए।

(छ) विहित आफिसर के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 12

[नियम 169 (2) (क) (ii)]

अप्राकृतिक मृत्यु के बारे में रिपोर्ट

1. मृत्यु का स्थान या वह स्थान जहां शव मिला था (ब्यौरा दीजिए)।

2. मृत्यु की जानकारी प्राप्त होने की तारीख और समय।

3. शव की पहचान करने वाले दो या अधिक व्यक्तियों के नाम और वर्णन।

4. मृतक का नाम और उसकी विशिष्टियां और उसकी प्रास्थिति।

5. मृतक द्वारा पहने हुए कपड़ों की हालत।

टिप्पण : यदि डाक्टर द्वारा परीक्षा की जानी है तो उक्त ब्यौरा मृतक के कपड़े आदि हटाए बिना एकत्र किया जाना चाहिए, और अन्य ब्यौरा डाक्टर की परीक्षा के पश्चात् पूरा किया जाना चाहिए।

6. अंग, नेत्र और मुंह की हालत।

7. मुख की आकृति।

8. शव पर संघर्ष के चिह्नों, यदि कोई हैं, क्षतियों और खरोचों को, उनका आकार और उनकी अवस्थिति बताते हुए, अभिलिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : क्षति की गहराई अभिलिखित की जानी चाहिए किन्तु क्षतियों को छूना नहीं चाहिए। यदि डाक्टर द्वारा परीक्षा की जानी है तो उक्त जानकारी उसके द्वारा परीक्षा के पश्चात् अभिलिखित की जानी चाहिए।

9. रुधिर तरल या स्कन्दित है। वह किस स्थान से और कितनी मात्रा में निकला है।

10. किस साधन, शस्त्र या उपकरण से क्षति या संघर्ष के चिह्न कारित किए गए प्रतीत होते हैं।

11. क्या गर्दन के चारों ओर कोई रस्सी बंधी हुई थी या उसके चारों ओर किसी चीज के बांधे जाने का कोई चिह्न है।

12. क्या रस्सी या किसी अन्य चीज़ का प्रयोग गला घोंटने या शव को लटकाने के लिए किया गया था, क्या वह वजन सम्भालने के लिए काफी मजबूत थी और क्या इसका दूसरा सिरा किसी चीज से बंधा हुआ था।

13. क्या घास आदि जैसे बाहरी पदार्थ बालों से लगे हुए थे या उसके हाथ में थे या उसके शरीर के किसी अन्य भाग में चिपके हुए थे।

14. क्या शव किसी हृष्ट-पुष्ट और सुगठित आदमी का है या वह किसी कमजोर या वृद्ध आदमी का है।

15. क्या शव मजबूत है या वह कमजोर हो गया है या उसमें सड़न पैदा हो गई है।

16. सिर से पैर तक शव की लम्बाई।

17. पहचान चिह्न और घावों की अवस्थिति और उनका आकार।

18. मृत्यु का दृश्यमान कारण।

19. क्या कोई ऐसी अफवाह या ऐसी अन्य परिस्थितियां हैं जिनसे यह दर्शित होता है कि यह आत्महत्या का मामला है।

शव पर या उसके समीप पड़ी हुई मिली वस्तुओं का ब्यौरा।

20. शव पर मिली वस्तुएं (प्रत्येक वस्तु पर एक पर्ची चिपकाई जाएगी जो स्टाम्पित होगी)।

21. शव के समीप पड़ी हुई मिली वस्तुएं (प्रत्येक वस्तु पर सम्यक् रूप से स्टाम्पित पर्ची चिपकाई जाएगी)।

मुद्रा का वर्णन

22. उस स्थान का नक्शा जहां शव मिला था। मामले का संक्षिप्त विवरण।

स्थान

परिक्षेत्र के ऐसे दो या अधिक प्रतिष्ठित साक्षियों के हस्ताक्षर जिनकी उपस्थिति में अन्वेषण किया गया था।

तारीख

मामले का अन्वेषण करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम रैंक

परिशिष्ट 13

(नियम 175)

भाग 1

प्ररूप 1

आफिसरों के सहायक कमांडरों के (अधिनियम की धारा 53 और 54 के अधीन) संक्षिप्त विचारण में प्रयोग के लिए प्ररूप

अभियुक्त

रैंक और नाम

यूनिट

जब मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप से कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी (अभियुक्त की लिखित सहमति से) साक्षियों की हाजिरी से अभिमुक्ति देने का विनिश्चय करता है, तब अभियुक्त से पूछे जाने वाले प्रश्न—

1. क्या आपको आरोप पत्र और अभिलेख या साक्ष्य के सार या साक्ष्य के संक्षेप की प्रति प्राप्त हो गई है?

उत्तर :

2. क्या आपको अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिला है?

उत्तर :

3. आरोप पत्र पढ़ा जाता है। क्या आप अपने विरुद्ध लगाए गए उस आरोप/उन आरोपों के, जो आपने सुने/पढ़े हैं, दोषी हैं या दोषी नहीं हैं?

उत्तर:

यदि अभियुक्त किसी आरोप के लिए "दोषी नहीं" होने का अभिवचन करता है तो यथास्थिति, साक्ष्य के अभिलेख या साक्ष्य के सार, या साक्ष्य के संक्षेप अभियुक्त की सुनवाई के भीतर पढ़े जाएंगे और इस आशय की कार्यवृत्त अभिलिखित किया जाएगा।

4. क्या आप कोई कथन करना चाहते हैं?

उत्तर:

यदि अभियुक्त कोई कथन करना चाहता है तो उसे इस समय ऐसा करना चाहिए। यदि मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप से कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी सुनवाई की समाप्ति पर यह समझता है कि आरोप खारिज नहीं किया जाना चाहिए, तो उसे अभियुक्त का सेवा अभिलेख या आचरण पत्र देखना चाहिए। यदि मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप से कार्यवाही करने

वाला प्राधिकारी धिग्दण्ड, तीव्र धिग्दण्ड या शास्तिक कटौतियों से भिन्न कोई दण्ड अधिनिर्णीत करने की प्रस्थापना करता है तो वह अभियुक्त से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा :

5. क्या आप यह चाहते हैं कि आपका विचारण सुरक्षक न्यायालय द्वारा किया जाए या आप मेरा अधिनिर्णय स्वीकार करेंगे ?

उत्तर :

निष्कर्ष

अधिनिर्णय

स्टेशन

तारीख

टिप्पण—प्रश्न 4 के उत्तर में अभियुक्त का मौखिक कथन अभिलिखित नहीं किया जाएगा। यदि अभियुक्त ने लिखित कथन प्रस्तुत किया है तो ऐसा कथन ही इस प्ररूप के साथ तब भेजा या संलग्न किया जाएगा जब साक्ष्य के अभिलेख या सार या साक्ष्य के संक्षेप की प्रति इस प्रकार भेजी या संलग्न की जानी अपेक्षित है। यह प्ररूप आफिसर सहायक कमांडर की सेवा अभिलेख के साथ रखा जाएगा।

परिशिष्ट 14

(नियम 175)

भाग 1

प्ररूप 2

आफिसरों और सहायक कमांडरों के (अधिनियम की धारा 53 और 54 के अधीन) संक्षिप्त विचारण में प्रयोग के लिए प्ररूप ।

अभियुक्त

रैंक और नाम

यूनिट

जब मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी साक्षियों को हाजिरी से अभिमुक्ति देने का विनिश्चय नहीं करता है या जब अभियुक्त उनकी हाजिरी की अपेक्षा करता है, तब

अभियुक्त से पूछे जाने वाले प्रश्न—

1. क्या आपको आरोप पत्र और अभिलेख या साक्ष्य के या साक्ष्य के संक्षेप की प्रति प्राप्त हो गई है ?

उत्तर :

2. क्या आपको अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिला है ?

उत्तर :

3. क्या आप अपने विरुद्ध लगाए गए उस आरोप/उन आरोपों के, जो आपने सुने/पढ़े हैं, दोषी हैं या दोषी नहीं हैं ?
साक्षी अपना साक्ष्य देते हैं, अभियुक्त को उनकी प्रति परीक्षा करने की अनुमति दी जाती है।

4. क्या आप कोई कथन करना चाहते हैं ?

उत्तर :

5. क्या आप किसी साक्षी को बुलाना चाहते हैं ?

उत्तर :

अभियुक्त कथन करता है और उसके साक्षी साक्ष्य देते हैं। यदि मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी सुनवाई की समाप्ति पर यह समझता है कि आरोप खारिज नहीं किया जाना चाहिए, तो उसे अभियुक्त का सेवा अभिलेख या आचरण पत्र देखना चाहिए। यदि मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी, धिग्दण्ड, तीव्र धिग्दण्ड या शास्तिक कटौतियों से भिन्न कोई दण्ड अधिनिर्णीत करने की प्रस्थापना करता है तो वह अभियुक्त से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा :—

6. क्या आप यह चाहते हैं कि आपका विचारण सुरक्षक न्यायालय द्वारा किया जाए या आप मेरा अधिनिर्णय स्वीकार करेंगे ?

उत्तर :

निष्कर्ष

अधिनिर्णय

स्टेशन

तारीख

टिप्पण : प्रश्न 4 के उत्तर में अभियुक्त का मौखिक कथन अभिलिखित नहीं किया जाएगा। यदि अभियुक्त ने लिखित कथन प्रस्तुत किया है तो ऐसा कथन ही इस प्ररूप के साथ तब भेजा या संलग्न किया जाएगा जब अभिलेख या साक्ष्य के सार या साक्ष्य या संक्षेप की प्रति इस प्रकार भेजी या संलग्न की जानी अपेक्षित है। यह प्ररूप आफ़िसर/सहायक कमांडर के सेवा अभिलेख के साथ रखा जाएगा।

परिशिष्ट 15

(नियम 45, 61 और 168)

साक्षियों को समन करने का प्ररूप

(क) साक्ष्य के अभिलेख की दशा में सुरक्षक न्यायालय द्वारा विचारणीय सं०रैंक.....

नाम.....यूनिट.....

के विरुद्ध अपराध का आरोप मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है और मैंने तारीख.....को.....

बजे.....स्थान पर लिखित साक्ष्य का अभिलेख लेने का निदेश दिया है।

मैं.....आपको (नाम.....) समन करता हूं और उक्त स्थान और समय पर साक्षी के रूप में उपस्थित होने की (और अपने साथ इसमें इसके पश्चात् वर्णित दस्तावेज अर्थात्—लाने की) अपेक्षा करता हूं।

यदि ऐसा करने में आप असफल रहते हैं तो आप अपने जोखिम पर करेंगे।

आज तारीख.....19.....को.....में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

(हस्ताक्षर)

अभियुक्त का कमांडर

(ख) सुरक्षक न्यायालय की दशा में।

.....यूनिट के श्री.....के निवारण के लिए तारीख.....को स्थान.....पर.....बजे सुरक्षक न्यायालय को समवेत होने का आदेश दिया गया है। मैं आपको क.....ख.....को समन करता हूं और उक्त न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में तारीख.....को.....बजे स्थान पर उपस्थित होने की (और अपने साथ इसमें इसके पश्चात् वर्णित दस्तावेज अर्थात्--.....लाने की) और इस प्रकार दिन प्रतिदिन कार्रवाई में तब तक उपस्थित होने की जब तक आप सम्यक् रूप से उन्मुक्त नहीं कर दिए जाते, अपेक्षा करता हूं; यदि ऐसा करने में आप असफल रहते हैं तो आप अपनी जोखिम पर करेंगे।

आज तारीख.....19.....को मेरे हस्ताक्षर.....से दिया गया।

(हस्ताक्षर)

संयोजक आफ़िसर या

अटर्नी या न्यायालय का पीठासीन

आफ़िसर या अभियुक्त का कमांडर

(ग) जांच न्यायालय की दशा में।

तारीख.....को स्थान.....पर जांच न्यायालय को उन परिस्थितियों की जिनमें.....जांच करने के लिए समवेत होने का आदेश किया गया है मैं आपके.....क.....ख.....के उक्त जांच न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में तारीख.....को.....बजे उपस्थित होने की (और इसमें इसके पश्चात् वर्णित दस्तावेज अर्थात्.....अपने साथ लाने की) तथा इस प्रकार दिन प्रतिदिन कार्रवाई में तब तक उपस्थित होने की जब तक आप सम्यक् रूप से उन्मुक्त नहीं कर दिए जाते, अपेक्षा करता हूं। यदि ऐसा करने में आप असफल रहते हैं तो आप अपनी जोखिम पर करेंगे।

.....आज तारीख.....19.....को.....में मेरे हस्ताक्षर.....से दिया गया।

(हस्ताक्षर)

पीठासीन आफ़िसर या

यूनिट का कमांडर

[सं० के 16011/3/86-एन एस जी]

वि० कु० जैन, संयुक्त सचिव